सामाजिक सहायता

वृद्धों एवं निराश्रितों के लिए भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तथा परिवार कल्याण योजना का संचालन किया जाता हैं इन योजनाओं के अन्तर्गत 60 वर्ष से अधिक के वृद्धों एवं निराश्रित व्यक्तियों को रुपये 150/– प्रतिमाह पेंशन के रुप में उनके जीवन निर्वाह हेतु प्रदाय की जाती है। इसके अतिरिक्त गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के मुखिया अथवा एकमात्र कमानेवाले सदस्य की मृत्यु होने पर उसे रुपये 10,000/– एक मुश्त सहायता भी पेदान की जाती है। इस योजना के प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन मार्गदर्शिका का प्रकाशन किया गया है, जिसमें इन योजनाओं के क्रियान्वयन का विस्तृत सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है। योजना प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हो, इस आशय से विभाग द्वारा समय समय पर आदेश एवं निर्देश जारी किए जाते है। उक्त मार्गदर्शिका तथा आदेश निर्देशों की प्रतियां भी संलग्न है।

- सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना ।
- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना ।
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

उपरोक्त क्रमांक दो एवं तीन की योजनाएं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित है । ये केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम है, जिनमें शत–प्रतिषत वित्तीय सहायता भारत सरकार से प्राप्त होती है ।

ग– सामाजिक सहायता

वृद्धों एवं निराश्रितों के लिए भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तथा परिवार कल्याण योजना का संचालन किया जाता हैं इन योजनाओं के अन्तर्गत 60 वर्ष से अधिक के वृद्धों एवं निराश्रित व्यक्तियों को रुपये 150/– प्रतिमाह पेंशन के रुप में उनके जीवन निर्वाह हेतु प्रदाय की जाती है। इसके अतिरिक्त गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के मुखिया अथवा एकमात्र कमानेवाले सदस्य की मृत्यु होने पर उसे रुपये 10,000/– एक मुश्त सहायता भी पेदान की जाती है। इस योजना के प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन मार्गदर्शिका का प्रकाशन किया गया है, जिसमें इन योजनाओं के क्रियान्वयन का विस्तृत सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया

है। योजना प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हो, इस आशय से विभाग द्वारा समय समय पर आदेश एवं निर्देश जारी किए जाते है। उक्त मार्गदर्शिका तथा आदेश निर्देशों की प्रतियां भी संलग्न है।

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेषन योजना

एवम्

राज्य शासन की सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना

के

क्रियान्वयन हेतु

मार्गदर्षिका

म.प्र. शासन
समाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय

क्रमांक एफ–1/59/26–2/95 भोपाल, दिनांक 4–9–96

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त, मध्य प्रदेष
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेष
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत, मध्यप्रदेष
4. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक,
   पंचायत एवं समाज सेवा, मध्यप्रदेष
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत, मध्यप्रदेष
6. समस्त आयुक्त/मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत, मध्यप्रदेष
7. समस्त सचिव, ग्राम पंचायत, मध्यप्रदेष

विषय :– सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना का युक्तियुकतकरण।

1. विभाग के आदेष क्रमांक एफ 1/59/95/26–2 दिनांक 25 जून, 96 द्वारा राज्य की सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना का युक्तियुक्तकरण कर इसका व भारत सरकार की राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना का एकीकरण करते हुये सभी श्रेणी के पेंषनरों को एक समान दर से अर्थात राषि रू. 150.00 प्रतिमाह पेंषन के रूप में दिये जाने के निर्देष प्रसारित किये गये हैं। इसी संदर्भ में अब संपूर्ण मार्गदर्षिका तैयार की जाकर संलग्न है।
2. शासन द्वारा इस महत्वपूर्ण योजना का संचालन ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जा रहा है। पात्र हितग्राहियों को समय से सहायता मिल जाये यह सुनिष्चित करने के उद्देष्य से संलग्न निर्देषों में प्रकरणों के निराकरण व आवेदकों को सूचित करने के लिये भी समय–सीमा निर्धारित की गई है। इनका पालन सुनिष्चित करने का दायित्व संबंधित नगर निगम/जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का होगा।
3. शासन यह भी चाहता है कि निराश्रितों को पेंषन का भुगतान उसी तरह से नियमित रूप से होता रहे जिस तरह से शासकीय कर्मचारियों को पेंषन का भुगतान होता है। इसके लिये यह भी सुनिष्चित करना आवष्यक है कि जनपद पंचायतों/नगरीय निकायों के पास पर्याप्त राषि उपलब्ध रहे। इस उद्देष्य से इन संस्थाओं को भुगतान हेतु अग्रिम का भी प्रावधान किया गया है।

4. पेंषन का भुगतान सही लोगों को ही हो और पात्र लोगों को अकारण पेंषन लाभ से वंचित न रखा जाये, यह सुनिष्चित करने के लिये जनपद पंचायत/नगर निकायों के आदेषों के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अपील का प्रावधान किया गया है। साथ यह भी व्यवस्था की गई है कि स्वीकृत प्रकरणों की मैदानी स्तर पर रैडम जांच की जाये, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उपसंचालक, पंचायत एवं समाज सेवा या उनके प्रतिनिधि और संबंधित जनपद पंचायत/नगर निगम के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।
5. संबंधित जनपद पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा राज्य शासन की सामाजिक सुरक्षा पेषन योजना तथा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजनान्तर्गत प्राप्त राषि एवं व्यय का लेखा–जोखा पृथक–पृथक रखा जावे, जिसे मार्गदर्षिका में संलग्न प्रारूप–4 में संकलन किया जावे। तीन प्रतियों में संचारित इस जानकारी की एक–एक प्रति जिला उप संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को प्रेषित की जावे।
6. नगरीय निकायों/ जनपद पंचायतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर जिला पर संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा जिला स्तर पर जानकारी का संकलन करेंगे एवं निर्धारित प्रारूप–6 के अन्तर्गत जानकारी संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा को प्रेषित करेंगे।
7. शासन चाहता है कि निराश्रित पेंषन भुगतान की प्रक्रिया को इस तरह सुधारा जाये कि पेंषनका भुगतान नियमित होता रहे, जिस तरह शासकीय कर्मचारियों को पेंषन का भुगतान होता है। इसके लिये सुनिष्चित करना आवष्यक है कि जिलों को प्राप्त आबंटन राषि का हर जनपद पंचायत/नगरीय निकाय को उनकी आवष्यकता के अनुरूप अग्रिम उपलब्ध कराया जाये। जिला कलेक्टर, उप संचालक समाज सेवा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत का यह दायित्व होगा कि वे यह सुनिष्चित करें कि राषि के अभाव में पेंषन अवरूद्ध न हो। नवीन व्यवस्था का व्यापक प्रचार–प्रसार भी सुनिष्चित कीजिए।

(अलका सिरोही)
सचिव,
मध्य प्रदेष शासन,
समाज कल्याण विभाग

एकीकृत पेंषन हेतु मार्गदर्षिका

(1) पेंषन हेतु पात्रता :

इस योजना के अन्तर्गत पेंषन के लिये निम्न व्यक्ति पात्र होंगे :

(अ) निम्नांकित श्रेणी के निराश्रित व्यक्ति :–

(i) 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध

(ii) 50 वर्ष या अधिक आयु की विधवा/परित्यक्त महिलायें

(iii) 6 वर्ष से अधिक आयु के विकलाग व्यक्ति

उपरोक्त में से 6 से 14 वर्ष के विकलांगों को सहायता की पात्रता तभी होगी जब वे किसी स्कूल में भर्ती होकर वहां पढ़ाई कर रहे हों।

(ब) गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के 6 से 14 वर्ष के वे विकलांग बच्चे जो स्कूल जाते हैं, (भले ही वे निराश्रित न हो)

केवल उन्हीं व्यक्तियों को पेंषन की पात्रता होगी जो कि मध्यप्रदेष के निवासी हों।

(2) निराश्रित व्यक्तियों से अभिप्राय

निम्न व्यक्ति निराश्रित की श्रेणी में माने जायेंगे :

(i) निराश्रित हो अर्थात् उसने अपनी जीविका अर्जित करने की तथा अपनी सम्हाल करने की क्षमता खो दी हो ओर उसके भरण पोषण के लिये उसे सहारा देने वाला कोई न हो।

(ii) भूमिहीन होने के कारण अपनी जीविका अर्जित करने में असमर्थ हों तथा उसके भरण पोषण के लिये सहायता देने वाले कोई न हो।

(iii) यदि उसके पुत्र/पौत्र भूमिहीन हैं या उनके पास भूमि या संपत्ति होते हुये भी जीविकोपार्जन के लिये पर्याप्त आमदनी न हो।

(3) पेंषन की दर

राज्य शासन द्वारा पेंषन की दर समय–समय पर प्रषासकीय आदेष द्वारा नियत की जा सकेगी। इसमें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा समय–समय पर प्रषासकीय आदेष से नियत राषि भी निहित होगी। वर्तमान मे पेंषन की दर रू. 150.00 प्रति माह ही निर्धारित की जाती है। पेंषन के लिये पात्र सभी व्यक्तियों को एक समान रूप से इस पेंषन का भुगतान किया जायेगां क्योंकि पेंषन की राषि विभिन्न स्त्रोतों से उपलब्धहोगी, अतएव किस मद से कौन सी पेंषन की राषि आहरित की जायेगी उसके बारे में स्थिति आगे स्पष्ट की जा रही है।

(i) 65 वर्ष या अधिक उम्र के निराश्रित वृद्धों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना के तहत सहायता की पात्रता है। अब राज्य शासन की सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना तथा भारत सरकार की राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना को एकीकृत कर दिया गया है। एकीकरण के फलस्वरूप इन लोगों को दी जाने वाली पेंषन की राषि में से उतनी राषि, जो राष्ट्रीय

वृद्धावस्था पेंषन योजना के तहत देय है, (आज की स्थिति में राषि रू. 75.00) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना के पेटे डाली जावेगी तथा शेष राषि, (आज की स्थिति में राषि रू. 75.00) राज्य शासन के खाते में प्रदाय की जावेगी ।

(ii) 65 वर्ष से कम उम्र के हितग्राहियों को राज्य शासन` खाते से ही पेंषन प्रदान की जायेगी।

(iii) राज्य शासन के आदेष क्रमांक 667/प्र.स./स.स./92 दिनांक 4.4.92 द्वारा जीवन रेखा योजना के तहत 5 कि.ग्रा. प्रतिमाह की दर से अनाज भी नकद राषि के साथ–साथ दिया जा रहा था। अब खाद्यान के रूप में उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता समाप्त कर इसके स्थान पर नकद पेंषन की उपलब्ध होगी, जिसका समावेष ऊपर लिखित कण्डिका में दी गई राषि में कर लिया गया है।

(iv) पेंषन का आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :

1. सामाजिक सुरक्षा पेंषन प्रारूप–1 जिसमें पांच भाग हैं, में मुद्रित आवेदन–पत्र नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/जनपद पंचायत द्वारा निःषुल्क उपलब्ध कराया जावेगा। ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत द्वारा मुद्रित फार्म प्रत्येक ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराये जायेंगे, जो इन्हें आवेदकों को उपलब्ध कराएगी। मुद्रित आवेदन–पत्र उपलब्ध नहीं होने की दषा में निर्धारित प्रारूप में सादे कागज पर आवेदन दिया जा सकेगा।

2. कोई भी निराश्रित, जो पात्रता सम्बन्धी अपेक्षाओं की पूर्ति करता है, प्ररूप–1 पर निर्धारित आवेदन पत्र (यथा आवष्यक भाग–दो से पांच का प्रमाण–पत्र सहित) भरकर शहरी क्षेत्र की दषा में नगर पालिका/नगर निगम/नगर पंचायत/ में तथा ग्रामीण क्षेत्र की दषा में ग्राम पंचायत में जमा करेगा। सम्बन्धित स्थानीय संस्था द्वारा आवेदक की पावती दी जाएगी। ग्राम पंचायत प्राप्त सभी आवेदन–पत्रों को यथा आवष्यक जांच कराकर अपने अभिमत सहित सात दिवस के अन्दर जनपद पंचायत को अग्रेषित करेगी।

3. शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायम तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम/पंचायत प्ररूप–2 में एक रजिस्टर रखेगी, जिसमें वह ग्राम पंचायत या शहरी क्षेत्र के निराश्रितों से या अन्य स्त्रोंतों से प्राप्त आवेदन पत्र दर्ज करेगी, किन्तु रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के पहले निम्न शर्तों को पूरा करना आवष्यक है –

(क) (1) वयस्क आवेदक की स्थिति में निराश्रित को आयु का प्रमाणीकरण निर्वाचक नामावली में अंकित आयु के आधार पर सरपंच अथवा शहरी क्षेत्र की दषा में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के महापौर/प्रषासन/अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

(2) निराश्रित अवयस्क होने की स्थिति में आयु का प्रमाणीकरण नगर पालिका/नगर निगम/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत की जन्म पंजी/चिकित्सक का प्रमाण पत्र के अधार पर माना जायेगा।

(ख) निराश्रित होनेताि आवेदक के भूमिहीन अथवा आय के पर्याप्त साधन न होने का प्रमाणीकरण सरपंच अथवा शहरी क्षेत्र की दषा में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचात के महापौर/प्रषासक/अध्यक्ष द्वारा प्रधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया हो।

(ग) यदि आवेदक विकलांक है तो, विकलांगता के सम्बन्ध में चिकित्सा अधिकारी का प्रमाणीकरण हो।

(घ) यदि आवेदक विकलांग होकर 6 से 14 वर्ष तक का शालेय छात्र है तो आयु एवं नियमित छात्र होने सम्बन्धी प्राचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा प्रमाणी करण किया गया हो।

(च) यदि आवेदक परित्यक्ता है तो उस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के संबंधित वार्ड मेम्बर द्वारा प्रमाणीकरण किया गया हो।

(5) पेंषन मंजूर करने की प्रक्रिया :–

1. शहरी क्षेत्र की दषा में नगर निगम/ नगर पालिका/नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत में प्राप्त आवेदन–पत्रों के परीक्षण उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी उन्हें अपनी टीप के साथ जनपद पंचायत अथवा नगर निगम/नगर पालिका/ नगर पंचायत की अगली बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत करेंगे।

2. शहरी क्षेत्र की दषा में नगर निगम/नगर पालिका/ नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र की दषा में जनपद पंचायत को प्राप्त आवेदन पत्रों पर सामाजिक सुरक्षा पेंषन स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार होगा। किन्तु जनपद पंचायत/नगरीय निकायों के लिये आवष्यक होगा कि कोई आवेदन अस्वीकृत करने की दषा में उसके कारणों का भी उल्लेख करें।

3. स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को पंजीकृत आवेदन पत्र पर आवेदन कार्यालय में प्राप्ति के अधिकतम 60 दिन के अन्दर निर्णय ले कर आवेदक को सूचित करना आवष्यक होगा। पेंषन स्वीकृत या अस्वीकृत करने सम्बन्धी निर्णय की सूचना आवेदन को प्रारूप–3 में दी जावेगी।

4. पेंशन की पात्रता होने की स्थिति में पेंषन राषि आवेदन–पत्र पंजीयन होने के माह से स्वीकृत की जावेगी।

5. सामाजिक सुरक्षा पेंषन प्राप्त कर रहे निराश्रित की मृत्यु होने या अन्यथा अपात्र पाए जाने की सूचना मिलने पर अगले माह से पेंषन राषि का भुगतान बन्द कर दिया जावेगा। ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय के संबंधित वार्ड मेम्बर/पार्षद से अपेक्षा है कि वे पेंषनर की मृत्यु होते ही जनपद पंचायत को/नगरीय को सूचना देगें। (ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम पंचायत के माध्यक से सूचना देगें।)

(6) स्थानीय निकाय के आदेष के विरूद्ध अभ्यावेदन एवं समिति द्वारा स्वमेव जांच :–

1. (क) जनपद पंचायत/स्थानीय निकाय के आदेष के विरूद्ध आवेदक/सम्बन्धित ग्राम पचायत/मामले में हित रखने वाले अन्य किसी व्यक्ति द्वारा अभ्यावेदन सम्बन्धित अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकेगा। अनुविभागीय अधिकारी जांच उपरांत यदि यह पाते हैं कि पात्रता के बावजूद पेंषन स्वीकृत नहीं की गई है तो वे स्वीकृति जारी कर सकेंगे। इसी प्रकार से यदि यह पाया जाता है कि अपात्र व्यक्तियों को पेंषन स्वीकृत की गई है तो वे पेंषन स्वीकृति आदेष भी निरस्त कर सकेंगे।

   (ख) अनुविभागीय अधिकारी को अभ्यावेदन के अतिरिक्त प्रकरणों की सेम्पल (रेण्डम) आधार पर अथवा अन्यथा आवष्यकता होने पर निम्नानुसार समिति द्वारा भी जांच की जा सकेगी :–

1. अनुविभागीय अधिकारी	अध्यक्ष
2. उप संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
3. ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में संबंधित जनपद पंचायत के एक प्रतिनिधि व शहरी क्षेत्र की स्थिति में संबंधित नगरीय निकाय के एक प्रतिनिधि	सदस्य

यह समिति स्वऐव भी स्वीकृत पेंषन प्रकरणों का परीक्षण कर उन पर यथा योग्य आदेष पारित कर सकेगी।

2. संबंधित जनपद पंचायत/स्थानीय निकाय उपरोक्तानुसार उप कंडिका। (क) एवं । (ख) की जांच में अपात्र पाये गये व्यक्तियों की पेंषन तत्काल बंद कर भुगतान की जा चुकी राषि की वसूली की कार्यवाही भी करा सकेगी।

(7) पेंषन आवंटन एवं भुगतान की प्रक्रिया :–

(अ) आबंटन की प्रक्रिया –

(1) राज्य शासन के निर्णय अनुसार सभी श्रेणी के पात्र हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंषन राषि रूपये 150/– प्रतिमाह की दर से भुगतान की जाना है। सामाजिक सुरक्षा पेंषन

योजना के अन्तर्गत 65 वर्ष से कम आयु के पात्र हितग्रहियों के लिये राषि रूपये 150/– प्रतिमाह की दर से तथा 65 वर्ष या अधिक उम्र के हितग्राहियों के लिये राषि रूपये 75/– प्रतिमाह की दर से आबंटन राज्य शासन के बजट से जिला उप संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा को उपलब्ध कराया जावेगा। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना के अन्तर्गत 65 वर्ष या अधिक उम्र के पात्र हितग्राहियों के लिये राषि रूपये 75/– प्रतिमाह प्रति व्यक्ति के मान से भारत सरकार द्वारा सीधे जिला पंचायतों को राषि उपलब्ध कराई जाती है।

(2) जिला उप संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा द्वारा राज्य शासन के हिस्से की राषि पेटे संबंधित जनपद पंचायत अथवा नगरीय निकायों को हितग्राहियों की संख्या के आधार पर अधिकतम तीन माह की आवष्यकता के बराबर राषि आहरित कर तीन माह में एक बार अग्रिम रूप रूप में उपलब्ध कराई जावेगी। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना के अंतर्गत जिला पंचायत संबंधित जनपद पंचायत अथवा नगरीय निकाय को उपरोक्तानुसार तीन माह की आवष्यकता के अंतर्गत जिला पंचायत संबंधित जनपद पंचायत अथवा नगरीय निकाय उपरोक्तानुसार तीन माह की आवष्यकता के बराबर राषि अग्रिम के रूप में उपलब्ध करायेगी।

(3) उपरोक्त उप कंडिका–2 अनुसार प्राप्त अग्रिम राषि में से जनपद पंचायत/नगरीय निकाय उसके द्वारा स्वीकृत की गें पेंषन की राषि का भुगतान करने की व्यवस्था करेगी। तदुपरांत अग्रिम के विरूद्ध दो माह का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करते हुए स्वीकृत पेंषन की राषि के आधार पर जनपद पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा राज्य शासन के हिस्से पेटे उप–संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा को तथा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना के हिस्से पेटे जिला पंचायत को आवष्यक धनराषि हेतु प्रस्तुत की जावेगी। मांग प्राप्त होने पर संबंधित एजेन्सी द्वारा राषि जनपद पंचायत/नगरीय निकाय को तत्काल उपलब्ध कराई जावेगी, ताकि संबंधित जनपद पंचायत/नगरीय निकाय के पास हितग्राहियों को भुगतान हेतु पर्याप्त अग्रिम राषि उपलब्ध रहे।

(4) संबंधित जनपद पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा दोनों योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त रषि एवं व्यय का लेखा–जोखा पृथक–पृथक रखा जावेगा।

(ब) भुगतान की प्रक्रिया –

(1) ग्रामीण क्षेत्र के लिए जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के लिए नगरीय निकायों द्वारा पेंषन का भुगतान बैंक/पोस्ट आफिस में खाते खोलकर उनके माध्यम से अथवा मनीआर्डर के जरिये सामान्यतः किया जाएगा। संबंधित आवेदक को पेंषन की स्वीकृति के तत्काल पश्चात् स्वयं का बचत खाता बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में खोलना होगा। इस कार्य में विभागीय अमला आवेदक की पूर्ण मदद करेगा।

(2) 65 वर्ष या अधिक आयु के हितग्राहियों को पेंषन का भुगतान मनीआर्डर के जरिये भेजने की दषा में मनीआर्डर फार्म एवं कमीषन राषि का प्रभार राष्ट्रीय वृद्धवस्था पेंषन योजना के

प्रषासकीय पद में उपलब्ध कराई गई राषि से किया जा सकेगा। शेष हितग्राहियों के लिए पूर्वानुसार राज्य शासन द्वारा व्यय का वहन किया जाएगा। यदि मनीआर्डर अप्रेषित लौट आता है और यदि संबंधित निराश्रित रकम भुगतान के लिए आवेदन करें तो समुचित परीक्षण करने के उपरांत जनपद पंचायत/नगरीय निकाय उक्त निराश्रित को मनीआर्डर फार्म एवं मनीआर्डर कमीषन की रकम काटकर शेष राषि का मनीआर्डर द्वारा भुगतान करेगी।

(3) अपवाद स्वरूप ऐसे ग्रामीण क्षेत्र, जहां पर दस किलोमीटर की दूरी के अन्दर पोस्ट ऑफिस या बैंक नहीं है, वहां नितांत आवश्यकता पड़ने पर ग्राम पंचायत की बैठक में नकद में पेंषन राषि का भुगतान किया जा सकेगा, किन्तु यह अपवाद स्वरूप होगा व नगद भुगतान के लिए सतर्कता के बतौर निम्न प्रक्रिया का पालन अनिवार्यताः किया जावे :–

(अ) भुगतान प्रतिमाह ग्राम पंचायत की पूर्ण बैठक में किया जावे।

(ब) भुगतान के समय सरपंच/उस क्षेत्र के पंच/पटवारी/पंचायत सचिव में से कम से कम दो व्यक्ति उपस्थित रहें।

(4) पेंषन का भुगतान उसी तरह से नियमित रूप से होता रहे जिस तरह शासकीय कर्मचारियों की पेंषन का भुगतान होता है।

(5) प्रत्येक जनपद पंचायत/नगरीय निकाय संलग्न प्रारूप–4 के अनुसार पेंषन राषि वितरण का विवरण रजिस्टर संधारित करेगी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, जिसको पेंषन स्वीकृत की गई है, का पूर्ण ब्यौरा होगा और ऐसे व्यक्ति को कितनाव किस माध्यम से भुगतान किया जा रहा है, उसक उल्लेख होगा।

उक्त रजिस्टर तीन प्रतियों में संधारित किया जावेगा, जिसमें से दो प्रतियां रफोरेटेड होंगी। परफोरेटेड प्रतियों में से एक–एक प्रति उप–संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को प्रारूप–5 में निर्धारित मासिक प्रतिवेदन के साथ भेजी जावेगी।

(6) यदि कोई हितग्राही लगातार तीन माह या इससे अधिक अवधि तक पेंषन प्राप्त करने हेतु उपलब्ध नहीं होता है तो ऐसे हितग्राही की पेंषन का भुगतान रोक दिया जावेगा तथा हितग्राही का आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर एवं समुचित कारण होने पर अध्यक्ष, जनपद पंचायत/नगर पालिका/नगर पंचायत/महापौर, नगर निगम का लिखित अनुमोदन प्राप्त करके ही उक्त हितग्राही को पेंषन का भुगतान पुनः जारी किया जा सकेगा।

(8) अभिलेखों का संधारण :

1. शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम/जनपद पंचायत पेंषन हेतु आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्रों का पंजीयन तथा स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में विवरण प्रारूप–2 में रजिस्टर में संधारण करेगी।

2. शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत द्वारा पेंषन का मासिक प्रतिवेदन प्रारूप–5 में (प्रारूप–4 की जानकारी सहित) जिला उप संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को भेजा जावेगा।

3. जिला उप संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा द्वारा दोनों योजनाओं के अंतर्गत पेंषन के वितरण संबंधी मासिक प्रतिवेदन प्रारूप–6 में संचालनालय, पंचायत एवं समाज सेवा को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्रेषित किया जावेगा।

(9) अभिलेखों का निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण :

1. अभिलेखों का निरीक्षण जिला उप–संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा प्रति त्रैमास तथा संभागीय संयुक्त संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा प्रत्येक छः माह में करेंगे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन संचालनालय, पंचायत एवं समाज सेवा को भेजेंगे।

2. भारत सराकर, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों द्वारीाी अभिलेखों का निरीक्षण/परीक्षण किया जा सकेगा।

3. महालेखाकार, मध्यप्रदेष के अधिकारियों द्वारा भी लेखाओं का निरीक्षण/परीक्षण किया जा सकेगा।

4. पंचायत एवं समाज सेवा संचालनालय के अधीनस्थ अंकेक्षण दल से प्रतिवर्ष आडिट कराया जावेगा, तथा आवश्यकता होने पर संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा द्वारा विषेष आडिट दल भेजकर आडिट कराया जा सकेगा।

(10) सामान्य :

वह व्यक्ति जिसे पेंषन मंजूर की गई हो उस रकम का अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेगा।

प्रारूप–1

(भाग–एक)

एकीकृत वृद्धावस्था एवं सामाजिक सुरक्षा पेंषन हेतु आवेदन पत्र

(निराश्रित आवेदक द्वारा भरा जावे)

1. आवेदक का नाम ..... पिता/पति .....

जाति .....

2. आवेदक की आयु .....

3. आवेदक के मूल निवास स्थान का पूर्ण पता .....

4. आवेदक के मूल निवास स्थान का पूर्ण पता .....

5. यदि विधवा/परित्यक्ता हो तो पति की मृत्यु/पति द्वारा छोड़ दिये जाने का दिनांक

अ. परित्यक्ता होने की स्थिति में स्थानीय पार्षद .....

अथवा ग्राम पंचायत के पंच क प्रमाणीकरण संलग्न करें

6. यदि विकलांग है तो विकलांगता का प्रकार .....

अ. चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न करें.

ब. विकलांग छात्र स्कूल में अध्ययनरत होने का शालेय प्रमाण पत्र संलग्न करें.

7. आवेदक के परिवार के सदस्यों की जानकारी :–

क्रमांक	नाम	संबंध	आयु	व्यवसाय	मासिक आमदनी
1					
2					
3					
4					
5					

8. (अ) क्या आवेदक भूमिहीन है ? .....

(ब) क्या आवेदक का भरण–पोषण करने वाला कोई नहीं है ? .....

(स) यदि आवेदक भूमिहीन नहीं है तो स्वयं/पति/ .....

पत्नी/पुत्र/पौत्र के नाम भूमि/मकान आदि .....

का विवरण दें .....

(द) कण्डिका 8 (स) से मासिक आय रूपये .....

(इ) क्या कण्डिका 8 (स) में अंकित सम्पत्ति तथा 8 (द) में अंकित

आय परिवार के भरण पोषण के लिये पर्याप्त है ?

9. क्या आवेदक को राज्य शासन अथवा किसी स्थानीय संस्था से भरण–पोषण हेतु कोई राषि प्राप्त कहो रही है ? हॉ तो कितनी और किस रूप में .....

10. वर्तमान में जीविका का क्या साधन है .....

संलग्न :–

1. विकलांगता का प्रमाण–पत्र
2. निराश्रित का प्रमाण–पत्र
3. 6 से 14 वर्ष की उम्र के विकलांग छात्र का स्कूल जाने का शालेय प्रमाण पत्र
4. परित्यक्ता संबंधी प्रमाण पत्र.

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी .....पिता/पति .....निवासी..... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूॅ/करती हूॅ कि ऊपर बताई गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही है। यदि ऊपर लिखी जानकारी असत्य पाई जावे तो शासन नियमानूसार कार्यवाही कर सकेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

(6 से 18 वर्ष के विकलांग की स्थिति में पालक के हस्ताक्षर)

एकीकृत वृद्धावस्था एवं सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना हेतु प्राप्त आवेदन–पत्र की अभिस्वीकृति

एकीकृत वृद्धावस्था एवं सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु –

श्री / श्रीमती / कुमारी .....पता.....का आवेदन पत्र आज दिनांक .....को नगर पंचायत / नगर पालिका / नगर निगम / ग्राम पंचायत.....कार्यालय में प्राप्त हुआ।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

एवं नाम व पद मुद्रा

प्रारूप–1

(भाग–दो)

विकलांगता प्रमाण–पत्र

मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी.....को जो ग्राम/नगर..... तहसील.....जिला.....का/की निवासी हैं का स्वास्थ्य परीक्षण तारीख.....को किया है।

मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... (उपर्युक्त आवेदक) जिसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निषान नीचे प्रमाणित है। वह षिथिलांग/दृष्टिहीन/मूक/बधिर/ निःषक्त है।

आवेदक के हस्ताक्षर	(चिकित्सक का पूरा नाम लिखा जावे)
निषानी अंगूठा	पद.....
अभिप्रमाणित	नाम .....
चिकित्सक के हस्ताक्षर	राज्य शासन/स्थानीय निकाय
पद की सील सहित	के चिकित्सा अधिकारी के पद की सील सहित

स्थान .....

दिनांक .....

प्रारूप–1

(भाग–तीन)

निराश्रित/आयु/अचल सम्पत्ति का प्रमाण–पत्र

(यह प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा तथा शहरी क्षेत्र के लिये नगरनिगम/नगरपालिका/नगर पंचायत द्वारा दिया जावेगा)

मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि आवेदक का नाम (वल्दियत सहित)..... निवासी (वर्तमानपूर्ण पता सहित) .....वृद्ध/विकलांग/विधवा/परित्यक्ता है। आवेदक वयस्क है तथा निर्वाचक नामावली के आधार पर आवेधक की वर्तमान आयु वर्ष..... है/आवेदक अवयस्क है तथा ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा संधारित जन्म पंजी या चिकित्सक के प्रमाणपत्र के प्रमाणपत्र या स्कूल के प्रमाणपत्र के आधार पर आवेदक की वर्तमान आयु .....वर्ष है।

(1) आवेदक पूर्णतः निराश्रित है क्योंकि :–

(अ) आवेदक भूमिहीन है अथवा उसके पास आय के पर्याप्त साधन नहीं है।

या

(ब) उसके पूत्र/पौत्र भूमिहीन है या उनके पास भूमि/सम्पत्ति होते हुए भी जीविकोपार्जन के लिये वर्तमान अर्जित आमदनी पर्याप्त नहीं होने से आवेदक का भरण–पोषण करने में असमर्थ है।

(2) आवेदक 6 से 14 वर्ष का विकलांग शालेय छात्र है तथा उसके परिवार की समस्त स्त्रोतों से होने वाली वार्षिक आय राषि रूपये.....है जो गरीबी की रेख हेतु शासन द्वारा निर्धारित सीमा से कम है।

(3) आवेदक मध्यप्रदेष का मूल निवासी है।

प्रमाणकर्ता के हस्ताक्षर
(नाम एवं पदनाम सहित)
ग्राम पंचायत/नगरनिगम/
नगरपालिका पंचायत द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

स्थान .....

दिनांक .....

प्रारूप–1

(भाग–चार)

6 से 14 वर्ष की आयु के विकलांग शालेय छात्र के संबंध में प्रमाण–पत्र

(यह प्रमाण पत्र स्कूल के प्राचार्य/प्रधान अध्यापक द्वारा प्रदान किया जावेगा)

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि (आवेदक का नाम वल्दियत सहित).....
निवासी (वर्तमान पूर्ण पता सहित) .....
को शालेय रिकार्ड के आधार पर जन्म तिथि.....है एवं आयु वर्ष .....है तथा
आवेदक (स्कूल का नाम) .....की कक्षा.....
का नियमित छात्र है।

प्राचार्य/प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर

(नाम एवं पद मुद्रा सहित)

स्थान .....

दिनांक .....

प्रारूप–1

(भाग–पांच)

परित्यक्ता महिला होने का प्रमाण पत्र

(यह प्रमाण पत्र आवेदक के ग्रामीण क्षेत्र के निवासी होने की स्थिति में ग्राम पंचायत के संबंधित वार्ड के पंच तथा शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के संबंधित क्षेत्र में पार्षद द्वारा प्रदाय किया जावेगा।)

मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि (आवेदक का नाम).....(पिता का नाम).....निवासी (वर्तमान पूर्ण पता सहित) ..... पति .....द्वारा इन्हें दिनांक .....से परित्याग किया गया है। श्रीमती .....अब परित्याक्ता के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रही है।

स्थान .....

दिनांक .....

पंच/पार्षद

ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम/नगर पंचायत

जिला .....म.प्र.

प्रारूप–2

एकीकृत वृद्धावस्था एवं सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के पंजीयन का रजिस्टर (ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगर पंचायत/नगरपालिका/नगर निगम स्तर पर संधारित होगा)

वित्तीय वर्ष.....

क्रमांक	आवेदन पत्र प्राप्ति का दिनांक	आवेदक का पूरा नाम व पता	वर्ग अ. जा/अ.ज. जा/पिछड़ा वर्ग/अन्य	लिंग	उम्र	निराश्रितों की श्रेणी विधवा/परिव्यक्ता/विकलांग/65 वर्ष या अधिक/65 वर्ष से कम
1			4	5	6	7

ग्राम पंचायत द्वारा जनपद पंचायत को प्रेषण करने का दिनांक	पेंशन स्वीकृत/अस्वीकृत	आदेश क्रमांक व दिनांक	पेंशन स्वीकृति की स्थिति में विवरण			अस्वीकृति का कारण	स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर व सील
			तिथि/माह जब से स्वीकृत की गई	केन्द्र स्कीम की राषि	राज्य स्कीम की राषि		
8	9	10	11	12	13	14	15

नोट–कॉलम न. 8 केवल ग्राम पंचायत के लिये है।

प्रारूप – 3

कार्यालय जनपद पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत

.....जिला.....म.प्र.

क्रमांक ..... दिनांक .....

श्री/श्रीमती/कुमार .....पुत्र/पुत्री/पत्नी..... निवासी ग्राम/नगर.....तहसील/विकास खण्ड..... जिला.....को जो कि वृद्ध/विधवा/परित्यक्ता/विकलांग हैं, जनपद पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/ नगर पंचायत की बैठक दिनांक ..... में लिये निर्णय अनुसार माह .....वर्ष.....से एतद् द्वारा :–

1. एकीकृत वृद्धावस्था तथा सामाजिक सुरक्षा पेंषन राषि रूपये 150/– प्रतिमाह के भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।
2. पेषन की पात्रता न होने से आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

पेंषन अस्वीकृति के कारण :–

हस्ताक्षर

(जनपद पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा अधिकृत अधिकारी)

पृष्ठ क्रमांक ..... दिनांक .....

प्रतिलिपि :–

1. उप संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा जिला.....को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु।
2. आवेदन.....को सूचनार्थ।

हस्तक्षर

(जनपद पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/ नगर पंचायत द्वारा अधिकृत अधिकारी)

प्रारूप –4

एकीकृत वृद्धावस्था एवं सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना के अंतर्गत हितग्रहियों को पेंषन राषि वितरण का विवरण रजिस्टर (जनपद पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम स्तर पर संधारित होगा)

माह .....वर्ष .....

अ.क्र.	ग्राम पंचायत /नगरीय निकाय का नाम	थ्हतग्राही का नाम	पता	वर्ग (अ. जा/अ.ज.जा. /पिछड़ा वर्ग/अन्य)	लिंग	उम्र	निराश्रित की श्रेणी (विधवा/परित्यक्ता/विकलांग/65 वर्ष या अधिक/65 वर्ष से कम)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

पेंशन स्वीकृति का विवरण			पेंशन भुगतान विवरण भुगतान का माध्यम					भुगतान की गई राषि		रिमार्क
स्वीकृति की तिथि/माह	केन्द्र स्कीम की राषि	राज्य स्कीम की राषि	बैंक का नाम व स्थान	पोस्ट आफिस का स्थान	बैंक/पोस्ट ऑफिस का खाता क्रमांक	मनीआर्डर से भुगतान (डाकघर का नाम व दिनांक)	ग्राम पंचायत के माध्यम से से नकदी भुगतान	केन्द्र स्कीम की राषि	राज्य स्कीम की राषि	
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

नोट– उक्त रजिस्टर तीन प्रतियों में संधारित किया जावेगा जिसमें से दो प्रतियाँ परफोरेटेड होगी। परफोरेटेड प्रतियों में से एक प्रति उप संचालक, पंचायत, समाज सेवा को तथा एक प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को भेजी जावेगी।

प्रारूप – 5

एकीकृत वृद्धावस्था एवं सामाजिक सुरक्षा पेंषन की मासिक जानकारी

जनपद पंचायत/नगरीय निकाय.....जिला.....माह.....वर्ष.....

(जनपद पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा उपसंचालक पंचायत एवं समाज सेवा को प्रेषित की जाने वाली जानकारी)

आबंटन

क्रमांक	विवरण	भारत सरकार का राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना के अन्तर्गत (जिला पंचायत द्वारा प्रदत्त राषि)	राज्य शासन की सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना अन्तर्गत (उपसंचालक पंचायत द्वारा प्रदत्त राषि)	
			शहरी क्षेत्र हेतु	ग्रामीण क्षेत्र हेतु
1	2	3	4	5
1. भारत सरकार की येाजनान्तर्गत जिला पंचायत से प्राप्त राषि में से गत वर्ष की शेष राषि :– 2. प्रतिवेदित वित्तीय वर्ष में विगत माह तक प्राप्त कुल राषि (संचयी) 3. प्रतिवेदित माह में प्राप्त राषि				

वितरण 5. प्रतिवेदित वित्तीय वर्ष में विगत माह तक किया गया व्यय (संचयी) 6. प्रतिवेदित माह में किया गया व्यय
शेष राषि

पेंशन राषि वितरण का माध्यम

क्र.	भुगतान का माध्यम	भारत सरकार की योजनान्तर्गत प्राप्त राषि में से			राज्य शासन की योजनान्तर्गत प्राप्त राषि में से					
		गत माह तक	प्रतिवेदित माह तक	योग	शहरी क्षेत्र हेतु प्राप्त राशि में से			ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्राप्त राशि में से		
					गत माह तक	गत माह तक	प्रतिवेदित माह तक	योग	गत माह तक	प्रतिवेदित माह तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. मनीआर्डर द्वारा 2. पोस्ट आफिस बचत खाते द्वारा 3. बैंक बचत खाते द्वारा 4. ग्राम पंचायतों के माध्यम से नकद राषि
योग

प्रशासकीय व्यय

भारत सरकार की योजनान्तर्गत प्राप्त राषि में से

क्र.	विवरण	प्रतिवेदित माह के अंत तक व्यय
1	2	3
1. मनीआर्डर कमीषन पर 2. जन जाग्रती एवं सूचना संचयन पर 3. प्रषिक्षण पर 4. विविध जैसे आवेदन पत्रों की छपाई इत्यादि पर		
	योग	

राज्य शासन की योजनान्तर्गत प्राप्त राषि में से

क्रं.	विवरण	प्रतिवेदित माह के अंत तक व्यय	
		शहरी	ग्रामीण
1	2	3	4
1. मनीआर्डर कमीषन पर			

हितग्राहियों का विवरण

क्र.	विवरण	अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य				योग			
		ग्रामीण		षहरी		ग्रामीण		षहरी		ग्रामीण		षहरी		ग्रामीण		शहरी	
		म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में हितग्राहियों की कुल संख्या अ. 65 वर्ष से कम उम्र के हितग्राही ब. 65 वर्ष या अधिक उम्र के हितग्राही																	
योग (अन्य)																	
2. गत माह तक भुगतान किये गये हितग्राहियों की कुल संख्या अ. 65 वर्ष से कम उम्र के हितग्राही ब. 65 वर्ष या अधिक उम्र के हितग्राही																	
योग (अन्य)																	
3. प्रतिवेदित माह में भुगतान किये गये हितग्राहियों की कुल संख्या अ. 65 वर्ष से कम उम्र के हितग्राही ब. 65 वर्ष या अधिक उम्र के हितग्राही																	
योग (अन्य)																	

प्रतिवेदित माह में भुगतान किये गये हितग्राहियों का विस्तृत विवरण

क्र.	विवरण	अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य				योग			
		ग्रामीण		षहरी		ग्रामीण		षहरी		ग्रामीण		षहरी		ग्रामीण		शहरी	
		म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. प्रतिवेदित माह में भुगतान किये गये 65 वर्ष से कम उम्र के हितग्राहियों की कुल संख्या क. विधवा/परित्यक्ता ख. 6 से 14 वर्ष के विकलांग शालेय छात्र ग. 14 वर्ष से अधिक किन्तु 65 वर्ष से कम उम्र के विकलांग घ. 60 वर्ष या अधिक उम्र के किन्तु 65 वर्ष से कम उम्र के अन्य निराश्रित वृद्ध																	
योग (क से घ तक)																	
2. प्रतिवेदित माह में भुगतान किये गये 65 वर्ष या अधिक उम्र के हितग्राहियों की कुल सख्या क. विधवा/परित्यक्ता ख. 65 वर्ष या अधिक उम्र के विकलांग ग. 65 वर्ष या अधिक उम्र के अन्य निराश्रित वृद्ध																	
योग (क से ग तक)																	
महायोग (1+2)																	

प्रतिवेदित माह में निराश्रितों की संख्या जिनकी पेंषन बंद की गई

1. मृत्यु होने पर

2. गलत जानकारी देने पर

3. अन्य कोई कारण

(कारण दर्षायें)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत/नगरयी निकाय
जिला.....

मध्य प्रदेष शासन,
समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/ 1273/1447/26–2/97 भोपाल, दिनांक 12 जून 1997

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त,
2. समस्त जिलाध्यक्ष,
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
4. समस्त संयुक्त संचालक/उप–संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा, म.प्र.
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, म.प्र.
6. समस्त आयुक्त, नगर निगम, म.प्र.
7. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, म.प्र.
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत , म.प्र.
9. समस्त सचिव, ग्राम पंचायत, म.प्र.

विषय – सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत सूचना के अधिकार बाबत निर्देष।

मध्यप्रदेष शासन, समाज कल्याण विभाग ने समस्त जन सामान्य को उपरोक्त तीनों योजनाओं के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के अधिकार को मान्य करते हुए निम्नानुसार निर्देष प्रसारित करता हैः–

1. किसी भी जन सामान्य के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अथवा आयुक्त/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत एवं सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त तीनों योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
2. आवेदन पत्र प्राप्त होने की दषा में सम्बन्धित अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह आवेदन प्राप्ति के दिनांक से 7 दिन के अन्दर सम्बन्धित आवेदक को सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना की जानकारी संलग्न प्रपत्र–1 के अनुसार उपलब्ध करायेगा और राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की जानकारी संलग्न प्रपत्र–2 के अनुसार उपलब्ध करायेंगे।
3. उपलब्ध करायी गयी जानकारी सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सत्यापित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
4. मध्यप्रदेष शासन, समाज कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 1/59/26–2/95 दिनांक 4.9.96 के द्वारा सुरक्षा पेंषन योजना का युक्तिकरण का आदेष जारी किया गया है जिसमें योजनान्तर्गत आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने से लेकर स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में पूर्ण निर्देष दिये गये हैं । इसी तरह से शासन के पत्र क्रमांक एफ 1/15/96/26–2 दिनांक 29.10.96 द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के सम्बन्ध में पूर्ण निर्देष दिये गये हैं। कोई भी जनसामान्य इन निर्देषों की प्रति प्राप्त करने का अधिकारी है। यदि आवेदक

इस सम्बन्ध में किसी भी स्तर पर आवेदन प्रस्तुत करता है तो से उसकी प्रति 7 दिन के अन्दर करा दी जायेगी।

5. इन समस्त योजनाओं की प्रति उपलब्ध कराने के लिये आवेदक से रूपये दो प्रति पृष्ठ (एक तरफ छायाप्रति) अथवा रूपये चार प्रति पृष्ठ (दोनों तरफ छायाप्रति) की दर से शुल्क प्राप्त किया जायेगा छायाप्रति कराने की सुविधा न होने की दषा में हस्तलिखित प्रति इसी दर पर प्रदाय की जायेगी। आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ ही अनुमानित राशि जमा करेगा तब ही उस पर कार्यवाही की जायेगी।
6. आवेदक का आवेदन और जमा की गयी राषि की पावती दी जायेगी तथा एक रजिस्टर में क्रमानुसार अंकित कर दी जायेगी। रजिस्टर में आवेदक का नाम, पता, आवेदन का दिनांक, चाही गयी जानकारी, जमा किया गया शुल्क, जानकारी प्रदान करने की नियत तिथि तथा जानकारी प्रदान करने का दिनांक की जानकारी अंकित की जायेगी।
7. समस्त अधिकारी अपने स्तर पर संधारित रजिस्टर का निरीक्षण कर समय–समय पर यह सुनिश्चित करेंगे कि जन सामान्य को चाही गयी जानकारी समय पर उपलब्ध करानी जा रही है या नहीं। यदि जानकारी समय पर प्रेषित नहीं की जायेगी तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही यथासतय प्रारम्भ की जायेगी।

कृपया इन निर्देषों का कड़ाई से पालन करें।

मध्यप्रदेष के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेषानुसार

(रतन पुरवार)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेष शासन, समाज कल्याण विभाग

पृष्ठां0 क्रमांक/1274/1447/26–2/97 भोपाल, दिनांक 12.6.97

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेष
2. सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, मध्यप्रदेष
3. निजि सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, मध्यप्रदेष
4. समस्त मंत्री/राज्य मंत्री, मध्यप्रदेष शासन, के निजि सचिव
5. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, वल्लभ भवन, भोपाल
6. आयुक्त, पंचायत एवं समाज सेवा की ओर आवष्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेष शासन, समाज कल्याण विभाग

प्रपत्र एक

सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना/ राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों के सम्बन्ध में (ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम द्वारा जानकारी दी जायेगी)

क.	आवेदन–पत्र प्राप्ति का दिनांक	आवेदक का पूरा नाम एवं पता	वर्ग अ. जा/अ.ज. जा/पि. वर्ग/अन्य	लिंग	उम्र	ग्राम पंचायत द्वारा जनपद पंचायत को प्रेषित करने का दिनांक	आवेदन–पत्रस्वीकृत/अस्वीकृत करने का दिनांक	अस्वीकृत करने का कारण	हितग्राहियों के राशि प्राप्त करने का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

स्थानीय निकाय द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रारूप – दो

राष्ट्रीय परिवार सहायता हेतु प्राप्त आवेदन–पत्र के सम्बन्ध में
(ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा दी जाने वाली जानकारी)

क्र.	आवेदक का पूरा नाम एवं पता	आवेदन–पत्र प्राप्ति का दिनांक	वर्ग अ. जा/अ.ज. जा/पिछड़ा वर्ग/अन्य	मृतक का नाम	मृतक की मृत्यु का दिनांक	मृतक की उम्र	मृत्यु का कारण	आवेदन–पत्र स्वीकृत/कारण अस्वीकृत करने के आदेष व दिनांक	अस्वीकृति का कारण	स्वीकृति की दषा मं विवरण बैंक/पोस्ट एवं राषि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

स्थानीय निकाय द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

पंचायत एवं समाज सेवा संचालनालय, मध्यप्रदेष

क्रमांक/रा.सा.स.यो/61/97/2872 भोपाल, दिनांक 22–12–1997

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेष
2. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेष।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेष।
4. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा, मध्यप्रदेष।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेष।
6. समस्त आयुक्त, नगर निगम, मध्यप्रदेष।
7. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मध्यप्रदेष।
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत, मध्यप्रदेष
9. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मध्यप्रदेष।
10. समस्त सचिव, ग्राम पंचायत, मध्यप्रदेष।

विषय :– सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में सूचना के अधिकार अन्तर्गत अपील की कार्यवाही।

मध्यप्रदेष शासन, समाज कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 1273/1447/26–2/97, दिनांक 12 जून 1997 से किसी भी जन सामान्य के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अथवा आयुक्त/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत एवं सचिव ग्राम पंचायत से सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के अधिकार सौंपे गये हैं। उक्त निर्देष में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित अधिकारी आवेदन प्राप्ति के दिनांक से 7 दिन के अन्दर संबंधित आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में जानकारी उपलबध करायेंगे।

आवेदक को समयावधि में जानकारी प्राप्त न होने पर वह संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अपील (आवेदन–पत्र) प्रस्तुत कर सकता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय में प्राप्त होने वाले अपील पत्रों का संधारण प्रारूप–1 में पंजीयन किया जायेगा, पंजीकृत अपील पत्रों में आवश्यक कार्यवाही कर आवेदक को 30 दिवस के अन्दर जानकारी उपलब्ध कराई जाये।

कृपया इन निर्देषों का कड़ाई से पालन करें।

संलग्न–प्रपत्र,

संचालक
पंचायत एवं समाज सेवा, मध्यप्रदेष

प्रारूप–1

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय में सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में सूचना के अधिकार के अन्तर्गत की जाने वाली अपील की संधारण पंजी

क्रमांक	आवेदक का नाम एवं पूर्ण पता	वर्ग (अ. जा/अ.ज. जा/पि. वर्ग/अन्य)	आवेदन/अपील प्राप्त होने का दिनांक	आवेदक द्वारा चाही गयी जानकारी का विवरण	कार्यालय का नाम एवं पता जहां से आवेदक ने जानकारी चाही थी	पूर्व के आवेदन का दिनांक	पूर्ण आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क जमा की गई है अथवा नहीं	आवेदक की जानकारी प्रदाय करने का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

मध्यप्रदेष शासन
समाज कल्याण विभाग मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

कमांक/एफ 2–52/99/26–2 भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2001

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेष
2. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेष
3. आयुक्त, पंचायत वं समाज सेवा, मध्यप्रदेष भोपाल
4. समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेष
5. समस्त आयुक्त, नगर निगम
6. समस्त आयुक्त संचालक/उप संचालक पंचातय एवं समाज कल्याण मध्यप्रदेष
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मध्यप्रदेष
8. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी
9. समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत
10. समस्त, सचिव ग्राम पंचायत, मध्यप्रदेष ।

विषय – सिटीजन चार्टर –पुनरीक्षित निर्देष।

संदर्भ– इस विभा के निर्देष एफ 1–32/92/26–2 दिनांक 25.5.1998 एवं एफ 2–52/99/26–2 दिनांक 7.7.2000

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि नागरिकों के दैनिक जीवन से सरोकार रखने वाले विभिन्न विभागों की गतिविधियों के संबंध में प्राप्त होनेवाले नागरिकों के आवेदनों/मांग पर निर्धारित समयसीमा से समुचित निर्णय लिया जाए। इस उद्देष्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित तालिका के कालम–2 में वर्णितय कार्य/गतिविध/योजनाओं का कालम 3 में बताए गये अधिकारियों द्वारा कालम 4 में बताई गई समयसीमा में कर लिया जाए। समय सीमा में आवेदन का निराकरण नहीं होने की स्थिति में समय पर निराकरण के लिए कालम 5 में दर्षाए गए अधिकारी के समक्ष षिकायत प्रस्तुत की जा सकती है। इस शिकायत के निराकरण के कालम में 6 में समय सीमा निर्धारित की गई है :–

दर्शाये गये अधिकारी के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है । इस शिकायत के निराकरण कालम 6 में समय–सीमा निर्धारित की गई है :–

क0	कार्य / गतिविधि / योजना का नाम	प्रभारी / विहिति अधिकारी	निपटारे की समय सीमा	निर्धारित समयावधि में जानकारी प्राप्त न होने पर जिस अधिकारी को शिकायत की जाना उसका पदनाम	शिकायत के निराकरण की समय सीमा
1	2	3	4	5	6
1	पेंशन स्वीकृति / (सामाजिक सुरक्षा / राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन) 1. नये आवेदकों हेतु पेंषन स्वीकृति 2. पेंषन का भुगतान 3. पेंषन के संबंध में शिकायत की जांच	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (ग्रामीण क्षेत्रों में) नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत (शहरी क्षेत्रों में)	60 दिन प्रतिमाह 5 तारीख एक माह	अनुविभागीय अधिकारी	15दिन
2	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (गरीबी रेखा के अंतर्गत)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (ग्रामीण क्षेत्रों में) नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत (शहरी क्षेत्रों में)	21 दिन	अनुविभागीय अधिकारी	15 दिन
3	विकलांग छात्रवृत्ति	उप संचालक पंचायत एवं समाज सेवा (षहरी क्षेत्र के लिए) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (ग्रामीण क्षेत्रों में)	30 दिन	अनुविभागीय अधिकारी कलेक्टर	15 दिन 15 दिन
4	विकलांगों का परिचय पत्र	उप संचालक पंचायत एवं समाज सेवा (शहरी क्षेत्र के लिए) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (ग्रामीण क्षेत्रों में)	30 दिन	क्लेक्टर	15 दिन
5	विकलांगों का आर्थिक पुर्नवास – 1. ऋण प्रकरण तैयार करना 2. बैंकों से ऋण	म0प्र0 पिछड़वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम / म0प्र0 आदिवासी वित्त एवं विकास निगम / म0प्र0	 1 माह 1 माह	कलेक्टर	 15 दिन

	स्वीकृति 3. व्यवसाय स्थापित करना 4. वृति कर हेतु प्रमाण पत्र	अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, म0प्र0 वि0 विकास समिति	7 दिन —	— —	— —
6	संस्थागत अनुदान (स्वैच्छिक संस्था को मान्यता एवं अनुदान) 1. आवेदन पत्र की जांच एवं परीक्षण 2. जिला योजना समिति के समक्ष प्रस्तुति 3. जिला योजना समिति के अनुमोदन उपरांत भुगतान (अथवा वरिष्ठ कार्यालय को अग्रेषण)	उप संचालक पंचायत एवं समाज सेवा कृते कलेक्टर	21 दिन 1 माह 15 दिन (बजट उपलब्ध होने पर)	क्लेक्टर	15 दिन
7	सेवा निवृत/मृत्यु पर— 1. अवकाष नगदीकरण की स्वीकृति 2. उपादान एवं पेशन 3. परिवार कल्याण निधि का भुगतान 4. सामान्य भविष्य निधि का भुगतान 5. परिवार अनुग्रह राषि (एक्सग्रेसिया) 6. अन्य भुगतान	कार्यालय प्रमुख	एक माह एक माह तीन माह तीन माह तीन दिन एक माह	जिला प्रमुख/विभागाध्यक्ष	15 दिन 15 दिन 15 दिन 15 दिन 7 दिन 15 दिन
8	सूचना क अधिकार के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों में नकल प्रदाय	कार्यालय/जिला/सस्था प्रमुख	15 दिन	क्लेक्टर/विभागाध्यक्ष	15 दिन
9	सूचना के अधिकार के अंतर्गत अभिलेखों के अवलोकन की सूचना देना	कार्यालय/जिला/ संस्था प्रमुख	15 दिन	क्लेक्टर/विभागाध्यक्ष	15 दिन
10	सूचना के अधिकार के अंतर्गत अभिलेखों के अवलोकन की सुविधा देना	कार्यालय/जिला/ संस्था प्रमुख	15 दिन	क्लेक्टर/विभागाध्यक्ष	15 दिन

2. सिटीजन चार्टर के तहत वर्णित विभिन्न प्रकार के आवेदनों को यदि विहित अधिकारी/प्रभारी अधिकारी द्वारा समय पर निराकरण किया जाता और न ही अपील कर्ता पर संबंधित अधिकारी समय–सीमा में कार्यवाही नहीं की जाती है तब ऐसी स्थिति में आम नागरिक राज्य शासन को ई–मेल पर अथवा सीधे आवेदन कर सकते हैं।

3. सिटीजन चार्टर के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिष्चित की जाए –

1. सिटीजन चार्टर के अनुसार सेवाऐं प्रदान किए जाने के संबंध में समय सीमा दर्षाते हुए प्रत्येक कार्यालय के बाहर एक बोर्ड लगाया जाए।
2. इस व्यवस्था के तहत परिषिष्ट ''अ'' में बताये गये विषय पर संबंधित कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने पर विहित/प्रभारी अधिकारियों द्वारा आवेदनों का सकारात्मक रूप से तकनीकी आधार पर आवेदन निरसत नहीं किये जाये।
3. सिटीजन चार्टर के अंतर्गत कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर विहित अधिकारी द्वारा तुरंत आवेदन को आवेदन पत्र प्राप्ति की पावती दी जाये जिसमें आवेदन पत्र में पायी गई कमियां निराकरण की समय सीमा तथा समय सीमा में कार्यवाही न होने पर जिस अधिकारी को शिकायत की जाना है उसके पदनाम का उल्लेख किया जाये। (पावती का प्रारूप संलग्न है परिशिष्ट –ब)
4. आवेदन पत्र प्राप्त होने तथा उसके निराकरण की प्रविशिष्ट रजिस्टर की जाये ताकि कभी निराकरण किया गया तथा कितने आवेदन पत्र निराकरण हेतु शेष हैं।
5. सिटीजन चार्टर के अंतर्गत यदि आवेदक को निर्धारित समय सीमा मं जानकारी प्राप्त होती है तो जिम्मेदारी अधिकारी के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1985 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. सिटीजन चार्टर का क्रियान्वयन ठीक तरह से हो इसके लिये आवश्यक है कि कार्यालय के सभी अधीनस्थ अधिकारी / कर्मचारियों को सिटीजन चार्टर की धारणा, उद्देश्य एवं व्यवस्था का ज्ञान हो। इसकी पूर्ति के लिये कृपया सभी अधिनस्थ अधिकारी / कर्मचारियों का इन निर्देशों के बारे में एक बैठक आयोजित कर प्रशिक्षित करें और समय समय पर आवश्यक समझाईश दें।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई के साथ पालन सुनिश्चित किया जाये।

हस्ता0/–
(अजिता बाजपेयी पाण्डे)
सचिव
मध्यप्रदेष–शासन
समाज कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक / एफ 2–52 / 99 / 26–2 भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2001

प्रतिलिपि

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेष, ग्वालियर
3. सचिव, मध्यप्रदेष विधान सभा, भोपाल
4. विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं अधीनस्थ कार्यालयों में इन निर्देषों का पालन सुनिष्चित कराने के लिए।
5. निज सचिव / निज सहायक
   माननीय मुख्यमंत्री जी / उप मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेष शासन,
6. सचिव, मध्यप्रदेष शासन, सामान्य प्रषासन विभाग की ओर टीप क्रमांक यू.ओ. क्रमांक / 344 एफ 11–52 / 99 / 1 / 9 दिनांक 3.7.2001 के संदर्भ में दो अतिरिक्त प्रति सहित

हस्ता0 / –
अवर सचिव
मध्यप्रदेष–शासन
समाज कल्याण विभाग

आवेदन पत्र पावती का प्रारुप

विभाग/कार्यालय का नाम.....

क्रमांक..... दिनांक.....

प्रति,

.....
.....
.....

विषयः– .....

संदर्भः– आपका आवेदन पत्र दिनांक.....

महोदय,

आपका उपरोक्त आवेदन पत्र दिनांक ..... को इस विभाग/कार्यालय में प्राप्त हुआ है, आवेदन पत्र में निम्नांकित कमियां पाई गई हैः–

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

(अ) आवेदन पत्र का निराकरण दिनांक..... तक किया जा सकेगा
(ब) उपरोक्त कमियों की पूर्ति होने पर..... दिन में आवेदन पत्र का निराकरण किया जावेगा।
(स) निर्धारित समयावधि में आपको जानकारी प्राप्त न होने/आवेदन पत्र का निराकरण न होने पर ..... (पदनाम) को आप अपील/शिकायत कर सकते है।

भवदीय

( )

मध्यप्रदेष शासन
समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक – एफ 2–8/2003/26–2 भोपाल, दिनांक 2.5.2003

प्रति,

1. आयुक्त , पंचायत एवं समाज कल्याण, म.प्र. भोपाल।
2. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेष।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेष।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत मध्यप्रदेष।
5. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण, मध्यप्रदेष।
6. समस्त आयुक्त/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत, मध्यप्रदेष।

विषय :– राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का क्रियान्वयन हेतु सिटीजन चार्टर।

संदर्भ :– इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 2–52/99/26–2, दिनांक 19.7.2001

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान में सिटीजन चार्टर के बिन्दु क्रमांक–2 में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अन्तर्गत प्राप्त हाने के 21 दिवस के भीतर स्वीकृत/ निराकरण किये जाने की समय–सीमा निर्धारित है।

2. जब राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन–पत्र होने के 15 दिवस के भीतर ही निराकरण कर स्वीकृत प्रकरणों में भुगतान की कार्यवाहीं सुनिष्चित की जाये। सिटीजन चार्टर के पुनरीक्षित चार्ट संलग्न प्रेषित है।

3. कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही निर्धारित समय–सीमा में की जाना सुनिष्चित करने का कष्ट करें तथा सिटीजन चार्टर के बोर्ड में भी उपरोक्तानुसार संषोधन कर लें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(ए.के. जेन)
उप सचिव
मध्यप्रदेष शासन
समाज कल्याण विभाग

सिटीजन चार्टर

क्र.	योजना का नाम	आवेदक की योग्यता/पात्रता	आवेदन का निर्धारित प्रारूप	आवेदन–पत्र के साथ आवष्यक दस्तावेज जो संलग्न किया जाना है	देय फीस	अवेदन किसे प्रस्तुत किया जावेगा	स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी	आवेदन के निराकरण की अवधि/समय –सीमा	अपीलीय प्राधिकारी	अपील निराकरण की समय–सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	राष्ट्रीय परिवार सहायता	1. गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के ऐसे सदस्य जिसकी कमाई से ही परिवार का अधिकांष गुजारा चलता है। 2. मृतक व्यक्ति की आयु 18वर्ष या इससे अधिक तथा 65 वर्ष से कम हो।	प्रारूप (भाग एक में)	1. प्रारूप भाग –2 के परिवार की आय एवं नये मुखिया के बारे में प्रमाणपत्र 2. 2. प्रारूप भाग –3 में ग्राम पंचायत द्वारा जनपद पंचायत को दी जाने वाली अनुषंसा टीप।	निः‌शुल्क	1. ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत 2. शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत	ग्रामीण क्षेत्र जनपद पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत	15 दिवस	अनुविभागीय अधिकारी	10 दिवस

मध्य प्रदेष शासन
वित्त विभाग

मंत्रालय

क्रमांक 1141 /चार/ब–1/96 भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर, 96

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर
समस्त आयुक्त, मध्यप्रदेष
समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेष
समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेष
समस्त कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी,
मध्यप्रदेष।

विषयः आहरण अधिकारी द्वारा प्रावधानित/ आवंटित राषि से अधिक आहरण की प्रवृत्ति पर रोक।

1. वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक ई0 4/8/82/नि–5/चार, दिनांक 20–9–82 एवं ज्ञापन क्रमांक ई0/4/8/ नि–5/चार, दिनांक 1–12–83 के द्वारा सभी संबंधित विभागों को तथा कोषालय अधिकारियों को यह निर्देषित किया गया था कि त्रैमासिक व्यय की सभी मदों के लिये (प्राकृतिक विपदाओं एवं वेतन मद को छोड़कर) आवंटित धनराषि से अधिक आहरण मंजूर नहीं करें तथा यदि किसी आहरण अधिकारी द्वारा आवंटित धनराषि समाप्त हो जाने पर भी कोषालय में देयक प्रस्तुत किये जाते हैं तो संबंधित कोषालय अधिकारी द्वारा देयक को नामंजूर करते हुये नियंत्रण अधिकारियों को वापस कर दिया जावे।

2. अब राज्य शासन द्वारा निराश्रित पेंषन के देयकों के लिये प्राकृतिक विपदाओं एवं वेतन मद के देयकों के लिये प्रचलित व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया गया है। अर्थात् यदि निराश्रित पेंषन का बजट आवंटन समाप्त हो गया हो तो भी कोषालय द्वारा निराश्रित पेंषन के देयक आहरित करने हेतु स्वीकृति दी जा सकेगी।

3. जब कभी किसी कोषालय अधिकारी द्वारा आवंटन समाप्त होने के बाद उपरोक्त निर्देषों के अंतर्गत देयक आहरण की स्वीकृति दी जाती है तब उसकी जानकारी तत्काल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेष शासन, वित्त विभाग जो संलग्न प्रपत्र में भेजनी होगी। इसके साथ ही संबंधित आहरण अधिकारी को भी लिखा जायेगा कि वह तत्काल अतिरिकत आवंटन अपने विभागाध्यक्ष से प्राप्त करे। इसके लिये कोषालय में एक पृथक पंजी संधारित की जायेगी

जिसमें तीनों श्रेणी अर्थात् वेतन, निराश्रित पेंषन एवं प्राकृतिक विपक्ष के आवंटन से संबंधित पृथक–पृथक पृष्ठों पर जानकारी रखी जायेगी।

4. वेतन मद, प्राकृतिक विपदा, निराश्रित पेंषन के अतिरिक्त अन्य मदों में आवंटित धनराषि से अधिक आहरण न हो अन्यथ म.प्र. कोष संहिता भाग–एक के सहायक नियम 284 तााि 290 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

5. इन निर्देषों के जारी होने से वित्त विभाग के निर्देष क्रं. ई/4/8/82/नि.–5/चार, दिनांक 9.11.82 एवं ज्ञापन क्रं. ई/4/8/82/नि.–5/चार, दिनांक 1.12.83 निरस्त माने जावे।

(स्नेहलता श्रीवास्तव)
अतिरिक्त सचिव
मध्यप्रदेष शासन, वित्त विभाग

पृ क्रं 1142 /चार/ब–1/96 भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर, 96

प्रतिलिपि :–

1. संचालक, कोष एवं लेखा, म.प्र. भोपाल को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. रजिस्ट्रान, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर।
3. राज्यपाल के सचिव/सैनिकसचिव, म.प्र. भोपाल।
4. सचिव, मध्यप्रदेष विभान सभा, भोपाल।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, म.प्र. इंदौर।
6. सचिव, लोकायुक्त, म.प्र. भोपाल।
7. मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र. मंत्रालय, भोपाल।
8. समस्त लेखाधिकारी/वित्त अधिकारी, म.प्र. लेखा सेवा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
9. समस्त क्षेत्रीय उप संचालक, कोष एवं लेखा, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर.एन.पचौरी)
अपर सचिव
मध्यप्रदेष शासन, वित्त विभाग

अ.शा. पत्र क्रमांक/रा.सा.स.यो./114/98/858 भोपाल, दिनांक 25.3.98

विषय – राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन एवं सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना का क्रियान्वयन।

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना में प्राप्त होने वोले आवेदन पत्रों पर निर्धारित समय में कार्यवाही की जाकर समस्त पात्र पाये जाने वाले हितग्राहियों को प्रत्येक माह निर्धारित दर से पेंषन राषि के भुगतान किये जाने के निर्देष हैं। कार्यक्रम का लाभ सही व्यक्ति को ही मिल रहा है एवं उन्हें नियमित रूप से पेंषन प्राप्त हो रही है, की जॉच करने एवं इसकी रिपोर्ट भी प्रेषित करने के निर्देष दिये गये हैं।

कतिपय जिलों से प्राप्त जानकारी में यह बात सामने आई है कि ग्राम पंचायतों में पेंषन राषि के भुगतान के समय हितग्राहियों को पेंषन की पूरी राषि नहीं दी जा रही है इसी प्रकार इस योजना का लाभ अपात्र हितग्राही भी उठा रहे हैं

अतः सुनिष्चित किया जाये कि हितग्राहियों को पेंषन राषि का भुगतान निर्धारित दर से ही किया जाये। यदि ग्राम पंचायतों में पंचायत पदाधिकारी अथवा पंचायत कर्मी द्वारा पेंषन राषि के भुगतान में अनियमितता बरती जाती है तो उनके विरूद्ध पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये।

3. इस योजना के निर्देषों में अनुविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया गया है जो सेम्पल आधार पर प्रकरणों की जॉच करेगी । यदि जांच में यह पाया जाता है कि अपात्र हितग्राहियों द्वारा पेंषन राषि प्राप्त की जा रही है तो ऐस प्रकरणों में पेंषन राषि भुगतान को तत्काल रोका जाए तथा भुगतान की जा चुकी राषि की वसूली की कार्यवाही भी करें। इसके साथ ही यदि यह भी पाया जाता हे कि हितग्राही द्वारा जान समझ कर आवेदन पत्र में गलत जानकारी दी गई है, एवं अपात्र हितग्राहियों के द्वारा पेंषन का भुगतान प्राप्त किया जा रहा है, तो उनके विरूद्ध पुलिस में एफ.आई.आर.दर्ज करने की कार्यवाही की जावे।

भवदीय

(विवेक ढ़ॉड)

प्रति,

1. श्री .....
कलेक्टर,
जिला समस्त
(म.प्र)

2. श्री .....
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत समस्त
(म.प्र.)

पृ0 क्रमांक / रा.सा.स.यो / 114 / 98 / 859 भोपाल, दिनांक 25.3.98

प्रतिलिपि :–

सचिव, मध्यप्रदेष शासन, समाज कल्याण विभाग की और उनके पत्र क्रमांक / 270 / 339 / 26–2 / 98, दिनॉक 7.2.98 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

आयुक्त
पंचायत एवं समाज सेवा, म0प्र.0

समाज कल्याण विभाग,

क्रमांक/656/26–2/98 भोपाल, दिनांक 26–3–98

प्रति,

समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
(जिला पंचायत)
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारीख
(जनपद पंचायत)
समस्त संयुक्त संचालक/उपसंचालक ,
पंचायत एवं समाज सेवा,
समस्त सचिव, ग्राम पंचायत
मध्यप्रदेष

विषय :– निराश्रितों को ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंषन का भुगतान।

1. सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना का युक्तियुक्तकरण करते हुए राज्य शासन के आदेष क्रमांक एफ–1/59/26–2/95, दिनांक 04.09.1996 द्वारा पेंषनरों को प्रतिमाह नियमित रूप से पेंषन दिये जाने की मार्गदर्शिका प्रसारित की थी।

2. पात्र हितग्राहियों को समय पर सहायता मिले इस उद्देष्य से राज्य शासन ने पंचायतों और नगरीय निकायों की प्रमुख भूमिका निर्धारित करते हुए आवेदनों के निराकरण और स्वीकृत पेंषन के नियमित भुगतान की प्रक्रिया भी तय की थी। इस व्यवस्था में पंचायतों और नगरीय निकायों को अग्रिम उपलब्ध कराने के भी निर्देष हैं ।

3. पेंषन भुगतान की वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के लिये जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्र के लिये नगरीय निकायों द्वारा पेंषन का भुगतान बैंक/पोस्ट आफिस में खाते खोलकर उनके माध्यम से अथवा मनिआर्डर के जरिये सामान्यतः किया जाता है। संबंधित आवेदक को पेंषन की स्वीकृति के तत्काल पश्चात् स्वयं का बचत खाता बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में खोलना हैं इस कार्य में विभागीय क्षमता आवेदक की मदद करता है।

4. वर्तमान प्रक्रिया में अपवाद स्वरूप ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहॉ पर 10 किलोमीटर की दूरी के अंदर पोस्ट ऑफिस या बैंक नहीं है, वहॉ नितान्त आवष्यकता पड़ने पर ग्राम पंचायत की बैठक में नगद में पेंषन राषि का भुगतान किया जा सकता है। सर्तकता के बतौर इस तरह किये जाने वाले नकद भुगतान को प्रतिमाह ग्राम पंचायत की पूर्ण बैठक में किया जाता है। शासनसे प्रसारित विस्तृत निर्देष हर स्तर पर उपलब्ध है।

5. राज्य शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि ग्रामीण क्षेत्र के निराश्रितों को बैंक खाते न खोल पाने की वजह से अथवा उनके आवासीय ग्राम में बैंक इत्यादि की सुविधा न होने की वजह से परेषानी होती है। वर्तमान प्रक्रिया के सूक्ष्म परीक्षणोपरान्त राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि नकद भुगतान की सुविधा उन सभी निराश्रित पेषनरों को दी जाए जो ऐसा विकल्प बैंक/पोस्ट आफिस खातों की तुलना में अधिक सुविधाजनक पाते हो। इस विकल्प का लाभ लेने वाले हितग्राहियों की सुविधा को देखते हुए और नकद भुगतान की प्रक्रिया में और भी अधिक सर्तकता की आवष्यकता को देखते हुए निम्न प्रक्रिया का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए।

(क) ग्राम पंचायत इस विकल्प का उपयोग करने वाले हितग्रहियों की सूची (मय, नाम पता, उम्र इत्यादि) जनपद पंचायत को भिजवायें और पावती ले लें। इस प्रकार हितग्राहियों की सूची आगामी ग्राम सभा की आयोजित बैठक में बना ली जाए और बैठ में ही हितग्राहियों से विकल्प ले लिये जाए। सूची ग्राम सभा में पढ़कर सुना दी जाए। सूचियों को भविष्य में अघतन करने का कार्य ग्राम पंचायत की सामान्य बैठक में किया जाए। परन्तु ग्राम पंचायत की बैठक में जोड़े जाने वाले नाम भविष्य की ग्राम सभाओं में अनिवार्यतः सर्वसाधारण की जानकारी के लिये रखे जाए।

(ख) नकद भुगतान के लिये आवष्यक दो माह की अग्रिम राषि नियमित रूप से जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के बैंक खाते में जमा करा दी जाकर ग्राम पंचायत को सूचित किया जाए।

(ग) बैंक खाते से नकद भुगतान की राषि का आहरण प्रतिमाह आयोजित होनेवाली ग्राम पंचायत की पूर्ण बैठक के दिनांक से ठीक पूर्व के बैंक दिवस से ही किया जाए। अनावष्यक रूप से नकद राषि का आहरण करना वित्तीय अनियमितता होगी अतः इसका विशेष ध्यान रखा जाए। ग्राम पंचायत की पूर्ण बैठक में भुगतान किया जाए।

(घ) भुगतान के समय उपस्थितों में सरपंच/हितग्राही के वार्ड के पंच और पंचायत सचिव को होना वर्तमान प्रक्रिया की तरह ही अनिवार्य रहेगा। यह ध्यान रखा जाए कि पंचायत की बैठक में अधिक से अधिक पंच उपस्थित रहे। साथ ही पंचों की उपस्थिति पूर्व में ही सुनिष्चित करनेका दायित्व पंचायत सचिव का होगा। आशय यह है कि हितग्राही को मात्र इस कारण न भटकना पड़े कि ग्राम पंचायत की बैठक नही हो सकी।

(ड़) नकद भुगतान लेने वाले प्रत्येक हितग्राही के लिये एक निःषुल्क ''पेंषन पासबुक'' या ''हितग्राही पेंषन वितरण कार्ड'' जारी किया जावेगा। कार्ड जिला पंचायत द्वारा एकजाई रूप से छपवाकर ग्राम पंचायतों को वितरित किया जाए। छपाई और वितरण व्यय राष्ट्रीय वृद्धावस्था कार्यक्रम के प्रषासकीय व्यय से स्वीकृत किया जाए।

(च) इस ''पास बुक'' या ''कार्ड'' का नमूना संलग्न है। इस पास बुक में पेंषन वितरण की माहवार जानकारी नकद वितरण का दिनांक, वितरित राषि और हितग्राही तथा पंचायत सचिव या सरंपच के हस्ताक्षर का प्रावधान रहेगा। कार्ड में दो वर्ष के भुगतान का इन्द्राज हो सके ऐसा प्रावधान रखा जाए।

(छ) पेंषन पास बुक किसी भी स्थिति में ग्राम पंचायत या उनके पदाधिकारियों अथवा पंचायत सचिव या किसी अन्य व्यक्ति के पास न रखी जाए। यह पासबुक या कार्ड सदैव निराश्रित पेंषनर हितग्राही के पास ही रहना चाहिये।

(ज) कंडिका छ की जानकारी का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए ताकि हितग्राहियों को यह जानकारी रहे । हितग्राहियों को यह जानकारी होनी चाहिए कि, कार्ड की पेषन भुगतान होने का प्रमाण है। अतः इसे वे हिफाजत से रखें।

(झ) प्रत्येक हितभागी पेंषन कार्ड की एक क्रम संख्या होनी चाहिये इसमें प्रथम दो अंक जिले के लिये एवं इसके उपरान्त दो अंक विकास खण्ड/जनपद पंचायत के लिये है। यह कोड इस निर्देष के साथ संलग्न है, आगामी तीन अंक ग्राम पंचायत के लिये एवं अंतिम तीन अंक हितग्राही की पहचान कोड के लिये निर्धारित है। अतः जनपद पंचायत, ग्राम पंचायतों के लिये तथा हितग्राही पहचान कोड का निर्धारण कर लें।

(ण) कार्ड या पास बुक पर होने वाले इन्द्राज और भुगतान का लेखा जोखा निम्नानुसार भुगतान के दिन ही केषबुक में किया जाए और इन्द्राज की जानकारी बैठक को दी जाए।

(य) जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ध्यान देंगे कि कार्ड इस प्रकार हो कि वे हितग्राही द्वारा दो वर्ष सुरक्षित रखा जा सकें। प्लास्टिक कव्हर का प्रावधान दिया जाए।

(र) कार्ड पर इन्द्राज स्याही से ही हो और हस्ताक्षर वहीं हो जो सरपंच या पंचायत सचिव द्वारा साधारणतः औपचारिक अभिलेखों या अवसरों पर किया जाना हो।

(ल) पास बुक गुम हो जाने की षिकायतों के विरूद्ध तत्काल उचिव जांच पड़ताल और आष्वस्थ होने पर नया कार्ड जारी किया जाए जिस पर ''डुप्लीकेट'' की मोहर लगा दी जाए। नया कार्ड पर कम संख्या वहीं रहे जो मूल में थी।

(व) पुनः उल्लेखनीय है कि यह सदैव सुनिष्चित किया जाये कि ग्राम पंचायतों के पास निराश्रितों को नकद पेंषन राषि भुगतान करने के लिये पर्याप्त राषि उपलब्ध रहे। इसके लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/उप–संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायतों को राषि उपलब्ध कराये।

6. यह आदेष दिनांक 1 अप्रेल, 1998 से ग्रामीण क्षेत्र में ही निराश्रितों को नकद पेंषन भुगतान करने के लिये लागू होगा।

(सुनिल कुमार)
सचिव,
मध्यप्रदेष शासन,
समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय

पृष्ठांकन क्रमांक / भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी मध्यप्रदेष।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेष शासन, समाज कल्याण विभाग।
3. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेष के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय।
4. आयुक्त, पंचायत एवं समाज सेवा, भोपाल, मध्यप्रदेष।

मध्यप्रदेष शासन,
समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय

अजिता बाजपेयी पांडे
आयुक्त

पंचायत एवं समाज सेवा संचालनालय
मध्यप्रदेष
तुलसी नगर, भोपाल–462003
दूरभाष – कार्यालय 556916 नि : 571466

अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक/रा.सा.स.यो./98/29/2312

भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर, 1998

कृपया भारत सरकार के संलग्न पत्र दिनांक 5.10.98 का अवलोकन करें। जिसके द्वारा भारत सरकार के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना एवं राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजनान्तर्गत लाभांवित हितग्राहियों की सूची प्रकाषित करने के निर्देष दिये गये है।

अनुरोध है कि उक्त योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की सूची ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत वार प्रकाषित करें।

कृपया की गई कार्यवाही से संचालनालय एवं शासन को अवगत कराये।

कृपया इस कार्य को प्राथमिकता दें।

भवदीया,

(अजिता वाजपेयी पाण्डे)

प्रति,

श्री
कलेक्टर,
जिला .....(म.प्र.)

पंचायत एवं समाज सेवा, संचालनालय, मध्यप्रदेष

क्रमांक / सा.सु.पे / 99 / 536 भोपाल, दिनांक 6.3.99

प्रति,

समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत,
मध्यप्रदेष।

विषय– राज्य शासन की सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना की मासिक जानकारी हेतु निर्धारित प्रपत्र में संषोधन।

मध्यप्रदेष शासन, समाज कल्याण विभाग के आदेष क्रमांक – 1 / 59 / 26–2 / 95, दिनांक 4–9–96 से एकीकृत वृद्धावस्था पेंषन योजना एवं राज्य शासन की सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना की मार्गदर्षिका जारी की गई थी। मार्गदर्षिका में मासिक जानकारी के लिए प्रारूप 6 में प्रपत्र निर्धारित है।

जिलों से प्राप्त होने वाली जानकारी के संकलन में अनेक कठिनाईयां आ रही है। अतः राज्य शासन की योजना सामाजिक सुरक्षा पेंषन की मासिक जानकारी के लिए प्रारूप 6 में संषोधन किया गया है जो पत्र के साथ संलग्न है।

अनुरोध है कि संलग्न निर्धारित प्रपत्र में ही माह अप्रैल 99 से सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 10 तारीख के पूर्व संचालनालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार ।

आयुक्त
पंचायत एवं समाज सेवा,
म.प्र.

पृ.क.सा.सु.पे./99/ 537 भोपाल, दिनांक 6.3.99

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, मध्यप्रदेष शासन, समाज कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा, म.प्र.।
3. समस्त जिला उप संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा, म.प्र.

आयुक्त,
पंचायत एवं समाज सेवा,
म.प्र.

प्रारूप–6

राज्य शासन द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंषन की मासिक जानकारी

जिला .....माह ..... वर्ष .....

(मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जिला स्तर से संचालनालय को भेजा जाने वाला मासिक प्रतिवेदन)

1. आवंटन

मांग संख्या	वर्ष में प्राप्त आबंटन	माह के अंत तक का कुल व्यय	शेष राषि
80 –			
81 –			

2. हितग्राहियों का विवरण

हितग्राहियों की क्षेत्रवार	65 वर्ष से कम आयु	65 वर्ष से अधिक आयु	शेष राषि
ग्रामीण			
शहरी			
कुल योग :–			

3. हितग्राहियों का पात्रता के अनुसार वर्गीकरण

निःषक्त हितग्राहियों की कुल संख्या	विधवा / परित्यक्ता महिलायें	अन्य वृद्ध	कुल योग (3 +4 + 5)
6 से 14 वर्ष	14 वर्ष से अधिक	योग	
1	2	3	4 5 6

4. हितग्राहियों का जाति के अनुसार वर्गीकरण

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	सामान्य
योग			

महिला
पुरूष

कुल योग :–

---

5. प्रतिवेदित माह में भुगतान किए गए .....
कुल हितग्राहियों की संख्या

6. 60 दिवस से अधिक अवधि के लंबित.....
आवेदन पत्रों की संख्या

7 रिमार्क.....

हस्ता /–
मुख्य कार्यपाल अधिकारी
जिला पंचायत
जिला .....
(म0प्र0)

मध्यप्रदेष शासन
समाज कल्याण विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ – 2–8/99/26–2 भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल, 1999

प्रति,

1. समस्त आयुक्त, म.प्र.।
2. समस्त कलेक्टर, म.प्र. ।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र. ।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, म.प्र.।

विषय – राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन/सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना का प्रभावी कियान्वयन।

ग्राम सम्पर्क अभियान, 1999 के दौरान यह पाया गया है कि रेण्डम सेम्पलिंग इत्यादि के माध्यम से अपात्र पाए गए व्यक्तियों के पेंषन रोकने की कार्यवाही ही तो हुई है परन्तु संबंधितों को पेषन रोकने के कारणों की जानकारी नहीं है। शासन की यह नीति है कि पात्र सभी व्यक्तियों को समय पर पेंषन उपलब्ध हो और साथ ही अपात्र व्यक्तियों को पेंषन का लाभ न मिल सके। इस संबंध में समय–समय पर शासन स्तर से एवं विभागाध्यक्ष स्तर से निर्देष जारी किये गये हैं। निराश्रितों की परिभाषित पेंषन योजनाओं में स्पष्ट है, हितग्राहियों की पात्रता के संबंध में यह स्थिति भी स्पष्ट होनी चाहिए कि जहां समस्त निराश्रित गरीबी रेखा के नीचे हैं परन्तु सभी गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति निराश्रित नहीं है।

ग्राम सभाओं और गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों के अंतर पहचानने में कठिनाई के कारण भी अपात्र व्यक्तियों का चयन होना स्वाभाविक है। ऐसे मामलों में पेंषन रोकने और दी गई पेंषन की वापसी की कार्यवाही की जाती है। सत्यापन में अपात्र पाए जाने वाले हितग्राहियों तथा संबंधित सरपंच को उन तथ्यों/आधारों से अवगत कराया जाए, जिनके कारण पेंषन निरस्त की गई हो। इससे इन योजनाओं के कार्यान्वयन वाबत् भ्रान्तियों का निराकरण हो सकेगा।

कृपया इस संबंध में अधिनस्थ को आवष्यक निर्देष जारी करने का कष्ट करें।

(सुनिल कुमार)
सचिव
मध्य प्रदेष शासन,
समाज कल्याण विभाग

प्र.क्र. एफ 2–8/99/26–2, भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल, 1999

प्रतिलिपि :–

1. समस्त माननीय अध्यक्ष, जिला पंचायत, मध्यप्रदेष
2. समस्त मानवीय अध्यक्ष, जनपद पंचायत, म.प्र.
3. आयुक्त, पंचायत एवं समाज सेवा, म्.प्र. भोपाल
4. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक पंचायत एवं समाज सेवा, म.प्र

उप सचिव
मध्यप्रदेष शासन,
समाज कल्याण विभाग

अजिता बाजपेयी पांडे
आयुक्त

पचांयत एवं समाज सेवा संचालनालय
मध्यप्रदेष
तुलसी नगर, भोपाल – 462003
दूरभाष : कार्या–556916, नि0 – 571466

अ.शा.पत्र क्र. रा.0सा0स0यो0 / 114 / 2000 / 599

भोपाल, दिनांक 3–3–2000

विषय – सेम्पल जांच की कार्यवाही बाबत्।

एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन तथा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना में की जा रही सेम्पल जांच की कार्यवाही में बहुत संख्या में अपात्र हितग्राही भी पाये गये हैं। सेम्पल जांच की मासिक जानकारी भी नियमित रूप से चाही जाती है। कृपया इसे सुनिष्चित करनें। प्राप्त जानकारियों से यह तो स्पष्ट होता है कि जांच में अपात्र मिले हितग्राहियों की पेंषन रोकी गई है, किन्तु इन हितग्राहियों को भुगतान की जा चुकी राषि की वसूली एवं संबंधित दोषी अधिकारी / कर्मचारी / परदाधिकारी एवं अन्य के विरूद्ध भी नियमानुसार की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है।

सेम्पल जांच में अपात्र पाये जाने वाले हितग्राहियों को तथा संबंधित स्थानी निकाय / सरपंच को उन तथ्यों / आधारों से जिसके कारण हितग्राही अपात्र माना गया है, से अवगत करो के भी पूर्व से ही निर्देष हैं। शासन ने यह भी निर्देष दिये हैं कि समाज हितग्राहियों की पेंषन निरस्त करने के कारणों / आधारों की जानकारी भी संबंधित स्थानीय निकाय / पंचायत के सूचना पटल पर भी प्रदर्षित की जाये। जिससे इन योजनाओं क्रियान्वयन बाबत् प्रतियों का निराकरण हो सके।

अनुरोध है कि उक्त निर्देष का क्रियान्वयन सुनिष्चित करें। तथा सेम्पल जांच की लंबित मासिक जानकारी अविलंब प्रेषित करते हुए भी सुनिष्चित करें कि भविष्य में यह मासिक प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण जानकारी के साथ प्रतिमाह की 10 तारीख तक संचालनालय को मिल जाये।

(अजिता वाजपेयी पांडे)

प्रति,

श्री .....
कलेक्टर
जिला .....
मध्यप्रदेष

पृ.क. रा.सा.स.यो./114/2000/600 भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2000

प्रतिलिपि –

1. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु अग्रषित।
2. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक जिला कार्यालय पंचायत एवं समाज कल्याण म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

आयुक्त
पंचायत एवं समाज सेवा, म.प्र.

मध्यप्रदेष शासन
समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 2–10/2000/26–2 भोपाल, दिनांक 21–3–2000

प्रति,

आयुक्त,
समाज कल्याण,
म.प्र. भोपाल ।

विषय – सामाजिक सुरक्षा पेंषन एवं वृद्धावस्था पेंषन योजना के सेम्पल जांच में आयु के आधार पर निरस्त किये जाने वाले प्रकरणों के संबंध में।

संदर्भ – आपका पत्र क्रमांक /रा0सा0स0यो0/60/2000/164, दिनांक 9–3–2000

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें। आदेषानुसार निवेदन है कि सामाजिक सुरक्षा पेंषन/राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना के जिन प्रकरणों की रेण्डम जांच में हितग्राही की आयु पात्रता के अनुरूप न होने के कारण उन्हें निरस्त किया है, ऐसे प्रकरणों में विवाद होने पर डॉक्टरी जांच द्वारा आयु के प्रमाणीकरण को मान्य किया जा सकता है।

(डी.के.जैन)
अवर सचिव
मध्यप्रदेष शासन,
समाज कल्याण विभाग

पंचायत एवं समाज सेवा संचालनालय, मध्यप्रदेष

पृ0क्रमांक / रा0सा0स0यो0 / 60 / 2000 / 1143 भोपाल, दिनांक 9.5.2000

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, मध्यप्रदेष शासन, समाज कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त कलेक्टर, म.प्र.।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. समस्त संयुक्त संचालक / उप संचालक, जिला कार्यालय पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर संचालक
वास्ते आयुक्त
पंचायत एवं समाज सेवा, म0प्र0

पंचायत एवं समाज सेवा संचालनालय, मध्यप्रदेष

क्रमांक/सासुपें/2001/2331 भोपाल, दिनांक 10/12/2001

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेष।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेष।
3. समस्त संयुक्त संचालक/उपसंचालक, जिला कार्यालय, पंचायत एवं समाज कल्याण, मध्यप्रदेष।

विषय – सामाजिक सुरक्षा पेंषन /राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना के अंतर्गत लाभांवित हो रहे सभी हितग्राहियों की सूची निर्धारित प्रपत्र में जिले की वेबसाइट पर प्रकाषित करने बावत।

ष

विषयांकित संदर्भ में शासन स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि योजनांतर्गत लाभांवित हो रहे सभी हितग्राहियों की सूची का प्रकाषन जिले की वेबसाइट पर किया जावे, ताकि यह सुनिष्चित किया जा सके कि है तथा उन्हें नियमित भुगतान हो रहा है। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण एवं समयसीमा का हैं अतः संबंधितों से अपेक्षा की जाती है कि निम्न प्रक्रिया अनुसार उक्त कार्य प्राथमिकता देते हुए दिनांक 30.12.2001 तक अनिवार्यतः पूर्ण करवाये–

1. ग्राम पंचायत स्तर पर पदस्थ पंचायत सचिव का दायित्व होगा कि वह प्रत्येक ग्राम सभा क्षेत्र के सभी लाभांवित हितग्राहियों की सूची निर्धारित प्रपत्र में ग्राम सभावार बनाकर अपने क्षेत्र की जनपद पंचायत को सौंपे। यह कार्य दिनांक 15.12.2001 तक पूर्ण किया जावे।
2. पंचायत समाज षिक्षा संगठक का दायित्व होगा कि वह सभी ग्राम सभाओं से सूची तथा नगरीय क्षेत्र से सूची प्राप्त कर उसका विकास खण्डवार संकलन करें। यह कार्यवाही दिनांक 22.12.2001 तक पूर्ण की जाये।
3. विभागीय जिला अधिकारी, संयुक्त संचालक/उप संचालक/संभागीय व्यवस्थापक का उत्तरदायित्व है कि वह सभी पंचायत एवं समाज षिक्षा संगठकों की बैठक दिनांक 24.12.2001 को जिला स्तर पर आयोजि करे। इस बैठक में जिले की जानकारी संकलित कर कम्प्यूटराइजेषन कराया जाये तथा प्रत्येक माह इस जानकारी को अद्यतन करने की प्रक्रिया भी समझाई जाये। यह कार्यवाही दिनांक 28.12.2001 तक पूर्ण की जाये।
4. दिनांक 30.12.2001 को जिला अधिकारियों का दायित्व होगा कि वह संचालनालय के फैक्स क्रमाक 552665 पर सूचित करें कि उनके जिले के हितग्रहियों की सूची उनके जिले की

वेबसाइट पर उपलब्ध हो गई है। हितग्राहियों की सूची को वेबसाइट पर प्रस्तुत रने में जो व्यय हो उसकी पूव्रि राष्ट्रीय समाजिक सहायता योजना में प्राप्त प्रषासकीय मद की राषि से प्राप्त की जाये।

निर्धारित समयसीमा में कार्यपूर्ति न होने पर संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

संलग्न – प्रपत्र

आयुक्त
पंचायत एवं समाज कल्याण
मध्यप्रदेष

सामाजिक सुरक्षा पेंषन/वृद्धावस्था पेंषन योजनान्तर्गत लाभ ले रहे हितग्रहियों की वेबसाइट पर प्रकाषित की जाने वाली सूची का निर्धारित प्रपत्र

जिला का नाम .....जनपद पंचायत/नगरीय निकाय का नाम .....

क्र.	हितग्राही का नाम	पता	पुरूष/महिला	उम्र	श्रेणी			
					वृद्ध	विधवा	परित्यक्तता	विकलांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9

हस्ताक्षर /–
जिला अधिकारी
पंचायत एवं समाज सेवा
मध्यप्रदेष

मध्यप्रदेष शासन
समाज कल्याण विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ–2–3/2001/2/26 भोपाल, दिनांक 23 जनवरी, 2002

प्रति,

समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेष
समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेष
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला/
जनपद पंचायत, मध्यप्रदेष
समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक,
पंचायत एवं समाज सेवा, मध्यप्रदेष
समस्त आयुक्त/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका/
नगर पंचायत, मध्यप्रदेष

विषय :– सामाजिक सुरक्षा पेंषन स्वीकृत करने के मामले में विधवा/परित्यक्त महिलाओं की आयु सीमा का बंधन समाप्त करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत शासन द्वारा निर्णय लिया है कि विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना के सम्बन्ध में विधवा/परित्यक्त, महिलाओं को आयु सीमा का बंधन समाप्त किया जाए तथा ऐसी सभी विधवा/परित्यक्त, महिलाओं को निम्नलिखित शर्तों के अधीन पेंषन स्वीकृत की जा सकेगी –

1. जिनकी आयु 18 वर्ष अथवा इससे अधिक हो।
2. जिनके पास कोई भूमि न हो।
3. किसी प्रकार की कोई पेंषन न मिल रही हो।
4. जिनके पास आमदनी का कोई साधन न हो।
5. जिनके कोई वयस्क पुत्र न हो।

विधवा/परित्यक्त महिलाओं के सामाजिक सुरक्षा पेंषन के ऐसे सभी आवेदन पर ग्राम सभाओं को दिए जावेंगे। ग्राम सभायें उक्त आवेदन पत्रों को पात्रता अनुसार जनपद पंचायत को अनुषंसा सहित प्रेषित करेंगी। जनपद पंचायत इन आवेदन पत्रों का परीक्षण कर स्वीकृति के लिए जिला स्तर पर प्रेषित करेंगे। जिला स्तर पर जिलाध्यक्ष, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा जिले में पदस्थ संयुकत संचालक/उप संचालक की समिति में परीक्षण उपरांत आवेदन पत्रों पर स्वीकृति दी जावेगी।

वर्तमान में 50 वर्ष से अधिक आयु की विधवा/परित्यक्त महिलाओं, जिनको सामाजिक पेंषन देय है, उनके कोई वयस्क पुत्र हैं तो, उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंषन की पात्रता नहीं होगी।
उक्त निर्णय का क्रियान्वयन दिनांक 1–4–2002 से होगा।
(दो) शासन के उपरोक्त निर्णय से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त ग्राम, पंचायत/सभाओं को भी अवगत कराना सुनिष्चित करेंगे।

मध्यप्रदेष के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेषानुसार

(डॉ0 अनिमेष शुक्ला)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेष शासन, समाज कल्याण विभाग

पृष्ठ0क0 एफ. 2–3/2001/2/26 भोपाल, दिनांक 23 जनवरी, 2002

प्रतिलिपि –

1. निजी सचिव, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, समाज कल्याण, भोपाल
2. मुख्य सचिव के उप सचिव, मध्यप्रदेष शासन, मंत्रालय, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेष शासन, वित्त/सामान्य प्रषासन/नगरीय प्रषासन एवं विकास/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
4. आयुक्त, पंचायत एवं समाज सेवा, मध्यप्रदेष, भोपाल की ओर आवष्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। साथ ही पंचायिक पत्रिका के आगामी अंक में उक्त निर्णय प्रकाषनार्थ।
5. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क कक्ष 317, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. प्रान्ताध्यक्ष म0प्र. ग्राम सहायक/पंचायत सचिव शासकीय कर्मचारी संघ, सिहोरा जिला–जबलपुर (म.प्र.)
7. सम्पादक, रोजगार और निर्माण/मासिक पंचायिका, माध्यम, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर आगामी अंक में प्रकाषनार्थ।

अवर सचिव
म.प्र. शासन
समाज कल्याण विभाग

मध्यप्रदेष शासन
समाज कल्याण विभाग

मंत्रालय

क्र0 एफ 2–3/2001/26–2 भोपाल, दिनांक 8/3/2002

प्रति,

समस्त संभागायुक्त म.प्र.
समस्त कलेक्टर, म.प्र.
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला/जनपद पंचायत, म.प्र.
समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा, म.प्र.
समस्त आयुक्त/मुख्य कार्यपालन अधिकारी/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत, मध्यप्रदेष।

विषय – सामाजिक सुरक्षा पेंषन स्वीकृत करने के मामले में विधवा/परित्यक्ता महिलाओं की आयु सीमा का बंधन समाप्त करने के संबंध में।

सन्दर्भ : इस विभाग का समसंख्यक आदेष दिनांक 23.1.2002

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग द्वारा जारी संदर्भित ओदष की कंडिका–2 में शहरी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा पेंषन स्वीकृत करने हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है :–

2.2 निराश्रित विधवा/परित्यक्ता महिलाओं के सामाजिक सुरक्षा पेंषन के ऐसे सभी आवेदक पत्र नगर पंचायत/नगर पालिका नगर निगम में प्राप्त किये जायेंगें । परीक्षणोपरान्त आवेदन पत्र नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम, जिला स्तरीय समिति को सीधे प्रेषित करेगा। जिलाध्यक्ष जिला पंचात के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा जि में पदस्थ संयुक्त संचालक/उप संचालक की समिति, को प्राप्त प्रकरण में, परीक्षणोपरान्त आवेदन पत्र पर स्वीकृति दी जायेगी।

(डॉ0 अनिमेष शुक्ला)
अपर सचिव
मध्यप्रदेष शासन, समाज कल्याण विभाग

पृष्ठ क्र0एफ – 2–3/2001/26–2 भोपाल, दिनांक – 8/23/2002

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मा0उप मुख्यमंत्री जी, समाज कल्याण, भोपाल
2. मुख्य सचिव के उप सचिव, मध्यप्रदेष शासन, मंत्रालय, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेष शासन, वित्त/सामान्य प्रषासन/नगरीय प्रषासन एवं विकास/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त, पंचायत एवं समाज सेवा, मध्यप्रदेष,भोपाल की ओर आवष्यक कार्यवाही हेतु एवं ''पंचायिका'' पत्रिका में प्रकाषनार्थ।
5. संयुक्त, संचालन, जन संपर्क कक्ष–317, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रांताध्यक्ष, मध्यप्रदेष ग्राम सहायक/पंचायत सचिव, शा.कर्म.संघ, सिहोरा, जबलपुरा।
7. सम्पादक, रोजगार और निर्माण/मासिक पंचायिका पत्रिका, अरेरा हिल्स, भोपल को और आगामी अंक में प्रकाषनार्थ।

अपर सचिव
मध्य प्रदेष शासन
समाज कल्याण विभाग

मध्य प्रदेष शासन

समाज कल्याण विभाग

मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ0 2–3/2001/26–2 भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर, 2002

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेष
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेष
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला/जनपद पंचायत, मध्यप्रदेष
4. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, जिला कार्यालय पंचायत एवं समाज कल्याण, मध्यप्रदेष
5. समस्त आयुक्त/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत, मध्यप्रदेष

विषय – सामाजिक सुरक्षा पेंषन स्वीकृत करने के अंतर्गत विधवा/परित्यक्त महिलाओं की पात्रता संबंधी शर्त – ''जिनके कोई वयस्क पुत्र न हो'' समाप्त करने संबंधी।

राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदिष दिनांक 23–1–2002 के पैरा–1 में उल्लेखित विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं के पेंषन मेंपात्रता हेतु 'जिनके कोई वयस्क पुत्र न हो' की शर्त (ट) को एतद्द्वारा विष्लेषित करता है।

उक्त निर्णय के फलस्वरूप ऐसी निराश्रित महिलाओं को उनके वयस्क पुत्र होने के फलस्वरूप राज्य शासन के समसंख्यक आदेष दिनांक 23–1–2002 में कारण पेंषन बंद कर दी गई थी, उन्हें 1 दिसम्बर, 2002 से स्वयं पेंषन की पात्रता होगी।

समसंख्यक आदेष दिनांक 23–1–2002 के अंतर्गत पात्रता की अन्य शेष शर्तों (1) से (iv) तक संदर्भ में विशेष परिस्थितियों में अपवाद स्वरूप पात्रतानुसार शर्तों को षिथिल करने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित निम्नलिखित समिति को अधिकृत यिका जाता है :–

(1) कलेक्टर अध्यक्ष

(2)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	सदस्य
(3)	उप संचालक, जिला कार्यालय पंचायत एवं समाज कल्याण	संयोजक

मध्यप्रदेष के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेषानुसर
(ए0के0जेन)
उपसचिव
मध्य प्रदेष शासन, समाज कल्याण विभाग

पृ0कृ0एफ0 2–3/2001/26–2 भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर, 2002

प्रतिलिपि

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, पंचायत एवं समाज कल्याण, भोपाल
2. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेष शासन, वित्त/सामान्य प्रषासन/नगरीय प्रषासन एवं विकास/पंचायत एवं ग्रामीणविकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
4. संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा, मध्यप्रदेष, भोपाल
5. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क कक्ष क्रमांक–317, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(ए.के.जैन)
उपसचिव
मध्य प्रदेश शासन
समाज कल्याण विभाग

समाज कल्याण विभाग

''मंत्रालय''

बल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक एफ0 2–16/2000/26–2 भोपाल, दिनांक 1 फरवरी, 2003

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स
मध्यप्रदेष ।

विषय : अन्नपूर्णा योजना के पात्र हितग्राहियों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन/सामाजिक सुरक्षा पेंषन स्वीकृत करने बावत्।

भारत सरकार द्वारा दिनांक 1–4–2002 से अन्नपूर्णा योजना के लिये पृथक से वित्तीय सहायता समाप्त कर देने के फलस्वरूप राज्य शासन ने अन्नपूर्णा योजना दिनांक 31–जनवरी, 2003 से समाप्त करने का निर्णय लिया है तथा इस योजना के हितग्राहियों की पात्रता की समीक्षा कर पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सूरक्षा पेंषन स्वीकृत करन हेतु निर्देषित किया है। उक्त निर्णय के तारतम्य में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ07–27/2000/29–1 दिनांक 31–1–2003 द्वारा विस्तृत निर्देष जारी किये गये हैं। उक्त ज्ञापन की प्रति संलग्न है।

2. राज्य शासन के उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि दिनांक 10–2–2003 तक अन्नपूर्णा योजना के हितग्राहियों की जानकारी नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त, नगर पालिका/निगम तथा अन्य क्षेत्र में नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को उपलब्ध करायें, तदुपरान्त आयुक्त, नगर पालिका निगम, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को यह जिम्मेदारी सौंपी जावे कि वे एक माह के भीतर सामाजिक सुरक्षा पेंषन के मापदंडों के अनुरूप अन्नपूर्णा योजना के समस्त हितग्रहियों की पात्रता का परीक्षण करें तथा पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंषन स्वीकृत करायें।

3. कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिष्चित कर इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(ए0के0जैन)
उपसचिव
मध्यप्रदेष शासन
समाज कल्याण विभाग

पृ0क0एफ02 –16/2000/26–2 भोपाल, दिनांक 1 फरवरी, 2003

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेष शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक एफ 7–27/2000/29–1, दिनांक 31–01–2003 के संदर्भ में सूचनार्थ
2. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेष।
3. आयुक्त, पंचायत एवं समाज कल्याण, मध्यप्रदेष, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेष।
5. समस्त, आयुक्त, नगर पालिका निगम, मध्यप्रदेष।
6. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक जिला कार्यालय पंचायत एवं समाज कल्याण (म.प्र)
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेष
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत/नगर पालिका, मध्यप्रदेष।

(ए.के.जैन)
उपसचिव
मध्य प्रदेष शासन
समाज कल्याण विभाग

मध्यप्रदेष शासन

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 2–5/2003/26–2 भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2003

प्रति,

1. आयुक्त,
पंचायत एवं समाज कल्याण,
मध्यप्रदेष, भोपाल।

2. समस्त संभागायुक्त,
मध्यप्रदेष।

3. समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेष।

4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत,.....
मध्यप्रदेष।

5. समस्त संयुक्त संचालक/उपसंचालक,
पंचायत एवं समाज कल्याण, मध्यप्रदेष।

6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत .....
मध्यप्रदेष।

7. समस्त आयुक्त/मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत,
मध्यप्रदेष।

विषयः– एकीकृत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी मार्गदर्षिका में संषोधन।

राज्य शासन के ध्यान में यह आया है कि कतिपय जिलों में एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंषन एवं राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना के अंतर्गत अपात्र हितग्राहियों से पूर्व में भुगतान की गई राषि वसूली की जा रही है। राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अपात्र हितग्राहियों से पूर्व में भुगतान की गई राषि वसूल न की जाये।

2. उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विभागीय ज्ञापन क्रमांक एफ–1/59/26–2/95 दिनांक 4–9–96 के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी की गई मार्गदर्षिका की

कंडिका – 6 (2) में अप्राप्त हितग्राहियों से भुगतान की गई पेंषन राषि की वसूली संबंधी निर्देष को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि सामाजिक सुरक्षा पेंषन एवं राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन स्वीकृत करने के अधिकार ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकायों को प्रदत्त किये गये हैं। अतः यह निकाय सुनिष्चित करें कि किसी भी परिस्थिति में अप्राप्त हितग्राहियों को पेंषन स्वीकृत न की जावे तथा पात्र हितग्राही पेंषन से वंचित न हों।

उपरोक्त निर्देषों का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिष्चित किया जाये।

मध्यप्रदेष के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेषानुसार

(ए.के.जैन)
उप सचिव
मध्यप्रदेष शासन, समाज कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक एफ 2–5/2003/26–2 भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2003

प्रतिलिपि

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, (समस्त) मध्यप्रदेष, भोपाल।
2. मुख्य सचिव, कार्यालय मध्यप्रदेष, मंत्रालय की ओर उनकी टीप क्र. 960/मु.स./03 दिनांक 28/2/2003 के संदर्भ में
3. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क मंत्रालय, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(ए.के.जैन)
उप सचिव
मध्यप्रदेष शासन, समाज कल्याण विभाग

मध्यप्रदेष शासन
समाज कल्याण विभाग

मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल – 462005

क्रमांक एफ 2–25/2002/26–2 भोपाल, दिनांक अगस्त, 2003

प्रति,

1. समस्त, कलेक्टर, म0प्र0 ।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म0प्र.।
3. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक/संभागीय व्यवस्थापक पंचायत एवं समाज कल्याण, म0प्र0।

विषय :– राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त प्रषासकीय व्यय (मद) राषि के वाहन क्रय न करने बावत् ।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत जिला पंचायतों को प्राप्त प्रषासकीय व्यय की राषि के व्यय करने के संबंध में इस विभाग के ज्ञापन क्र0 एफ 1–16/97/26–2, दिनांक 11.7.1997 द्वारा निर्देष जारी किए गए हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रषासकीय व्यय क राषि का उपयोग वाहन क्रय करने हेतु नहीं किया जा सकता है। हाल ही में शासन को जानकारी मिली है कि एक जिला पंचायत द्वारा प्रषासकीय व्यय की राषि का उपयोग वाहन क्रय करने में किया गया है, जो कि भारत शासन के मार्गदर्षी सिद्धांतों के विपरीत है।

2. अतः पुनः स्पष्ट किया जाता है कि राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना तथा सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना हेतु आवंटित राषि से वाहन क्रम नहीं किया जाये। उक्त निर्देषों के बावजूद भी यदि वाहन क्रय किया जाता है तो उक्त वाहन की राषि की वसूली संबंधित अधिकारी से की जायेगी।

(मनोज झलानी)
सचिव
मध्यप्रदेष शासन
समाज कल्याण विभाग

पृ0क्र0 –एफ 2–25/2002/26–2, भोपाल, दिनांक 1.8.2003

प्रतिनिधि :–

1. सचिव, मध्यप्रदेष शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त पंचायत एवं समाज कल्याण , म0प्र. भोपाल।

की ओर सूचना तथा आवष्यक कार्यवाही हेतु अग्रेर्षित ।

उप सचिव
मध्यप्रदेष शासन,
समाज कल्याण विभाग

पंचायत एवं समाज कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेष

क्रमांक/रासासयो/58/2003/1307 भोपाल, दिनांक 12/9/03

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   जिला (म0प्र0)

2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत (म0प्र0)

•

3. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक/
   संभागीय व्यवस्थापक, जिला कार्यालय,
   पंचायत एवं समाज कल्याण (म0प्र0)

विषय– माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक 196/2001 पर दिये गये आदेष के पालन के संबंध में।

माननीय उच्चतम न्यायलय में दायर जन हित याचिका क्रमांक 196/2001 में समय–समय पर प्राप्त आदेष के अनुपालन मं संचालनालय से निर्देष प्रसारित किये गये हैं। पुनः स्पष्ट किया जाताहै कि विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में निम्न निर्देषों का पालन सुनिष्चित करें।

1. सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के हितग्राहियों की पहचानग्राम सभा/ग्राम पंचायत तथा नगरीय निकायों में किया जाये। हितग्राहियों के चयन का कार्य भी इन निकायों में किया जाये।

2. सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के हितग्राहियों की सूची ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत तथा नगरीय निकायों के कार्यालयों के सूचना पटल अथवा सहज दृष्य स्थल पर नियमित रूप से प्रदर्षित की जावे।

3. सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना, के हितग्राही को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक पेंषन का भुगतान किया जावे। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के प्रकरण का निराकरण निर्धारित अवधि में किया जावे एवं निराकरण के तत्काल उपरान्त हितग्राही को सहायता राषि का भुगतान भी किया जावे।

4. सिटीजन चार्टर में सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना/राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना, तथा राष्ट्रीय परिवार सहयाता योजना के प्रकरणों के निराकरण के लिये निर्धारित की गई समयावधि में ही प्रकरणों के निराकरण एवं भुगतान की कार्यवाही की जावे।
5. सिटीजन चार्टर का प्रर्दषन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों के कार्यालयों में सूचना पटल पर ऐसे स्थान पर किया जावे जहॉ से सहज रूप से उसका अवलोकन किया जा सके।

6. सूचना के अधिकार के तहत चाही जाने वाली जानकारी व्यक्ति को समयावधि में उपलब्ध कराई जावे।

7. सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना, राष्ट्री वृद्धावस्था पेंषन योजना एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के संबंध में समस्त जानकारी जन सामान्य को उपलब्ध कराई जावे। इन योजनाओं का प्रचार–प्रसार नियमित रूप से किया जावे। प्रचार प्रसार का कार्य स्थानीय पत्र–पत्रिकाओं, दूरदर्षन, आकाषवाणी तथा विभागीय कलापथक दल एवं कलामण्डलियों के माध्यम से किया जा सकता है।

8. ग्राम सभा/ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों में योजनाओं का क्रियान्वयन, हितग्राहियों के चयन तथा राषि वितरण की समीक्षा नियमित रूप से भी की जावे। ग्राम सभा/ग्राम पंचायत तथा नगरीय निकायों से इन योजनाओं की जानकारी उच्च कार्यालय तथा जिला कार्यालयों में प्राप्त की जावे।

9. ग्राम सभा/ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य नियमित रूप से किया जावे।

10. सामाजिक सुरक्षा पेंषन एवं राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना के हितग्राहियों की जानकारी जिले की वेबसाइड पर दी जावे ताकि लाभ लेने वाले हितग्राहियों की जानकारी सहज रूप से उपलब्ध हो सके।

11. ग्राम सभा/ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों एवं संबंधित समस्त कार्यालयों में सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना तथा वृद्धावस्था पेंषन योजना के साथ–साथ विभाग द्वारा संचालित, विभिन्न योजनाओं की जानकारी/अभिलेख व्यवस्थित रखने के निर्देष दिये जावे, ताकि वरिष्ट कार्यालय के अधिकारी अथवा भ्रमण के दौरान आने वाले उच्च अधिकारी द्वारा जो जानकारी चाही जावे उन्हें उपलब्ध कराई जा सके।

12. सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के हितग्राहियों की पहचान तथा चयन का कार्य प्रचलित निर्देषों के तहत नियमित रूप से सम्पन्न किया जाये ताकि इन योजनाओं के पात्र हितग्राही किसी भी दषा में लाभी से वंचित न रहें।

13. अन्नपूर्ण योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंषन एवं राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना के अंतर्गत सम्मिलित करने के निर्देष दिये गये हैं अतः ऐसे हितग्राही जिन्हें खाद्यान्न मिल रहा था उनके प्रकरण सामाजिक सुरक्षा पेंषन एवं राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना की पात्रता के अंतर्गत आते हो तो तत्काल स्वीकृत किए जाकर पेंषन का भुगतान प्रारम्भ किया जाये।

14. जनहित याचिका के संबंध में मान0 उच्चतम न्यायालय के आदेषों का कड़ाई से पालन कराया जावे इस संबंध में दिये जाने वाले निर्देषों की जानकारी हिन्दी/स्थानीय भाषा में सभी संबंधित कार्यालयों को उपलब्ध कराइ जावे।

15. जिला स्तर, नगरीय निकाय, ग्राम सभा/ग्राम पंचायत स्तरपर सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की नियमित रूप से समीक्षा की जावे।

कृपया उक्त निर्देषों की जानकारी जिले के समस्त कार्यालयों में उपलब्ध कराई जावे एवं पालन सुनिष्चित किया जावें ।

आयुक्त,
पंचायत एवं समाज कल्याण
मध्यप्रदेष

पृ0क0/रासासयो/58/2003/ 1308 भोपाल, दिनांक 12/9/03

प्रतिलिपि :–

उपसचिव, मध्यप्रदेष शासन, समाज कल्याण विभाग, भोपाल।

आयुक्त,
पंचायत एवं समाज कल्याण
मध्यप्रदेष।

पंचायत एवं समाज कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेष

क्रमांक/रासासयो/03/1058/47 भोपाल, दिनांक 24.7.2003

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेष
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेष।

विषय – सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना/राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना के तहत हितग्राहियों को पेंषन भुगतान के संबंध में।

राज्य शासन द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना/राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना के तहत प्रदेष के ऐसे निराश्रित जरूरतमंद व्यक्तियों को पेंषन प्रदान की जा रही है जिन्हें शासन की मदद की नितांत आवश्यकता रहती है। हितग्राहियों को शासकीय कर्मचारियों के समान ही प्रतिमाह 5 तारीख तक पेंषन भुगतान के निर्देष भी दिये गये हैं। हितग्राहियों को प्रतिमाह भुगतान की जा रही पेंषन की जानकारी व्यस्थित रखने के लिए शासन ज्ञापन क्रमांक/656/26–2/98 दिनांक 26.3.1998 से हितग्राही पेंषन कार्ड का नमूना प्रेषित किया गया है। हितग्राही पेंषन कार्ड का नमूना पुनः संलग्न है। अपेक्षा है कि यह कार्ड भी हितग्राहियों को उपलब्ध कराया गया है, 11 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि कतिपय जिलों में निर्धारित समय पर हितग्राहियों को पेंषन का भुगतान नहीं हो रहा है। साथ ही हितग्राहियों के पास प्राप्त होने वाली पेंषन की जानकारी भी उपलब्ध नहीं रहती है।

अतः निर्देषित किया जाता है कि :–

1. सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना/राष्ट्रीय वृद्धिवस्था पेंषन योजना के सभी हितग्राहियों को पोस्टकार्ड उपलब्ध कराया जाये, ताकि उन्हें पेंषन प्राप्त न होने की स्थिति में इसकी जानकारी आपको तत्काल दे सकें। इस हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत प्रषासकीय व्यय की राषि का उपयोग किया जा सकता है।
2. सभी हितग्राहियों को हितग्राही पेंषन कार्ड उपलब्ध कराया जाये, ताकि उन्हें प्रदान की जा रही पेंषन की जानकारी व्यवस्थित रूप से उनके पास उपलब्ध रहे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर तत्काल अवगत करायें।

संलग्न – हितग्राही पेंषन कार्ड का नमूना

आयुक्त
पंचायत एव समाज कल्याण
मध्यप्रदेष

हितग्राहियों को प्रदान किए जाने वाले पेंषन कार्ड का नमूना

एकीकृत सामाजिक सुरक्षा एवं वृद्धावस्था पेंषन योजना

(हितग्राही पेंषन वितरण कार्ड)

जिले का नाम ----------

जनपद पंचायत/नगरीय निकाय का नाम ----------

1. हितग्राही का नाम ----------
2. हितग्राही की उम्र ----------
3. पिता/पति का नाम ----------
4. स्थायी पता

   ग्राम पंचायत का नाम ----------

   ग्राम का नाम ----------

   वार्ड का क्रमांक ----------

5. पेंशन स्वीकृति का दिनांक ----------
6. पेंषन की पात्रता का आधार – वृद्धावस्था पेंषन/साामजिक सुरक्षा पेंषन/विधवा/परित्यक्ता/निःषक्तता

हस्ताक्षर
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत/नगरीय निकाय

पेंशन कार्ड/पुस्तिका के पृष्ठ भाग में दी जाने वाली जानकारी

पेंषन की पात्रता की मापदण्ड

1. 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध
2. 18 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित विधवा/परित्यक्त महिलाऐं
3. 6 से 14 वर्ष के स्कूल जाने वाले गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के अथवा निराश्रित बच्चे।
4. 14 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित निःशक्त व्यक्ति।

पेंषन की दर :– रूपये 150/– मासिक

हितग्राहियों हेतु निर्देष :

1. पेंषन वितरण के समय यह कार्ड ग्राम पंचायत लेकर जाये।
2. कार्ड सुरक्षित रखें – गुमने/फटने पर ग्राम पंचायत को इसकी सूचना देकर निःषुल्क नया कार्ड प्राप्त करें।
3. हितग्राही की मृत्यु अथवा कहीं बाहर चले जानेएवं बस जाने की स्थिति में यह कार्ड ग्राम पंचायत में जमा किया जाये।

प्राप्त होने वाली पेंषन का विवरण

वर्ष .....

माह जिसकी पेंषन दी गई है	पेंशन प्राप्ति दिनांक	पेंशन राषि	हितग्राही के हस्ताक्षर/अंगूठा निषानी	पंचायत सचिव के हस्ताक्षर
अप्रैल				
मई				
जून				
जुलाई				
अगस्त				
सितम्बर				
अक्टूबर				
नवम्बर				
दिसम्बर				
जनवरी				
फरवरी				
मार्च				

पंचायत एवं सामाजिक न्याय संचालनालय, मध्यप्रदेष

क्रमांक/सा.सु.पें0–37/2005/1177 भोपाल, दिनांक 3/05/05

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेष।
3. संयुक्त संचालक/उपसंचालक/संभागी व्यवस्थापक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, जिला कार्यालय मध्यप्रदेष।

विषय :– मूलभूत सुविधाओं के लिए 11 सूत्रीय कार्यक्रम।
संदर्भ :– मुख्य सचिव म0प्र0 का पत्र क्रमांक /22/मु.स/11 सूत्रीय/05 दिनांक 24.1.04

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन कीजिए । 11 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू करने में अब तक आई कठिनाईयों को दूर कर संपूर्ण प्रदेष में जानकारी संकलन में एकरूपता लाने एवं कार्यक्रम की मानिटरिंग व्यवस्था को ओर अधिक प्रभावी बनाने के उद्देष्य से संदर्भित पत्र द्वारा विस्तृत दिषा निर्देष दिये गये हैं। मूलभूत सुविधाओं के लिए 11 सूत्रीय कार्यक्रम में सूत्र क्रमांक 9 पर वृद्धावस्था/सामाजिक सुरक्षा पेंषन का नियमित रूप से भुगतान हो, सम्मिलित है। अतः इस बावत् निम्न कार्यवाही तत्काल की जावें –

1. यह सुनिष्चित किया जाए कि निर्धारित तिथि (21 या 22 तारीख) को अनिवार्य रूप से नोडल अधिकारियों द्वारा सभी गांवों से जानकारी संकलित की जाए। यदि कोई नोडल अधिकारी चूक रहता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाए।
2. सुनिष्चित किया जाए कि जानकारी सही–सही संकलित हो। इस उद्देष्य की पूर्ति हेतु आप स्वयं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार भ्रमण के दौरान नियमित रूप से नोडल अधिकारियों द्वारा संकलित जानकारी का सत्यापन करें एवं गलत जानकारी संकलन करने वाले नोडल अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करें।
3. संकलित जानकारी की डाटाएन्ट्री समय–सीमा में की जाए एवं 10 तारीख तक राज्य मंत्रालय को अनिवार्य रूप से भेजी जाए, डाटाएन्ट्री यथासंभव जनपद एवं जिला पंचायतों के कम्प्यूटरों पर की जाएं इस कार्यवाही हेतु आवष्यक स्टेषनरी एवं कम्प्यूटरों की उपलब्धता मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सुनिष्चित करें।

4. माह की 5 से 10 तारीख के मध्य संकलित जानकारी की समीक्षा कर अनुश्रवण की कार्यवाही की जाए।
5. माह की 20 तारीख तक समीक्षा बैठक के मिनिट्स एवं सत्यापन की जानकारी निर्धारित सॉफ्टवेयर के माध्यम से भेजी जाए।
6. हर माह की संकलित जानकारी जिला पंचायत समिति, जिला पंचायत एव जनपद पंचायतों की बैठक में प्रस्तुत की जाए।
7. नोडल अधिकारियों को मार्च 2005–अप्रैल 2005 में पुनः प्रषिक्षण दिया जाये।
8. यह सुनिष्चित किया जावे कि एक नोडल अधिकारी को 2 से अधिक गांव न आवंटित किए जावे। विषेष परिस्थिति में ही 2 से अधिक गांव आवंटित किए जावे।
9. संषोधित प्रपत्र में जानकारी अप्रैल 2005 में संकलित की जाए।
10. कृपया संलग्न निर्धारित प्रपत्र के प्रतिवेदन प्रतिमाह समयसीमा में प्रेषित किया जाये।

आयुक्त,
पंचायत एवं सामाजिक न्याय, म0प्र0

मूलभूत सुविधाओं के लिए 11 सूत्रीय कार्यक्रम – प्रपत्र

अ. वृद्धावस्था/सामाजिक सुरक्षा पेंषन का वितरण कैसे हो रहा है .....
''अ'' के उत्तर में नीचे लिख कोई एक विकल्प का क्रमांक .....भरा जाए।

1. सभी हितग्राहियों को पेंान मिल रही है कोई षिकायत नहीं है।
2. कुछ हितग्राहियों को पेंषन मिल रही है कुछ को नहीं।
3. सभी हितग्राहियों को पेंषन नहीं मिल रही है।
4. आवष्यक नहीं।

ब. यदि ''अ'' में विकल्प (2) है तो :

1. संख्या जिन्हें पेंषन नहीं मिल रही है (.....)

हितग्राही का नाम जिसे पेंषन नहीं मिल रही है। (1)	अंतिम बार पेंषन मिलने का दिनांक (2)	कारण (3)

यदि ''अ'' में विकल्प (3) हैं तो :

अंतिम बार गांव में पेंषन वितरण का दिनांक (1)	हितग्राही की संख्या जिन्हें पेंषन नहीं मिल रही है (2)	कारण (3)

टीप :– कालम (3) में निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का क्रमांक भरें :–

(1) आवंटन का अभाव
(2) हितग्राही की अनुपस्थिति
(3) अन्य कोई कारण

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/नोडल अधिकारी
जिला पंचायत .....
(नाम/पदनाम)

पंचायत एवं सामाजिक न्याय संचालनालय म0प्र0

तुलसी नगर (1250) भोपाल

क्रमांक/सा.सु.पे./791 भोपाल, दिनांक 18/03/2005

प्रति,

1. कलेक्टर (समस्त)
   मध्यप्रदेष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत (समस्त)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
4. जनपद पंचायत (समस्त)

विषय – सामाजिक सुरक्षा पेंषन/राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना के हितग्राहियों के विवरण का कम्प्यूटराईजेषन करने बावत्।

विधान सभा सत्र के दौरान विभिन्न जिलों में जो प्रष्न प्राप्त हुए उनकी समीक्षा व विष्लेषण करने में एक बड़ी कठिनाई यह सामने आती है कि अत्यधिक संख्या होने के कारण आंकड़ों का मिलान व सत्यापन आदि करने व विवरण को एकत्रित करने में कठिनाईयां आती है। सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना, वृद्धावस्था पेंषन योजना देष की सबसे बड़ी पेंषन योजना हैं । मध्यप्रदेष शासन द्वारा भी इस योजना पर प्रति वर्ष लगभग 180 करोड़ रूपया व्यय किया जाता है। योजना के वृहद स्वरूप तथा हितग्राहियों की 11.00 लाख से अधिक संख्या होने के कारण यह आवष्यक है कि इस जानकारी का कम्प्यूटराईजेषन किया जाये। इस संबंध में अब निम्नानुसार कार्यवाही करें:–

(1) आधार तिथि – 28 फरवरी को मानते हुए जितने व्यक्ति इन योजनाओं में लाभ पा रहे हैं, उसकी समस्त सूची का कंम्प्यूटराईजेषन किया जाये।

(2) जानकारी का प्रपत्र – कंम्प्यूटर की जानकारी संलग्न प्रारूप में रखी जायेगी –

(3) वित्तीय व्यवस्था– यह कार्य स्वयं सुरक्षा योजनाओं के प्रशासकीय मद से जिला पंचायत अथवा नगर निगम में उपलब्ध से वहन किया जायेगा।

(4) समय सीमा – इस कार्य की समय सीमा 21 दिन (7 अप्रैल 2005 से नियत की जाती है) इस कार्य की आप समयावधि को देखते हुए पत्र से भी कर सकते है।

(5) संकलन का स्तर – संकलन निम्न स्तरों पर किया जायेगा –

(क) प्रत्येक जनपद के सी0ई0ओ0 स्तर पर

(ख) प्रत्येक नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी/ आयुक्त के स्तर पर

(ग) जिला पंचायत सी0ई0ओ0 के स्तर पर

(6) मासिक अपडेशन – कम्प्युटराईज सूची प्रतिमाह अपडेट की जाना है। जो मासिक जानकारी आप आयुक्त, पंचायत एवं सामाजिक न्याय को भेजने है वह कम्प्युटर जानकारी के आधार पर ही हो।

प्रतिमाह नियमित समीक्षा करना नितान्त आवश्यक है। वह व्यक्ति जो गांव या शहर छोड़ देता है, मृत्यु या अन्य कारण से योग्यता से बाहर हो जाता है, उनका नाम भी मासिक आधार पर काटा जाना चाहिए ताकि किसी प्रकार की राशि के दुरुपयोग की स्थिति निर्मित न हो।

आप पालन रिपोर्ट के साथ साथ पंचायत जनपद, नगर निगम के सी.डी. की एक प्रति इस कार्यालय को भेजे साथ ही एक प्रति जिला पंचायत में भी रखी जाए।

हस्ता/–
(मदनमोहन उपाध्याय)
आयुक्त
पंचायत एवं सामाजिक न्याय
मध्यप्रदेश

प्रारूप

नाम तथा पिता / पति का नाम	लिंग पु0 / म0	आयु	जाति अ. जा / अ.ज. जा / अन्य	आवास पता ग्राम :– मकान नं. :– वार्ड :– मोहल्ला :–	नगर / ग्रामीण नगर :– जनपद :–	श्रेणी विधवा / परित्यक्ता / निराश्रित / निःषक्त	पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9

पंचायत एवं सामाजिक न्याय संचालनालय, मध्यप्रदेश
तुलसी नगर (1250), भोपाल –462003

क्रमांक/ /सा.सहा/2005/1047 भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल, 2005

प्रति,

1. कलेक्टर, जिला–समस्त (मध्यप्रदेष)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
   जिला–समस्त (मध्यप्रदेष)
3. समस्त कमिष्नर, नगर निगम,
   (मध्यप्रदेष)

विषयः– सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना बेहतर बनाने हेतु सुझाव।

उपरोक्त दोनों योजनाएं प्रदेष की महत्वपूर्ण योजनाओं में सम्मिलित है। इन दोनों के माध्यम से प्रतिवर्ष 220 करोड़, रूपये वितरित किये जाते हैं।

2. महालेखाकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना के आडिट रिर्पोट में निम्न तथ्य शासन के ध्यान में लाये हैं :–

(क) अपात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंषन के भुगतान के परिणामस्वरूप 3.54 करोड़ रूपये का गलत भुगतान हुआ (यह केवल 5 जिलों की स्थिति आंकलन टीप दी थी।)

(ख) आवेदन की समीक्षा किये बिना बहुत से व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंषन स्वीकृत की गई थी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की टिप्पणी भी आवेदनों में उपलब्ध नहीं थी।

महालेखाकार द्वारा अपात्र व्यक्तियों को नगर पालिका/जनपदों पर किये गये भुगतान के समय सम्बन्धित अधिकारियों से वसूली की कार्यवाही करने के निर्देष दिये हैं जो पृथक से प्रचलित है।

3. राज्य शासन द्वारा इस प्रकार की हानि के मामलों में निर्देष दिये हैं ''षासकीय हानि की वसूली को उन व्यक्तियों से की जानी चाहिए जिन्होंने स्वीकृति आदेष दिये या जो समिति के सदस्य थे और जिन्होंने अपात्र व्यक्तियों की स्वीकृति दी।''

4. इन योजनाओं के माध्यम से वर्तमान में 12.00 लाख हितग्राही पेंषन पा रहे हैं। योजना के फेलाव व स्वरूप को देखते हुये और बेहतर और पारदर्षी बनाने हेतु आपके सुझाव आमंत्रित हैं ताकि उपरोक्त स्वरूप की त्रुटियों की पुनरावृत्ति न हो। कृपया आप अपने सुझाव निम्न बिन्दुओं पर दें :–

(1) योजनाओं के क्रियान्वयन नियमों में संषोधन पर सुझाव।
(2) योजनाओं में तत्परता से वितरण व्यवस्था सुनिष्चित करने पर सुझाव,
(3) अपात्र व्यक्तियों व मृत्यु या अन्य स्थानों पर चले जाने वाले व्यक्ति की छटनी की प्रक्रिया बावत् टीप,
(4) पेंषन योजना के रिकार्ड, आवेदन–पत्रों के संधारण बावत्, सुझाव
(5) मानिटरिंग, व्यवस्था बावत, सुझाव,
(6) वितरण नियमितता से सुनिष्चित कराने बावत् सुझाव

कृपया अपने सुझाव 30 अप्रैल , 2005 तक नामजद पत्र से भेजने का कष्ट करें।

(मदन मोहन उपाध्याय)
आयुक्त,
पंचायत एवं सामाजिक न्याय, म0प्र0

पृष्ठां,क्रमांक /सा.सहा./2005/ भोपाल, दिनांक अप्रैल, 2005

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, माननीय श्री गौरीषंकर शेजवारजी, मंत्री, सामाजिक न्याय विभाग, भोपाल
2. सचिव, मध्यप्रदेष शासन, सामाजिक न्याय विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(मदन मोहन उपाध्याय)
आयुक्त
पंचायत एवं सामाजिक न्याय, म0प्र0

मध्यप्रदेष शासन
सामाजिक न्याय विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक /एफ 2–2/05/26–2/ भोपाल, दिनांक 15.6.2005

प्रति,

समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेष

विषय – सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना की राषि का भुगतान संबंधी।

विभाग द्वारा जारी मार्गदर्षिका में स्पष्ट निर्देष दिये गये हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना तथा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक/पोस्ट ऑफिस अथवा मनीआर्डर द्वारा किया जायेगा। सहकारी साख संस्थाओं के माध्यम से पेंषन का भुगतान निर्देषों के अनुसार नहीं है।

अतः सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना की राषि का भुगतान मार्गदर्षी सिद्धांतों के अनुरूप किया जाना सुनिष्चित करें।

(एस.एन.शर्मा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेष शासन
सामाजिक न्याय विभाग

पृष्ठां0 क्रमांक /एफ 2–2/05/26–2/ भोपाल, दिनांक 15.6.2005

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेष।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेष।
3. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक/संभागीय व्यवस्थापक जिला कार्यालय, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेष।

– की ओर आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस0एन0शर्मा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेष शासन
सामाजिक न्याय विभाग

पंचायत एवं सामाजिक न्याय, संचालनालय, मध्यप्रदेष

क्रमांक/सा0सू0पे0/2005/1420 भोपाल, दिनांक 2–6–2005

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेष
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत, मध्यप्रदेष।

विषयः– सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना/राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना के हितग्राहियों का विवरण एन0आई0सी0 भोपाल द्वारा प्रदाय साफ्टवेयर में तैयार करने बावत्। ष

म0प्र0 शासन, सामाजिक न्याय विभाग ने यह निर्देष दिये हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना/राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना के हितग्रहियों के भौतिक सत्यापन की कार्यवाही दिनांक 30.6.05 तक पूर्ण की जाना है। इस कार्यवाही के दौरान समस्त हितग्राहियों का प्रारम्भिक डेटा, व्यक्तिवार, ग्रामवार, पंचायतवार, जनपद पंचायतवार, नगरीय निकायवार तथा जिला पंचायतवार उपलब्ध हो जायेगा। अतः वर्ष 2002 में एन0आई0सी0 भोपाल द्वारा प्रदाय किये गये साफ्टवेयर में हितग्राहियों का विवरण तैयार किया जाये। शासन ने यह भी निर्देष दिये हैं कि यह कार्यवाही दिनांक 1.7.05 तक पूर्ण की जाकर प्रगति से अवगत कराया जाये।

अतः अनुरोध है कि हितग्राहियों की जानकारी पूव्र में प्रदाय किये गये साफ्टवेयर मैं तैयार करने की कार्यवाही भी भौतिक सत्यापन के साथ–साथ की जाये। साफ्टवेयर में जानकारी तैयार करने के संबंध में यदि कोई कठिनाई आती है तो संचालनालय में पदस्थ मुख्य सूचना अधिकारी श्री अरूण देव दूरभाष क्रमांक 2550908 हैं, से सम्पर्क सीापित किया जा सकता है।

कृपया शासन निर्देष के पालन में समयसीमा में कार्य पूर्ण करने का कष्ट करें। कृपया प्रति से दिनांक 1.7.05 को अवगत कराया जाये।

(डॉ0 विजय सिंह निरंजन)
संचालक
पंचायत एवं सामाजिक न्याय, म0प्र0

पृष्ठां0 क्रमांक/सा0सु0पें0/2005/1421 भोपाल, दिनांक 2–6–05

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, म0प्र0 शासन, सामाजिक न्याय, मंत्रालय
2. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेष।
3. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, जिला कार्यालय पंचायत एवं सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेष कृपया हितग्राहियों क विवरण निर्धारित समयावधि में पूर्ण करवाने की कार्यवाही करें।
4. श्री अरूण देव, मुख्य सूचना अधिकारी मुख्यालय, भोपाल। कृपया शासन निर्देष के पालन में सभी जिलों की जानकारी एन.आई.सी. भोपाल द्वारा प्रदाय साफ्टवेयर में तैयार करवाई जाये।

(डॉ विजय सिंह निरंजन)
संचालक
पंचायत एवं सामजिक न्याय, म0प्र.0

मध्यप्रदेष शासन
सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय

क्रमांक/752/2005/26–2/ भोपाल, दिनांक 12.5.05

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेष
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेष
3. समस्त संयुक्त संचालक/उपसंचालक/संभागीय व्यवस्थापक, जिला कार्यालय पांयत एवं सामाजिक न्याय मध्यप्रदेष
4. समस्त आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेष
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका, मध्यप्रदेष।

विषय :– सामाजिक सुरक्षा पेंषन एव राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना के शतप्रतिषत हितग्रहियों का भौतिक सत्यापन करना।

प्रदेष में सामाजिक सुरक्षा पेंषन एवं राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना का एकीकरण दिनांक 1 जुलाई 1996 से किया जाकर क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान मं 1221405 हितग्रही लाभांवित हो रहे हैं। योजना के क्रियान्वयन का मुख्य उद्देष्य यह है कि पात्र सभी व्यक्तियों को इसका लाभ दिया जाये, दूसरा पक्ष यह भी है कि अपात्र व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत लाभांवित न हो। राज्य शासन द्वारा जारी दिनांक 1 जुलाई 1996 की मार्गदर्षिका में यह प्रावधान भी किया गया है कि नियमित रूप से रेण्डम सेम्पल आधार पर जांच की जाए। इस जांच के अभी तक परिणाम परिलक्षित नहीं हुए हैं। यदि जांच में अपात्र हितग्राहियों को पृथक किया जाता है तो सापेक्ष रूप से व्यय भी कभी भी अपेक्षित है।

अतः निर्देषित किया जाता है कि –

- दिनांक 15 मई 2005 से 30 जून 2005 तक योजना के शतप्रतिषत हितग्राहियों का स्थल पर भौतिक सत्यापन किया जाये। यह कार्यवाही इस तरह की जाए कि दिनांक 30.6.05 तक जिले के सभी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में भौतिक सत्यापन का कार्य पूर्ण हो जाए।
- ग्रामीण क्षेत्र में भौतिक सत्यापन करने में कठिनाई नहीं होगी। भौतिक सत्यापन की कार्यवाही के लिए 11 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्त नोडल अधिकारी तथा जनपद पंचायत के अधिकारी/कर्मचारियों की सेवाएं ली जा सकती है।
- शहरी अर्थात नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत के हितग्राहियों के स्थल पर भौतिक सत्यापन के लिए इन कार्यालय के अधिकारियों के साथ–साथ प्रचायत एवं

सामाजिक न्याय के अधिकारी/कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य विभाग के अमले का भी उपयोग किया जा सकता हैं यह सुनिष्चित करने कि सेक्टरवाइज, वार्डवाइज सभी हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन निष्चित अवधि में पूर्ण हो सके।

- स्थानीय स्तर पर सुविधानुसार इस अभियान के लिए तारीख निर्धारित की जा सकती है।

इस कार्यवाही को दिनांक 30.6.05 तक पूर्णकरने के लिए कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं विभागीय जिला अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। कार्यवाही के चलते समय कृपया यह भी अनिवार्यतः सुनिष्चित करें कि पात्र व्यक्तियों को पेंषन नियमित रूप से मिलती रहे एवं इसमें कोई बाधा उत्पन्न न हो तथा सम्पूर्ण कार्यवाही सहजता, सरलता एवं सामूहिक सहभागिता को अपनाते हुए पूर्ण की जाए।

दिनांक 15.7.05 तक संलग्न प्रपत्र में भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के हस्ताक्षर से आयुक्त पंचायत एवं सामाजिक न्याय को भेजी जाये तथा उसकी एक प्रति कृपया शासन को भी सम्प्रेषित करें।

संलग्न – प्रपत्र

(सचिव द्वारा आदेषित)
(एस0एन0 शर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेष शासन
सामाजिक न्याय विभाग

पृष्ठा0 क्रमांक/753/2005/26–2/ भोपाल, दिनांक 12.5.05

प्रतिलिपि –

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय विभाग, म0प्र0
2. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय विभाग, म0प्र0
3. आयुक्त, पंचायत एवं सामाजिक न्याय संचालनालय मध्यप्रदेष
4. समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेष की ओर सूचनार्थ।

(एस0एन0 शर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेष शासन
सामाजिक न्याय विभाग

प्रपत्र

जिले का नाम : .....

.....

सामाजिक सुरक्षा पेंषन एवं राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना के शतप्रतिषत हितग्राहियों के भौतिक सत्यापन की जानकारी

क्रमांक	जनपद पंचायत / नगरीय निकाय का नाम	जनपद पंचायत / नगरीय निकाय में पेंषन ले रहे हितग्र0 की संख्या	जनपद पंचायत / नगरीय निकाय में भौतिक सत्यापन किये गये हितग्र0 की संख्या	जनपद पंचायत / नगरीय निकाय में भौतिक सत्यापन के उपरांत पात्र हितग्रा0 की संख्या	जनपद पंचायत / नगरीय निकाय में भौतिक सत्यापन के उपरांत अपात्र हितग्रा0 की संख्या	जनपद पंचायत / नगरीय निकाय के उन हितग्रा0 की संख्या जिनका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है	योग कॉलम क्रमांक (5+6+7)	अपात्र मिले हितग्राहियों पर क्या कार्यवाही की गई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	ग्रामीण क्षेत्र 1 2 3							
	योग ग्रामीण क्षेत्र							
2	शहरी क्षेत्र 1 2 3							
	योग शहरी क्षेत्र							
	महायोग जिला							

दिनांक :

हस्ताक्षर

(नाम.....)

कलेक्टर / मुख्य कार्यपालन

अधिकारी,

जिला.....(म0प्र0)

पंचायत एवं सामाजिक न्याय, संचालनालय, मध्यप्रदेष

क्रमांक/सा0सु0पे0/2005/1579 भोपाल, दिनांक 24–6–05

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेष
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेष।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम मध्यप्रदेष।

विषयः– सामाजिक सुरक्षा पेंषन/राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना के ऐसे हितग्राही की पेंषन राषि आहरण के संबंध में जो मृत/अपात्र या अन्य स्थानों पर चले गये हों।

सामाजिक सुरक्षा पेंषन/राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन का भुगतान बैंक/पोस्ट ऑफिसर द्वारा खाते के माध्यम से तथा मनिआर्ड एवं नगद राषि के रूप में भुगतान करने के निर्देष है। प्रायः यह देखने में आ रहा है कि खातों के माध्यम से पेंषन लेने वाले हितग्राही जो मृत हो गये है/अपात्र मिले हैं अथवा अन्य स्थान पर चले गये हैं उनकी पेंषन राषि बैंक/पोस्ट ऑफिस में पड़ी रहती है।

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना के शासन ज्ञापन क्रमांक/एफ–1/59/26–2/95, दिनांक 4–9–96 से जारी मार्गदर्षिका के पृष्ठ ''5 के कंडिका क्रमांक ''5'' में यह निर्देष है कि सामाजिक सुरक्षा पेंषन प्राप्त कर रहे निराश्रित की मृत्यु होने या अपात्र पाये जाने की सूचना मिलने पर अगले माह से पेंषन राषि का भुगतान बन्द कर दिया जाये। ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय के संबंध में वार्ड मेम्बर/पार्षदों से अपेक्षा है कि वे पेंषनर की मृत्यू होते ही जनपद पंचायत/नगरीय निकायों को इसकी सूचना देंगे।

शासन द्वारा जारी उक्त मार्गदषिका के पृष्ठ ''6'' की कंडिका ''6'' में यह भी निर्देष हैं कि – यदि कोई हितग्राही लगातार तीन माह या इससे अधिक अवधि तक पेंषन प्राप्त करने हेतु उपलब्ध नहीं होता है तो ऐसे हितग्राही को पेंषन भुगतान रोक दिया जावेगा तथा हितग्राही का आवेदन पत्र पुनः प्राप्त होने अथवा समुचित कारण होनेपर अध्यक्ष जनपद पंचायत/नगर पालिका/नगर पंचायत/महापौर नगर निगम का लिखित अनुमोदन प्राप्त करके ही उक्त हितग्राही को पेंषन का भुगतान पुनः जारी किया जा सकेगा।

अतः पुनः निर्देषित किया जाता है कि :–

1. ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगर पालिका/नगर पंचायत/नगर निगम प्रत्येक माह मृत/अपात्र/अन्यत्र स्थानों पर चले गये हितग्राहियों की जानकारी एकत्रित करेंगे।
2. मृत/अपात्र/अन्यत्र स्थानों पर चले गये हितग्राहियों की पेंषन राषि आहरित न की जाये।
3. ऐसे जिन हितग्रहियों की पेंषन राषि जो बैक/पोस्ट ऑफिस को प्रदान की गई है, उसे तत्काल वापिस किया जाकर शासन खाते में जमा करायी जावे।
4. मासिक प्रतिवेदन में यह भी प्रमण पत्र दिया जाये कि सभी हितग्रहियों को चालू माह की पेंषन का भुगतान किया गया है, ऐसे किसी भी मृत/अपात्र/अन्य स्थान पर सीानान्तरित हितग्राही की पेंषन राषि बैंक/पोस्ट ऑफिस/ग्राम पंचायत को प्रदान नहीं की गयी है।

अतः उक्त निर्देषों का कड़ाई से पालन किया जाये, साथ ही पालन प्रतिवेदन भी प्रेषित किया जावे।

(डॉ0 व्ही0 एस0 निरंजन)
संचालक
पंचायत एवं सामाजिक न्याय, म0प्र0

पृष्ठां0 क्रमांक /सा0सु0पें0/2005/1580 भोपाल, दिनांक 24.6.05

प्रतिलिपि –

1. आयुक्त, नगर निगम, ग्वालियर, भोपाल, इन्दौर, खण्डवा, बुरहानपुर, उज्जैन,देवास, रतलाम, सागर, रीवा, सिंगरोली, सतना, जबलपुर, कटनी की ओर सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, जिला कायालय पंचायत एवं सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेष की ओर सूचनार्थ एवं उक्तानुसार आवष्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(डॉ0 व्ही0एस0निरंजन)
संचालक
पंचायत एवं सामाजिक न्याय, म0प्र.0

मध्यप्रदेष शासन

समाज कल्याण विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ–1/15/96/26–2 भोपाल, दिनांक 29.10.1996

प्रति

1. समस्त संभागायुक्त
   मध्यप्रदेष
2. समस्त कलेक्टर्स
   मध्यप्रदेष
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत, मध्यप्रदेष
4. समस्त संयुक्त संचालक / उप–संचालक
   पंचायत एवं समाज सेवा, मध्यप्रदेष
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जनपद पंचायत, मध्यप्रदेष
6. समस्त आयुक्त/मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   नगर निगम / नगरपालिका / नगर पंचायत, मध्यप्रदेष
7. समस्त सचिव, ग्राम पंचायत, मध्यप्रदेष

विषय : राष्ट्रीयपरिवार सहायता योजना का मध्यप्रदेष में क्रियान्वयन।

संदर्भ : 1. विभाग का आदेष क्रमांक एफ–1/56/95/26–2 दिनांक 18.9.95

2. विभाग का आदेष क्रमांक एफ–1/15/96/26–2 दिनांक 4.9.96

भारत सरकार के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में प्रदेष में 2 अक्टूबर, 95 से प्रारंभ की जाकर 15 अगस्त 95 से प्रभावषील की गई है। विभाग के आदेष दिनांक 18.9.95 द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्ग दर्षिका प्रसारित की गई थी। तदुपरान्त विभाग के आदेष दिनांक 4 सितम्बर 96 द्वारा इन आदेषों में किंचित संषोधन किया गया है। इन संषोधन के आधार पर अब संपूर्ण पुनरीक्षित मार्गदर्षिका तैयार की जाकर संलग्न है।

मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं पर संषोधन किये गये हैं –

1. अब ग्राम पंचायत व स्थानीय नगर निकायों का यह दायित्व निर्धारित किया गया है कि वे मृत्यु की सूचना मिलते ही सहायता के लिये पात्र परिवार से सम्पर्क कर उनके आवेदन भरवायें।
2. ग्राम पंचायतों के लिये यह बंधनकारी है कि वे आवेदन प्राप्ति के सात दिन के अंदर जांच कराकर अपनी अनुषंसा जनपद पंचायत को प्रेषित करें।

3. सहायता स्वीकृति के अधिकार अब ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में स्थानीय निकायों को अंतरित किये गये हैं।

4. स्वीकृतकर्ता संस्था के लिये बंधनकारी रखा गया है कि वे आवेदन प्राप्ति के 21 दिन के अंदर पात्रता संबंधी परीक्षण कराकर स्वीकृति संबंधी निर्णय ले। उनके लिये यह भी बंधनकारी है कि आवेदन पर लिये गये फैसले को (अस्वीकृति की स्थिति में कारण दर्षाते हुए) आवेदक व अनुषंसाकर्ता अधिकारी को सूचित करें।

5. दुर्घटनावष मृत्यु के प्रकरण में स्वीकृतकर्ता संस्था को पुलिस थाने में पुष्टि कराना भी आवष्यक होगा।

6. स्वीकृतकर्ता अधिकारी के आदेष के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का अभ्यावेदन प्रस्तुत करने व साथ ही प्रकरणों की रेंडम जांच करने के लिये एक समिति को भी प्राधिकृत किया गया है।

7. जिला पंचायतों द्वारा स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी, जनपद पंचायतों व स्थानीय निकायों को सहायता के भुगतान के लिये आवष्यकतानुसार अग्रिम उपलब्ध कराया जायेगा।

8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत व उपसंचालक, पंचायत एवं समाज सेवा का यह दायित्व होगा कि वे प्रतिमाह स्वीकृत की गई सहायता की जानकारी का संकलन कर संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा व भारत सरकार को प्रेशित करें।

उपरोक्तानुसार परिवार सहायता की स्वीकृति की प्रक्रिया को इन निर्देषों द्वारा सरल किया गया है। शासनचाहता है कि अब पात्र हितग्राहियों को समय से सहायता उपलब्ध हो। इसके लिये यह सुनिष्चित किया जाना आवष्यक है कि योजना का व्यापक / प्रसार किया जाये एवं साथ ही जिलों को प्राप्त राषि से हर जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय को उनकी आवष्यकता के अनुरूप अग्रिम उपलब्ध कराया जाये। यह भी आवष्यक है कि स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा जिला पंचायत को व जिला पंचायत द्वारा संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा व भारत सरकार को नियमित रूप से प्रगति प्रतिवेदन व राषि के उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजें जायें, ताकि सहायता राषि की अगली किष्त अवरूद्ध न हो।

(अलका सिरोही)

सचिव

समाज कल्याण विभाग

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्षिका

1. परिवार सहायता योजना हेतु पात्रता

इस योजना के अन्तर्गत निम्नांकित परिवार सहायता का पात्र होगा –

1. परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला हो,
2. परिवार के ऐसे सदस्य की मृत्यु हो जावे, जिसकी कमाई से ही अधिकांषतः परिवार का गुजारा चलता है।
3. मृत्यु की दिनांक को मृतक के सदस्य की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक तथा 65 वर्ष से कम हो।

स्पष्टीकरण

1. परिवार में पति, पत्नी, अवयस्क बच्चे, अविवाहित पुत्रियां एवं आश्रित माता, पिता शामिल माने जावेंगे।
2. भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारिम मापदण्ड के अनुसार ही गरीबी रेखा का निर्धारण किया जावेगा तथा ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की सर्वे सूची ही आधार मानी जायेगी।
3. यदि किसी परिवार में एक से अधिक सदस्य कमाते हो, तो उसे सदस्य की मृत्यु पर ही सहायता की पात्रता होगी, जिसकी आय का परिवार की आय में सर्वाधिक योगदान है।

2. सहायता की राषि

परिवार सहायता की राषि वह होगी जो भारत सरकार द्वारा समय समय प्रषासकीय आदेष से नियत की जाये।

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा परिवार सहायता की राषि प्राकृतिक रूप से मृत्यु तथा अप्राकृतिक अथवा दुर्घटनावष मृत्यु होने पर रूपये 10,000/– नियत की गई है।

3. परिवार सहायता का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया एवं ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय का दायित्व :–

1. परिवार सहायता हेतु प्रारूप 1 में मुद्रित आवेदन पत्र शहरी क्षेत्र में नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत द्वारा निःषुल्क

उपलब्ध कराया जावेगा। ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत द्वारा मुद्रित फार्म प्रत्येक ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराये जावेंगे।

मुद्रित आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं होने की दषा में निर्धारित प्रारूप में सादे कागज पर आवेदन किया जा सकेगा।

2. ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत का यह दायित्व निर्धारित किया जाता है कि वे जन्म मृत्यु पंजी के आधार पर या अन्यथा मृत्यु की सूचना मिलते ही सहायता के पात्र परिवार से सम्पर्क कर परिवार के नये मुखिया से प्रारूप 1 में आवेदन पत्र भरा कर प्राप्त कर लें।

   इसके लिये ग्राम पंचायत / नगरीय निकाय के संबंधित वार्ड मेम्बर का सीधा दायित्व होगा। किन्तु ग्राम पंचायत / नगरीय निकाय के वार्ड मेम्बर द्वारा सम्पर्क न करने की स्थिति में भी मृतक के परिवार द्वारा आवेदन दिया जा सकेगा। आवेदन प्राप्त होते ही संबंधित स्थानीय संस्था द्वारा आवेदक को पावती दी जाएगी।

3. आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ग्राम पंचायत / नगरीय निकाय द्वारा (संबंधित वार्ड मेम्बर अथवा ग्राम पंचातय / नगरीय निकाय के किसी अधिकारी के माध्यम से) परिवार की आय व नये मुखिया के बारे में तस्दीक व आवष्यक जांच कराई जावेगी तथा इसके निष्कर्ष प्रमाणीकरण के रूप में प्रारूप पर यथा स्थान अंकित किये जावेंगे, ग्राम पंचायत का यह दायित्व होगा कि आवेदन प्राप्ति दिनांक से 7 दिन के अंदर यथा आवष्यक जांच पूर्ण कर दी जावे, आवेदन पत्र सम्यक रूप से उचित पाये जाने पर सहायता संबंधी आवेदन प्रारूप 1 पर अपनी अनुष्सा सहित ग्राम पंचायत द्वारा जनपद पंचायत को तुरन्त प्रेषित किया जायेगा।

4. ग्राम पंचायत से प्राप्त अनुषंसा पर जनपद पंचायत द्वारा आवष्यक जांच कराई जा सकती है, किन्तु यह जांच हर हालत में आवेदन पत्र प्राप्ति के दिनांक से 21 दिन के अंदर पूर्ण हो जानी चाहिये, जांच कार्य विकास खण्ड में पदस्थ पंचायत एवं समाज षिक्षा संगठक के माध्यम से कराया जा सकता है, अन्यथा जनपद पंचायत अपने किसी अधिकारी से भी जांच करा सकती है।

5. दुर्घटना वष हुई मृत्यु के सभी मामलों के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अन्तर्गत मर्ग कायम किया जाता है और उसका अभिलेख थाने में होता है अतः दुर्घटनावष थाने से भी इसकी तस्दीक करा ले। सामान्यतः यह जांच भी ऊपर (3–4 में अंकित 21 दिन की समयावधि में ही पूर्ण कराना आवष्यक होगी।

6. जनपद पंचायत / नगरीय निकाय द्वारा प्रारूप 2 में रजिस्टर संधारित किया जावेगा, जिसमें प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को दर्ज किया जावेगा।

4. परिवार सहायता मंजूर करने की प्रक्रिया

1. शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत में प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण उपरान्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी उन्हें अपनी टीप के साथ जनपद पंचायत अथवा नगरीय निकाय की अगली बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगा।

2. शहरी क्षेत्र में संबंधित नगरीय निकाय को तथा ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत को प्राप्त आवेदन पत्रों पर सहायता स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार होगा, किन्तु जनपद पंचायत / नगरीय निकायों के लिये आवष्यक होगा कि कोई आवेदन अस्वीकृत करने की दषा में उनके कारणों का भी स्पश्ट उल्लेख करें।

3. जनपद पंचायत / नगरीय निकाय के लिये बंधनकारी है कि आवेदन पत्र प्राप्ति के 21 दिन की अवधि में आवेदन पत्र पर यथा आवष्यक जांच कर सहायता स्वीकृत/अस्वीकृत करने का आदेष पारित करें व सहायता स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने की सूचना आवेदक को प्रारूप 3 में भेजे, जनपद पंचायत द्वारा स्वीकृति/अस्वीकृति की सूचना ग्राम पंचायत को भी भेजी जाना आवष्यक होगी।

5. जनपद पंचायत / नगरीय निकाय के आदेष के विरूद्ध अभ्यावेदन एवं समिति द्वारा जांच

1. (क) जनपद पंचायत / नगरीय निकाय के आदेष के विरूद्ध आवेदक / संबंधित ग्राम पंचायत अथवा मामले में हित रखने वाले अन्य किसी व्यक्ति द्वारा अभ्यावेदन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्रस्तुत किया जा सकेगा अनुविभागीय अधिकारी जांच उपरान्त यदि यह पाते हैं कि पात्रता के बावजूद सहायता स्वीकृत नहीं की गई है तो वे स्वीकृति जारी कर सकेंगे। इसी प्रकार से यदि यह पाया जाता है कि अपात्र व्यक्ति को सहायता स्वीकृत की गई है तो वे स्वीकृति आदेष भी निरस्त कर सकेंगे।

   (ख) अनुविभागीय अधिकारी को आभ्यावेदन के अतिरिक्त, प्रकरणों की सेम्ल (रेण्डम) के आधार पर अथवा अन्यथा आवष्यकता होने पर निम्नांकित समिति द्वारा भी जांच की जा सकेगी।

1.	अनुविभागीय अधिकारी	अध्यक्ष
2.	उप संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा अथवा उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति	सदस्य
3.	ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में संबंधित जनपद पंचायत के एक प्रतिनिधि वष्शहरी क्षेत्र की स्थिति में संबंधित नगरीय निकाय के एक प्रतिनिधि	सदस्य

यह समिति स्वमेव भी स्वीकृत परिवार सहायता प्रकरणों का परीक्षण कर उन पर यथा योग्य आदेष पारित कर सकेगी।

2. संबंधित जनपद पंचायत / स्थानीय निकाय उपरोक्तानुसार उक्त कंडिका 1 (क) एवं (ख) की जांच में अपात्र पाये गये व्यक्ति को भुगतान की जा चुकी सहायता राषि की वसूली की कार्यवाही भी कर सकेगी।

6. परिवार सहायता के भुगतान की प्रक्रिया

1. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना अन्तर्गत धनराषि का आवंटन भारत सरकार द्वारा सीधे जिला पंचायतों को प्राप्त होगा।

2. जिला पंचायत द्वारा संबंधित जनपद पंचायत अथवा नगरीय निकायों को तीन माह की आवष्यकता के बराबर राषि अग्रिम रूप में उपलब्ध कराई जावेगी।

   जनपद पंचायत / नगरीय निकाय द्वारा अग्रिम राषि में से दो तिहाई राषि खर्च हो जाने पर जिला पंचायत को उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ आवष्यक धन राषि हेतु मांग प्रस्तुत की जावेगी। मांग प्राप्त होने पर जिला पंचायत द्वारा आवष्यकतानुसार पुनः अग्रिम उपलब्ध कराया जावेगा।

3. स्वीकृति आदेष जारी होने के तत्काल बाद परिवार सहायता हेतु जिला पंचायत द्वारा जनपद पंचायत / नगरीय निकाय को उपलब्ध कराई गई राषि में से संबंधित निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एकाउन्ट पेयी / आर्डर चेक द्वारा आवेदक को राषि का भुगतान करेंगे। यह चेक आवेदक के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जावेगा। अपवाद स्वरूप ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां 10 किलोमीटर की दूरी के अन्दर भी कोई बैंक शाखा नहीं है वहां आवष्यकतानुसार जनपद पंचायत द्वारा पोस्ट ऑफिस बचत खाते के माध्यम से भी राषि का भुगतान किया जा सकता है।

7. अभिलेखों का संधारण

1. शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत परिवार सहायता हेतु आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्रों का पंजीयन स्वीकृति / अस्वीकृति तथा स्वीकृति के मामले में भुगतान का विवरण प्रारूप 2 में रजिस्टर में संधारण करेगी।

2. शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत द्वारा परिवार सहायता का मासिक प्रतिवेदन प्रारूप 4 में (प्रारूप 2 की जानकारी सहित) जिला उप संचालक पंचायत एवं समाज सेवा तथा जिला पंचायत को भेजा जावेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी सम्पूर्ण जिले की जानकारी संकलित कर संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा म.प्र. तथा संयुक्त सचिव राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजेंगे।

3. जिला उप–संचालक पंचायत एवं समाज सेवा द्वारा भी प्रारूप 4 में ही जिले का संकलित प्रतिवेदन संचालक, पंचायत समाज सेवा को भेजा जावेगा।

4. राष्ट्रीय परिवार सहायता का जिले का संकलित त्रैमासिक / वार्षिकप्रतिवेदन प्रारूप 5 में जिले के उप–संचालक तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा को भेजा जावेगा।

8. अभिलेखों का निरीखण एवं लेखा परीक्षण

1. अभिलेखों का निरीक्षण जिला उप–संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा प्रति त्रैमास तथा संभागीय संयुक्त संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा प्रत्येक छः माह में करेंगे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन संचालनालय एवं समाज सेवा को भेजेंगे।

2. भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा अभिलेखों का निरीक्षण/ परीक्षण किया जा सकेगा।

3. पंचायत एवं समाज सेवा संचालनालय के अधीनस्थ अंकेक्षण दल से प्रतिवर्ष ऑडिट कराया जावेगा तथा आवष्यकता होने पर संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा द्वारा विषेश ऑडिट दल भेजकर लेखों का ऑडिट कराया जा सकेगा।

9. जिला स्तरीय सामाजिक सहायता समिति का गठन

राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत आने वाली सभी योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं समन्वय निम्नांकित जिला स्तरीय राष्ट्रीय सामाजिक सहायता समिति द्वारा किया जायेगा –

1.	अध्यक्ष, जिला पंचायत	अध्यक्ष
2.	जिले के समस्त सांसद	सदस्य
3.	जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा नामांकित एक तिहाई विधायकगण	सदस्य
4.	जिले की चार जनपद पंचायतों के अध्यक्ष	सदस्य
5.	नगर निगम के महापौर	सदस्य
6.	एक–एक नगर पालिका / नगर पंचायत के अध्यक्ष	सदस्य
7.	कलेक्टर	सदस्य
8.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	सदस्य
9.	उप संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा	सदस्य/ सचिव

टीप

1. विधायक गणों का नामांकन प्रतिवर्ष किया जायेगा।

2. जनपद पंचायतों के अध्यक्षों का नामांकन जनपद पंचायत के हिन्दी वर्णमाला के अक्षरों के अनुक्रम में अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा किया जायेगा।

   यदि किसी जिले में जनपद पंचायतों की संख्या 4 से कम है तो समस्त जनपद पंचायतों के अध्यक्ष समिति के सदस्य होंगे।

3. नगर पालिका / नगर पंचायतों के अध्यक्षों का नामांकन नगर पालिका / नगर पंचायत के हिन्दी वर्णमाला के अक्षरों के अनुक्रम में अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा किया जायेगा।

   यह समिति राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना / एकीकृत वृद्धावस्था एवं सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना के क्रियान्वयन की मासिक समीक्षा करेगी। समिति के सदस्य सचिव समीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति नियमित रूप से संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा को प्रेशित करेंगे।

अनुक्रमांक

प्रारूप – 1

(भाग–एक)

परिवार सहायता हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम ..... पिता / पति .....
2. वर्ग अ.ज.जा. / अ.जा. / अ.पि.वर्ग. / सामान्य .....
3. आवेदक का पूर्ण पता .....

   .....
4. मृतक का नाम .....
5. आवेदक का मृतक से रिष्ता .....
6. मृतक की आयु (मतदाता सूची के आधार पर) .....

   मृत्यु पूर्व मृतक की वार्शि आय (षहरी क्षेत्र के लिये) .....
7. गरीबी रेखा की सर्वेक्षण सूची में अनुक्रमांक (ग्रामीण क्षेत्रों के लिये) .....
8. मृतक के परिवार के आश्रित सदस्यों की जानकारी –

क्र.	नाम	मृतक से संबंध	आयु	व्यवसाय	वार्षिकआमदनी
1. 2. 3. 4.					

योग .....

9. मृत्यु दिनांक .....

10. मृत्यु का कारण .....

11. मृत्यु का स्थान .....

12. दुर्घटनावष हुई मृत्यु के मामले में क्या पुलिस थाने में सूचना दी गई है, यदि हां तो पुलिस थाने का नाम .....

स्थान ..... आवेदक का नाम व हस्ताक्षर

दिनांक .....

प्रारूप – 1

भाग दो

ग्राम पंचायत / नगरीय निकाय के वार्ड मेम्बर या अधिकृत अधिकारी द्वारा परिवार की आय व नये मुखिया के बारे में तस्दीक / जांच

प्रमाणित किया जाता है कि स्वर्गीय श्री / श्रीमती / सुश्री ..... पिता / पति ..... आयु ..... निवासी .... ग्राम / नगरीय वार्ड क्रमांक .....

की मृत्यु दिनांक ..... को ..... कारणों से हुई।

2. मृतक का परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की सर्वे सूची के क्रमांक ..... पर अंकित है या

   मेरे द्वारा स्वयं की गई जांच के आधार पर प्रमाणित करता हूं / करती हूं कि समस्त स्त्रोतों से मृतक के परिवार की वार्षिकआय लगभग रूपये .....प्रतिवर्ष थी। अतः उसका परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा था।

3. स्वर्गीय श्री / श्रीमती / सुश्री .....की मृत्यु अप्राकृतिक रूप में दुर्घटनावष हुई है तथा इस संबंध में पुलिस थाना..... ..... में प्रकरण क्रमांक .....दर्ज हुआ है।

4. परिवार सहायता योजनान्तर्गत नियमानुसार सहायता राषि रूपये .....

श्री / श्रीमती / सुश्री ..... जो कि मृतक का / की ..... है (संबंध बताये) को दिये जाने की अनुषंसा की जाती है, क्योंकि अब वे परिवार के मुखिया के रूप में इस परिवार की देखरेख व पालन पोशण करेंगे / करेंगी।

दिनांक

हस्ताक्षर .....

सरपंच / पंच / सचिव ग्राम पंचायत

नगर निकाय के संबंधित

वार्ड मेम्बर या अधिकृत अधिकारी के

हस्ताक्षर तथा सील

प्रारूप – 1

(भाग–तीन)

नियम 3 (3) के तहत ग्राम पंचायत द्वारा जनपद पंचायत को प्रेषित की जाने वाली अनुसंषा टीप

प्रमाणित किया जाता है कि स्वर्गीय श्री /श्रीमती / सुश्री .... पिता / पति ..... निवासी .... की मृत्यु प्राकृतिक रूप से हुई है। मृतक का परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार है तथा मृतक के परिवार के मुखिया श्री / श्रीमती / सुश्री ..... को परिवार सहायता की राषि रूपये ....प्रदाय की जाने की अनुषंसा की जाती है/कारण .... से अनुसंषा नहीं की जाती है।

दिनांक .....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

सरपंच ग्राम पंचायत .....

पदमुद्रा .....

अनुक्रमांक .....

आवेदन पत्र की अभिस्वीकृति

श्री / श्रीमती / सुश्री ..... की मृत्यु के आधार पर आवेदक ..... की ओर से दिनांक .... को राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ।

हस्ताक्षर .....

ग्राम पंचायत / नगरीय निकाय

के अधिकृत अधिकारी की पदमुद्रा

प्रारूप – 2

परिवार सहायता हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का पंजीयन का रजिस्टर (जनपद पंचायत / नगरीय निकाय द्वारा संधारित किया जावेगा)

क्र.	आवेदक का पूरा नाम व पता (ग्राम पंचायत सहित)	आवेदन प्राप्ति का दिनांक	वर्ग अ.जा./अ.ज.जा./पुरूष / अ.पि. वर्ग/सा./ स्त्री		मृतक का नाम
1	2	3	4	5	6
मृतक की मृत्यु का दिनांक	मृतक की उम्र	मृत्यु का कारण	अनुषंसाकर्ता का नाम व पद	परिवार सहायता अस्वीकृत	आदेष क्रमांक व दिनांक
7	8	9	10	11	12
अस्वीकृति का कारण		स्वीकृति की दषा में बैंक / पोस्ट ऑफिस	भुगतान का विवरण चेक क्रमांक	राषि	प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
13	14	15	16	17	18

पंजीकृत डाक से

प्रारूप – 3

कार्यालय जनपद पंचायत / नगर निगम/नगर पालिका / नगर पंचायत

.....जिला ..... (म.प्र.)

क्रमांक .....

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र / पुत्री/ पत्नी / पति ..... निवासी ग्राम / नगर ..... तहसील/विकासखण्ड ..... जिला ..... को जनपद पंचायत / नगर निगम नगरपालिका / नगर पंचायत की बैठक दिनांक ..... में लिये गये निर्णय अनुसार एतद्

द्वारा –

1. परिवार सहायता की राषि रूपये ..... एक मुष्त भुगतान की स्वीकृति दी जाती है। सहायता राषि का चेक क्र. .....दिनांक ..... संलग्न है।

या

2. परिवार सहायता की पात्रता न होने से आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

   परिवार सहायता अस्वीकृति का कारण .....
   .....

हस्ताक्षर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत

प्राधिकृत अधिकारी नगरीय निकाय

पृष्ठांकन क्रमांक ..... दिनांक .....

प्रतिलिपिः–

1. ग्राम पंचायत ..... तहसील .....
   जिला ..... की ओर उनसे प्राप्त आवेदन के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. आवेदक श्री / श्रीमती / सुश्री .....
   पता ..... को सूचनार्थ

हस्ताक्षर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जनपद पंचायत / प्राधिकृत अधिकारी

नगरीय निकाय

प्रारूप – 4

राष्ट्रीय परिवार सहायता का मासिक प्रतिवेदन

जिला ..... माह .....वर्ष ..... (जनपद पंचायत / नगरीय निकाय द्वारा उप–संचालक, पंचायत समाज सेवा एवं जिला पंचायत को एवं जिले में संकलित जानकारी)

जिला पंचायत, उप–पंचायत एवं समाज सेवा द्वारा संचालक को भेजा जाने वाला मासिक प्रतिवेदन

1. वित्तीय	हितग्राहियों के वितरण के लिये	प्रषासकीय व्यय के लिये

उपलब्ध राषि एवं प्राप्त आवंटन

1. वर्ष के प्रारंभ में गत वर्ष की शेष राषि
2. प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष में विगत माह तक प्राप्त राषि
3. प्रतिवेदन माह में प्राप्त राषि

योग .....

.....

भुगतान		
हितग्राहियों पर व्यय		प्रषासकीय व्यय
4. विगत माह तक किया गया व्यय		
अ. डाकघर बचत खाते के माध्यम से		
ब. बैंक खातों के माध्यम से		

5. प्रतिवेदन माह में किया गया व्यय

अ. डाक घर बचत खते के माध्यम से

ब. बैंक खातों के माध्यम से .....

योग .....

शेष राषि .....

2. प्रषासकीय व्यय

क्र.	विवरण	विगत माह तक कुल व्यय	प्रतिवेदित माह में व्यय	योग
1	2	3	4	5
1. बैंक / पोस्ट आफिस को कमीषन भुगतान पर				
2. जन जाग्रति एवं सूचना संचयन पर				
3. प्रषिक्षण पर व्यय				
4. विविध जैसे आवेदन पत्रों की छपाई इत्यादि पर				

योग .....

.....

3. भौतिक हितग्राहियों की संख्या

	अ.जा.		अ.ज.जा.		अन्य		योग	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1. वित्तीय वर्ष में कुल परिवारों की संख्या जिन्हें इस माह के अन्त तक भुगतान किया गया।								
(प्रतिवेदन माह की संख्या भी शामिल करें)								
अ. प्राकृतिक मृत्यु की दषा में								
ब. अप्राकृतिक मृत्यु की दषा में								
योग (अ+ब)								
.....								
2. परिवारों की संख्या जिन्हें केवल प्रतिवेदित माह में सहायता राषि भुगतान की गई।								
अ. प्राकृतिक मृत्यु की दषा में								
ब. अप्राकृतिक मृत्यु की दषा में								
योग (अ+ब)								
.....								

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जनपद पंचायत

नगर पालिका / नगर निगम नगर पंचायत .....

उप–संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा, जिला

प्रारूप – 5

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (एन.एफ.बी.एस.) का त्रैमासिक / वार्षिक प्रतिवेदन

(जनपद पंचायत / नगरीय निकाय द्वारा उप–संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा जिला पंचायत को तथा संकलित जानकारी जिला पंचायत द्वारा उपसंचालक पंचायत एवं समाज सेवा के माध्यम से संचालक को भेजा जाने वाला प्रतिवेदन)

राज्य ..... जिला ..... माह .....वर्ष .....

भौतिक

(1) त्रैमास / वर्ष में स्वीकृतकर्ता, संस्था को कुल प्राप्त

प्रकरणों की संख्या

(2) त्रैमास/ वर्ष में कुल अस्वीकृत प्रकरणों की संख्या

कुल प्राप्त प्रकरण जो कि स्वीकृत किये गये

(अ) पंचायतों द्वारा

	अ.जा.		अ.ज.जा.		अन्य		योग	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1. प्राकृतिक मृत्यु के प्रकरण 2. दुर्घटनावष मृत्यु के प्रकरण ब. नगरीय निकायों द्वारा 1. प्राकृतिक मृत्यु के प्रकरण 2. दुर्घटनावष मृत्यु के प्रकरण								

कुल स्वीकृत प्रकरण .....

वित्तीय

(1) चालू वित्त वर्ष ..... के प्रारंभ में गत वर्ष की शेष राषि

	हितग्राही संख्या	राषि

2. त्रैमास / वर्ष में लाभान्वितों को प्रदाय की गई राषि		
अ. पोस्ट आफिस / बैंक में बचत खाते से		
ब. प्राकृतिक मृत्यु के दौरान	.....	.....
दुर्घटना के दौरान	.....	.....
स. व्यावसायिक बैंक खाते से		
प्राकृतिक मृत्यु के कारण	.....	.....
दुर्घटनावष मृत्यु के प्रकरण		

कुल योग .....

निम्न मदों पर व्यय

(अ) बैंक के द्वारा भुगतान में होने वाले कमीषन की राषि .....

(ब) सूचना संचलन एवं जनजाग्रति पर व्यय .....

(स) प्रषिक्षण पर व्यय .....

(द) आवेदन पत्रों की छपाई आदि पर व्यय .....

आवंटन में से कुल प्राप्त शेष राषि जो आगामी

त्रैमास / वर्ष में उपयोग की जाना है .....

(3) क्या जिले द्वारा राज्य शासनसे आवंटित परिवार सहायता योजना का क्रियान्वयन किया जाता है, यदि हां तो निम्न विवरण दें हां / नहीं

(अ) चालू वित्त वर्ष में जिलों को प्रदाय की गई राषि का विवरण .....

(ब) वर्ष ..... में जिलों को प्रदाय की गई राषि का विवरण .....

(4) क्या राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अन्तर्गत द्वितीय किष्त हेतु हां / नहीं

मांग की गई है यदि हां तो कृपया जानकारी दें कि –

(अ) क्या संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा गया है।

(ब) वास्तविक व्यय की आडिट रिपोर्ट संबंधित अवधि को भेजी गई है।

हस्ताक्षर

पद

दिनांक

पंचायत एवं समाज सेवा संचालनालय, मध्यप्रदेष

क्रमांक / रा.सा.सहा.यो./23/97/1964 भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर, 1997

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत, समस्त,
   मध्यप्रदेष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत, समस्त
   मध्यप्रदेष

विषय – राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के क्रियान्वयन बाबत।

जनप्रतिनिधियों ने चर्चा के दौरान अवगत कराया है कि राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का लाभ कतिपय जिलों में परिवार की महिला सदस्य होने पर नहीं दिया जा रहा है।

परिवार सहायता योजना के अंतर्गत पात्रता के संबंध में मार्गदर्षिका में उल्लेखित स्पश्टीकरण के अनुसार ''यदि किसी परिवार में एक से अधिक सदस्य कमाते हों, तो ऐसे सदस्य की मृत्यु होने पर ही सहायता की पात्रता होगी, जिसकी आय का परिवार की आय में सर्वाधिक योगदान हो''। परिवार में पति, पत्नी, अवयस्क बच्चे, अविवाहित पुत्रियां एवं आश्रित माता–पिता को शामिल माना गया है।

अतः स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी परिवार में महिला सदस्य की आय का, परिवार की आय में सर्वाधिक योगदान है, तो उसकी मृत्यु होने पर परिवार सहायता की राषि स्वीकृत की जानी चाहिये।

आयुक्त,
पंचायत एवं समाज सेवा, म.प्र.

पृ.क्रमांक / रा.सा.सहा.यो. / 23 / 97 / 1965 भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर, 1997

प्रतिलिपि

1. सचिव, मध्यप्रदेष षासन, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. समस्त संभगायुक्त, मध्यप्रदेष।
3. समस्त कलेक्टर्स, मध्यप्रदेष।
4. समस्त आयुक्त / मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर निगम / नगरपालिका / नगर पंचायत, मध्यप्रदेष।
5. समस्त संयुक्त संचालक / उप–संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा, मध्यप्रदेष।
6. समस्त सचिव, ग्राम पंचायत, मध्यप्रदेष।

आयुक्त,

पंचायत एवं समाज सेवा, म.प्र.

पंचायत एवं समाज सेवा संचालनालय, मध्यप्रदेष

क्रमांक / रा.सा.स.यो. / 29 / 98 / 1487 भोपाल, दिनांक 9.7.98

प्रति

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत, समस्त,
   मध्यप्रदेष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत, समस्त
   मध्यप्रदेष

विषय – राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के संबंध में

उपर्युक्त विषय में भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली से प्राप्त पत्र दिनांक 29 अप्रैल 1998 की छाया प्रति संलग्न है।

कृपया संलग्न अनुसार कार्यवाही सुनिष्चित की जाये।

संलग्न – 1

अपर संचालक
पंचायत एवं समाज सेवा, म.प्र.

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली – 110 001

MRS SUDHA PILLAI
Joint Secretary (NSAP)

Ministry of Rural Areas and Employment
Department of Rural Development
Government of India
Krishi Bhavan, New Delhi – 110 001

D.O. No.J-13020/4/98-NSAP
Dated the 29th April, 1998

Dear Shri Sunil Kumar,

The issue regarding grant of monetary benefit under the National Family Benefit Scheme to the survivors of the victims of snake-bite and suicide has been under consideration of this Ministry for some time. It has now been decided that deaths due to snake-bite and suicide are to the treated as unnatural and as such the survivors of the victims of such incidents shall. if they are other wise eligible, quality for monetary benefit under NFBS.

This may pleas be brought to the notice of the District Level Authorities of NSAP and other concerned officers of your State.

With regards

Yours sincerely,

(Sudha Pillai)

Shri Sunil Kumar
Secretary,
Social Welfare Department,
Govt. of Madhya Pradesh
Bhopal – 462 001 (M.P.)

पंचायत एवं समाज सेवा संचालनालय, मध्यप्रदेष

क्र./रा.सा.स.यो./98/28/1816 भोपाल, दिनांक 13.8.98

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त
   मध्यप्रदेष
2. समस्त कलेक्टर्स,
   मध्यप्रदेष
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत, मध्यप्रदेष
4. समस्त संयुक्त संचालक / उप–संचालक,
   पंचायत एवं समाज सेवा, मध्यप्रदेष
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत, मध्यप्रदेष
6. समस्त आयुक्त / मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत, मध्यप्रदेष

विषय :– राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के संबंध में।

सचिव, भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के अर्द्ध षासकीय पत्र क्रमांक जे–13017/2/97 एन.एस.ए.पी. दिनांक 30.7.98 का अवलोकन करें। सहज संदर्भ हेतु उक्त पत्र की छायाप्रति एवं हिन्दी अनुवाद संलग्न है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत विभाग से संबंधित कार्यक्रम राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के क्रियान्वयन के निर्देषों में संषोधन किया है। यह नवीन व्यवस्था 1 अगस्त 1998 से लागू होगी। कार्यक्रमों में मुख्यतः निम्न संषोधन किये गये हैं :–

1. राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम में 1.8.98 के उपरान्त प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक किसी भी प्रकार से होने वाली मृत्यु के प्रकरणों में हितग्राहियों को रू. 10,000/– की सहायता राषि दी जायेगी।
2. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना में नकद भुगतान की व्यवस्था की गई है।

3. पूर्व के दिषा निर्देषों में परिवार में पति, पत्नी, अवयस्क बच्चे, अविवाहित पुत्रियां एवं आश्रित माता–पिता शामिल माने गये हैं, अब परिवार में अविवाहित वयस्क एवं उसके अवयस्क भाई/बहन भी सम्मिलित होंगे।

4. भारत सरकार अब जिन राज्यों द्वारा कार्यक्रमों में उपलब्ध राषि का उपयोग नहीं किया जायेगा उन राज्यों की राषि दूसरे राज्यों को दी जायेगी। अब यह अत्यंत आवष्यक है कि इन कार्यक्रमों में प्राप्त होने वाली राषि का पूरा–पूरा लाभ निर्धारित समय सीमा में ही हितग्राहियों को दिया जाये।

कृपया उक्त संषोधन की जानकारी कार्यक्रम से जुड़े सभी कार्यालयों यथा ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत तथा नगरीय निकायों को दी जाये, इसके साथ ही इन संषोधनों का क्षेत्रीय स्तर / ग्राम सभाओं के व्यापक प्रचार–प्रसार भी करें। कृपया यह भी सुनिष्चित करे कि पात्र हितग्राहियों को सहायता राषि समय पर प्राप्त हो, तथा कार्यक्रमों की मासिक प्रगति की जानकारी भी प्रतिमाह 10 तारीख तक इस संचालनालय को भेजी जाये।

कृपया इस संबंध में षीघ्र कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से भी अवगत कराया जाये।

आयुक्त

पंचायत एवं समाज सेवा, म.प्र.

भारत सरकार

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
197, कृषि भवन नई दिल्ली – 110001
फोन : 3282063, 3782211 : फैक्स : 3782328

30 जुलाई 1998

डॉ. एन.सी.सक्सेना
सचिव

प्रिय श्री ष्शर्मा,

जैसा कि आपको विदित है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) के तीन तत्व यथा (1) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना (2) राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (3) राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना दिनांक 15 अगस्त 1995 से प्रभावषील है। यह षत प्रतिषत केन्द्र प्रवर्तित योजना है जो वृद्धावस्था, प्रसूति एवं मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के संचालन में सुधार हेतु राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा दिये गये विभिन्न सुझावों के आधार पर मंत्रालय द्वारा वर्तमान मार्गदर्षिका में कतिपय संषोधन प्रस्तावित किए थे। हाल ही में भारत सरकार द्वारा इन संषोधन का अनुमोदन किया गया है।

2. इन परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में इसी बीच त्वरित सहायता हेतु मैं आपका ध्यान निम्नानुसार आकृश्ट करना चाहूंगा।

(अ) ये परिवर्तन 1 अगस्त 1998 से लागू होंगे। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत 1 अगसत 1998 के पष्चात हुई मृत्यु के प्रकरण स्वीकृति हेतु मान्य होंगे। राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना के अंतर्गत उन गर्भवती महिलाओं के आवेदन 1 अगस्त 1998 को अथवा उसके बाद प्राप्त हुआ हो, मान्य होंगे।

(ब) राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनान्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्राकृतिक मृत्यु के प्रकरण में रूपये 5000/– एवं दुर्घटनावष मृत्यु के प्रकरण में रूपये 10,000/– की राषि नियत की गई थी। राज्य में परिवार सहायता के तहत निर्धारित सीमा में दुर्घटनावष मृत्यु प्रकरणों के लिये 10 प्रतिषत सीलिंग निर्धारित थी। भारत सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि दूरस्त ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टमार्टम की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण दुर्घटनावष मृत्यु के प्रकरणों की सही जानकारी प्राप्त करना कठिन है। इसके साथ ही कमाऊ सदस्य की मृत्यु किसी भी कारणों से हो उसके परिणाम तो संबंधित परिवार को एक समान भुगतने होते हैं। अतः भारत सरकार ने राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनान्तर्गत प्राकृतिक मृत्यु के प्रकरणों में भी सहायता राषि रूपये 10,000/– बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु चाहे प्राकृतिक हो अथवा दुर्घटनावष सहायता राषि रूपये 10,000/– ही

होगी। दुर्घटनावष मृत्यु प्रकरणों में पूर्व निर्धारित 10 प्रतिषत सीलिंग भी समाप्त की जाती है।

(स) पूर्व मार्गदर्षिका अनुसार मुख्य कमाऊ सदस्य वह व्यक्ति है जो अपनी आय का सर्वाधिक हिस्सा पारिवारिक आय में देता हो। राज्यों से ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि यह पता लगाना अत्यंत ही कठिन है कि मृतक व्यक्ति द्वारा ही पारिवारिक आय में सर्वाधिक योगदान दिया गया है या नहीं, चूंकि प्रायः गरीब घरों में एक से अधिक सदस्य के कमाने पर ही परिवार का गुजारा होता है। इन परिस्थितियों में सरकार ने निर्णय लिया है कि परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य (महिला या पुरूष) वह व्यक्ति होगा जो अपनी आय का अधिकांष भाग कुल पारिवारिक आय में देता हो।

(द) पूर्व मार्गदर्षिका अनुसार परिवार के अंतर्गत पति, पत्नी, अवयस्क बच्चे, अविवाहित पुत्रियां एवं आश्रित माता–पिता सम्मिलित थे। कुछ प्रकरणों में ऐसे परिवार देखने में आये है जिनमें अविवाहित कमाऊ वयस्क और अवयस्क भाई, बहन जिनका कमाऊ वयस्क की मृत्यु होने पर राष्ट्रीय परिवार सहायता के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जा रहा था। अतः अब यह निर्णय लिया गया है कि परिवार में अविवाहित वयस्क, एवं उसके अवयस्क भाई/बहन भी सम्मिलित होंगे।

(इ) यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना में भी सहायता राषि रूपये 300/– से बढ़ाकर रूपये 500/– की जाती है।

(फ) राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना के मूल दिषा निर्देषों के अनुसार प्रसूति के 12–8 सप्ताह के पूर्व, एक ही किष्त में भुगतान किया जाना नियत है। शासनके ध्यान में यह बात भी लाई गई है कि कभी–कभी बच्चे के जन्म के पष्चात आवेदन पत्र प्राप्त होते है, जिससे इस प्रकार के प्रकरणों में स्वीकृतकर्ता अधिकारी को आवेदन स्वीकृत करने में कठिनाई आती रही है। अतः अब यह निर्णय लिया गया है कि उचित समय पर मातृत्व सहायता की राषि का वितरण सुनिष्चित किया जाये। विलंब की स्थिति में बच्चे के जन्म के पष्चात भी हितग्राही को सहायता राषि का भुगतान किया जाये।

(ज) शासनके ध्यान में यह बात लाई गई है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की तीनों योजनाओं में षासकीय प्रक्रिया के कारण हितग्राहियों को राषि के वितरण में विलंब होता है। अतः ऐसे विलंब को दूर करने के लिये राज्य शासनद्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन, राष्ट्रीय परिवार सहायता तथा राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना के अंतर्गत निर्धारित संख्यात्मक सीमा की जानकारी पंचायत एवं नगरीय निकायों को उपलब्ध कराई जाये। जिले के अधिकारी स्वविवेक से सीधे ही ग्राम पंचायतों के खातें में राषि स्थानान्तरित कर सकते हैं, जिससे ब्लॉक के माध्यम से राषि के वितरण में जो विलंब होता है वह नहीं होगा। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रकरणों को स्वीकृत एवं भुगतान करने में ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा की अहम भूमिका सुनिष्चित हो। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकरणों को स्वीकृत एवं भुगतान करने की कार्यवाही जन सभा में हो, उपयुक्त होगा

कि यह कार्यवाही ग्राम सभा में पंचायत पदाधिकारियों अथवा ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों द्वारा की जावे।

(झ) ष्शहरी क्षेत्रों में सहायता राषि स्वीकृत करने की प्रक्रिया में चुने हुये स्थानीय निकायों में पदधारियों / पदाधिकारियों को भी भागीदार बनाया जाए। इस सहायता राषि का ितरण भी मोहल्ला समितियों एवं पड़ोसियों की जनसभा में किया जावे।

(च) राज्य ष्शासन, सहायता राषि वितरण किसी भी प्रकार जैसे नगद, मनीआर्डर, हितग्राहियों के बैंक अकाउंट अथवा पोस्ट आफिस में खाते खुलवाकर करने में स्वतंत्र है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना के अंतर्गत सहायता राषि वितरण वर्ष में दो बार से ज्यादा किष्तों में नहीं होगा। नगद राषि वितरण की स्थिति में भुगतान ग्रामों में ग्राम सभा की जनसंख्या एवं षहरों में मोहल्ला समिति/पड़ोसियों के समक्ष होगा।

(त) यदि किसी स्थिति में राज्य शासनइन योजनाओं के तहत आवंटित राषि प्राप्त करने में असफल रहता है तो उक्त राषि अन्य राज्यों को स्थानांतरित कर दी जावेगी।

(थ) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की वर्तमान मार्गदर्षिका के पैरा 34 के अनुसार केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए वास्तविक बजट का खर्चा आदि संबंधी रिकार्ड राज्य शासन/ संघ प्रदेष के अपने खातों में स्पश्टतः रखा जाना चाहिये था। परन्तु इन निर्देषों का कोई व्यवहारिक लाभ न होने के कारण पैरा 34 संषोधित मार्गदर्षिका से हटाया जाता है।

(ह) दिषा–निर्देषों के पैरा 32 (2) के अनुसार प्रत्येक राज्यों एवं संघ प्रदेषों को अर्हकारी वित्तीय पात्रता की 100 प्रतिषत सहायता, प्रत्येक योजनानुसार या प्रत्येक योजना के तहत उस वर्ष किये गये वास्तविक व्यय अनुसार जो भी कम से कम हो प्राप्त होगी। प्रत्येक वर्ष के पष्चात, राज्य सरकार द्वारा उस वर्ष किये गये वास्तविक व्यय का हिसाब बताया जाये। चूंकि प्रतिवर्ष अर्हकारी वित्तीय पात्रता प्रत्येक राज्य के वास्तविक खर्चों के कारण सीमित हो जावेगा, जो राज्य की योजना के तहत दर्षाए गये संख्यात्मक सीलिंग तक पहुंचने में अवरोध करेगा इस कारण पैरा 32 (2) समाप्त किया जाता है।

(छ) जिला अधिकारियों कुल उपलब्ध राषि के 60 प्रतिषत उपयोग एवं गतवर्ष के वास्तविक व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा वास्तविक व्यय के अंकेक्षण के पष्चात ही द्वितीय किष्त जारी की जावेगी। जिला अधिकारी उपयोगिता प्रमाण पत्र में पूर्व विगत वर्ष की वचनबद्ध दायित्व, यदि कोई है, के संबंध में प्रमाणीकरण करेगा। अर्थात् प्रत्येक किष्त के जारी होने के समय राषि की उपयोगिता के संबंध में राज्य / जिला अधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्र जारी किया जावेगा।

(ट) यह देखने में आया है कि बड़ी संख्या में जिलों द्वारा प्रगति प्रतिवेदन, आडिट रिपोर्ट एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार के एन.एस.ए.पी. योजना के प्रभारी सचिव को न सूचित करते हुये सीधे मंत्रालय में भेजते हैं। यह स्थिति न केवल अवांछनीय है बल्कि इससे प्रत्येक व्यक्तिगत अनुरोध पर कार्यवाही करने में अनेक कठिनाईयां होती हैं। अतः यह निर्णय पूर्व में

लिया जा चुका है कि जिले अपने रिपोर्ट संबंधित राज्य सचिवों को भेजेंगे, जो संकलित प्रतिवेदन इस मंत्रालय को भेजेंगे। ये निर्देष पूर्वानुसार ही लागू रहेंगे।

(ल) वर्तमान में अनेक नये जिले बनाये गये है, चूंकि इन जिलों की सीलिंग तथा बैंक एकाउंट नंबर सूचित नहीं किये गये हैं, अतः प्रस्तावित है कि चालू वर्ष की राषि इनके पैतृक जिलों को ही भेजी जावे। ये जिले, नवगठित जिलों को राषि तथा कुल प्राप्त राषि का ब्यौरा हस्तांतरित कर सकेंगे। साथ ही आडिट रिपोर्ट / उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाने संबंधी व्यवस्था भी करेंगे।

3. संषोधित दिषा निर्देष जिसमें उपरोक्त संषोधन शामिल है, पृथक से भेजे जावेंगे, तब तक योजना के क्रियान्वयन में तत्काल कार्यवाही प्रारंभ कर दी जावे।

4. वर्ष 1998–99 के लिये बजट एवं पुनरीक्षित लक्ष्य संलग्न है। मेरा अनुरोध है कि जिला अधिकारियों के लिये आवष्यक निर्देष जारी करें, साथ ही यषाषीघ्र योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार भी करें। मैं अनुग्रहित होऊंगा यदि आप इस संबंध में की गई कार्यवाही से मुझे भी अवगत कराएंगे।

भवदीय

सही/–

(एन.सी.सक्सेना)

प्रति,

श्री. के.एस.ष्शर्मा,
मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेष षासन,
वल्लभ भवन,
भोपाल

पंचायत एवं समाज सेवा संचालनालय
मध्यप्रदेष

अजिता बाजपेयी पांडे
आयुक्त

तुलसी नगर, भोपाल – 462 003
दूरभाष : कार्यालय : 556916 नि. : 571466
अ.शा. पत्र क्र. / रासासकार्य / 28 / 237
भोपाल, दिनांक 2.2.2001

विषय :– योजनाओं का प्रचार–प्रसार करने बाबत।

शासनद्वारा संचालित राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के पिरवारों के मुख्य कमाउ सदस्य की मृत्यु होने पर पीडित परिवार को रू. 10,000 / – की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

प्रदेष में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना के तहत ऐसे वर्ग को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है जिन्हें शासनकी मदद की आवष्यकता बनी रहती है। योजनाओं की पात्रता एवं लाभ प्राप्त करने के संबंध में जानकारी आम जनता को होना आवष्यक है। अतः योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार पर विषेष ध्यान दिया जाना आवष्यक है। सिटीजन चार्टर में भी उक्त योजनाओं का समावेष है जिसका प्रचार–प्रसार एवं जिले के सभी कार्यालयों के सूचना के पटल पर प्रदर्षित किया जाना है।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। अतः इसका विभागीय कलापथक दल एवं कला मंडली द्वारा प्रचार–प्रसार कराया जाए। साथ ही जनपद पंचायत स्तर तक कर्मषाला भी आयोजित की जाए। कर्मषाला मं जनप्रतिनिधि, समाज सेवक एवं स्थानीय जनता की भागीदारी भी हो ताकि योजनाओं की अधिकाधिक जानकारी आम जनता को मिल सके एवं लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।

कृपया भारत सरकार से प्राप्त निर्देष का अवलोकन करे जिसके अनुसार राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में ऐसे जिले जिनमें 1 अप्रैल को विगत वर्ष की बचत राषि 15 प्रतिषत या अधिक होगी उन जिलों को भविश्य में स्वीकृत की जाने वाली राषि में कटौती की जाना है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार योजनाओं के प्रचार–प्रसार पर विषेष ध्यान दिया जाए ताकि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। कृपया तत्संबंधी कार्यवाही कर अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय
(अजिता बाजपेयी पाण्डे)

प्रति,

श्री .....
कलेक्टर
जिला .....

पृष्ठां. क्र. / रासासकार्य / 2001 / 28 / 238 भोपाल, दिनांक 2.2.2001

प्रतिलिपि –

1. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेष की ओर सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2. समस्त संयुक्त संचालक / उपसंचालक, जिला कार्यालय पंचायत एवं समाज कल्याण मध्यप्रदेष की ओर आवष्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर संचालक

पंचायत एवं समाज सेवा, म.प्र.

पंचायत एवं समाज सेवा संचालनालय, मध्यप्रदेष

क्र. / रासासयो–19 / 2002 / 2 भोपाल, दिनांक 2.1.2002

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत उज्जैन,
मध्यप्रदेष

विषय – राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के संबंध में।

संदर्भ – आपका पत्र क्रमांक / जिप / रापसयो / 2001 / 3214 दिनांक 24.11.01 एवं 26.11.01

कृपया म.प्र. षासन, समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी मार्गदर्षिका पत्र क्रमांक एफ 1 / 15 / 96 / 26–2 दिनांक 29.10.1996 का अवलोकन हों।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं ष्शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा की सर्वे सूची ही आधार मानी जायेगी।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

आयुक्त
पंचायत एवं समाज सेवा, म.प्र.
भोपाल, दिनांक 2.1.2002

पृ.क्र. / रासासयो–19 / 2002 / 3

प्रतिलिपि

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेष
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेष।
3. समस्त संयुक्त संचालक / उपसंचालक, जिला कार्यालय पंचायत एवं समाज कल्याण जिला मध्यप्रदेष।

आयुक्त
पंचायत एवं समाज सेवा, म.प्र.

पंचायत एवं समाज सेवा संचालनालय, मध्यप्रदेष

क्र. / रा.सा.स.का. / 2003 / 1003 भोपाल, दिनांक 16.7.2003

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर्स,
   मध्यप्रदेष
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत, मध्यप्रदेष
3. समस्त संयुक्त संचालक / उप–संचालक,
   पंचायत एवं समाज सेवा, मध्यप्रदेष
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत, मध्यप्रदेष
5. समस्त आयुक्त / मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत, मध्यप्रदेष

विषय :– राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के प्रकरणों के निराकरण के संबंध में।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के प्रकरणों के निराकरण के संबंध में मध्यप्रदेष षासन, समाज कल्याण विभाग के ज्ञा.क्र. एफ / 1 / 15 / 96 / 26–2, दिनांक 26 दिसम्बर 1996 द्वारा दिषा निर्देष जारी किये गये है। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुख्य कमाउ सदस्य जिसकी आयु 18 वर्ष या अधिक एवं 65 वर्ष से कम हो, की मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया कराने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत प्रकरणों के निर्वतन के लिये शासनके पत्र क्र. एफ 2–8 / 2003 / 26–2 दिनांक 2–5–2003 से जारी सिटीजन चार्टर में प्रकरणों के निवर्तन के लिये 15 दिवस की समय सीमा भी निर्धारित की गई है।

योजना की समीक्षा के समय यह तथ्य परिलक्षित हुआ है कि कतिपय जिलों में प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय अवधि में नहीं किया जा रहा है एवं पीड़ित व्यक्ति को शासनद्वारा निर्धारित समय सीमा में आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं हो पा रही है। समीक्षा के दौरान यह तथ्य भी सामने आया है कि विषेशकर कतिपय नगरीय क्षेत्रों में प्राप्त आवेदन पत्रों में जांच एवं परीक्षण करने में बहुत अधिक समय लगाया जा रहा है, अतः ऐसी स्थिति में पीडित परिवार को समय–समय पर सहायता प्राप्त नहीं हो रही है।

अतः निर्देषित किया जाता है कि योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का निराकरण निर्धारित समय अवधि में किया जावें एवं प्रकरणों के निराकरण एवं भुगतान में अनावष्यक विलंब न किया जावे। कृपया जिला स्तर पर ग्रामीण एवं ष्शहरी क्षेत्र की सभी निकायों में नियमित रूप से समीक्षा की जावें एवं यह सुनिष्चित किया जावें कि सभी हितग्राही को सिटीजन चार्टर में निर्धारित समय अवधि में योजना का लाभ प्रदान किया जावे।

आयुक्त
पंचायत एवं समाज सेवा, म.प्र.

क्र./रा.सा.स.का./2003/1004 भोपाल, दिनांक 16.7.2003

प्रतिलिपि –

1. सचिव, म.प्र. शासन, समाज कल्याण विभाग मंत्रालय, भोपाल
2. निज सहायक, मान.मंत्री पंचायत एवं समाज कल्याण, म.प्र. शासन, भोपाल

आयुक्त
पंचायत एवं समाज सेवा, म.प्र.

पंचायत एवं समाज सेवा संचालनालय, मध्यप्रदेष

क्र. / रा.सा.स.का. / 2003 / 1008 भोपाल, दिनांक 17.7.2003

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर्स,
   मध्यप्रदेष
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत, मध्यप्रदेष
3. समस्त संयुक्त संचालक / उप–संचालक,
   जिला कार्यालय, पंचायत एवं समाज सेवा, मध्यप्रदेष
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत, मध्यप्रदेष

विषय :– राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के प्रकरणों के निराकरण के संबंध में।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुख्य कमाउ सदस्य जिसकी आयु 18 वर्ष या अधिक एवं 65 वर्ष से कम हो, की मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया कराने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत साधारण मृत्यु या अप्राकृतिक / दुर्घटनावष मृत्यु के प्रकरणों में समान रुप से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह देखने में आया है कि ग्रामीण क्षेत्र में मृत्यु होने पर जनपद पंचायतों द्वारा पुलिस थाने द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र की मांग की जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में पीड़ित परिवार को अनावष्यक परेषानी का सामना करना पड़ता है तथा अनावष्यक विलंब होता है।

अतः निर्देषित किया जाता है कि राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के प्रकरणों में ग्राम पंचायत द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र को मान्य किया जावे। कृपया इस निर्देष की जानकारी संबंधित पंचायत प्रतिनिधियों व मैदानी अधिकारियों को प्रदान कराए, तथा निर्देषानुसार कार्यवाही सुनिष्चित करें।

आयुक्त
पंचायत एवं समाज सेवा, म.प्र

क्र. / रा.सा.स.का. / 2003 / 1009 भोपाल, दिनांक 17.7.2003

प्रतिलिपि –

1. श्री आर.गोपालकृष्णन, सचिव, मुख्य मंत्रीजी, म.प्र.षासन, भोपाल को मानवीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा दिनांक 15.7.2003 को दिये गये निर्देषों के अनुक्रम में सूचनार्थ।

2. सचिव, म.प्र. शासन, समाज कल्याण विभाग मंत्रालय, भोपाल

3. निज सहायक, मान. मंत्री पंचायत एवं समाज कल्याण, म.प्र. शासन, भोपाल

आयुक्त

पंचायत एवं समाज सेवा, म.प्र.

पंचायत एवं समाज सेवा संचालनालय, मध्यप्रदेष

क्र. / रा.सा.स.यो / 76. / 2005 / 1890 भोपाल, दिनांक 03.8.2005

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर्स,
   मध्यप्रदेष
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत, मध्यप्रदेष
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत, मध्यप्रदेष
4. आयुक्त
   समस्त नगर निगम, मध्यप्रदेष
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   समस्त नगर पालिका / नगर पंचायत, मध्यप्रदेष

विषय :– राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के संबंध में।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के मुख्य कमाउ सदस्य की मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को 15 दिवस में आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देष है। यह योजना प्रदेष के ऐसे गरीब वर्ग के लिए संचालित है जिन्हें शासनकी आर्थिक मदद की आवष्यकता रहती है, अतः यह आवष्यक है कि योजना का लाभ हितग्राहियों को समय सीमा में मिले।

योजना की समीक्षा तथवा विधान सभा प्रष्नों की जानकारी से ज्ञात होता है कि इस योजना का लाभ व्यक्ति को निर्धारित समयसीमा में नहीं दिया जा रहा है। कतिपय जिलों में तो विगत निर्धारित अवधि व्यतीत होने के पष्चात के प्रकरणों में भी हितग्राहियों को सहायता राषि प्रदान नहीं की गई है।

शासनने उक्त स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अतः पुनः निर्देषित किया जाता है कि–

1. जिले की सभी निकायों में प्रतिमाह के पहले सोमवार को शासकीय अवकाष होने पर अगले कार्य दिवस में प्राप्त एवं निराकृत हुए सभी प्रकरणों की समीक्षा की जाये, तथा स्वीकृत सभी प्रकरणों में आवेदक को तत्काल राषि वितरित की जाये।
2. सभी निकाय प्राप्त प्रकरणों की प्रतिमाह समीक्षा करेंगे तथा ऐसे प्रकरण जिनमें कुछ पूर्ति करवाई जाना शेष हो उन्हें भी तत्काल पूर्ण करवाया जाकर निराकृत करेंगे। आवेदन पत्रों को अनावष्यक रूप से लंबित न रखा जाये।
3. आवष्यकता के अनुरूप राषि के लिए सभी निकाय जिला पंचायत को तत्काल प्रस्ताव भेजें एवं यथायोग्य कार्यवाही करें। हितग्राही को समय पर सहायता राषि न दिये जाने का दायित्व संबंधित निकाय का ही होगा।
4. जिला पंचायत द्वारा भी प्रतिमाह जिले की सभी निकायों की समीक्षा की जाये, तथा आवंटन, व्यय तथा राषि की स्थिति मांग आदि के संबंध में संचालनालाय को निर्धारित प्रपत्र में प्रतिमाह जानकारी प्रेषित की जाये।
5. जिला पंचायत यह सुनिष्चित करे कि जनपद पंचायत / नगरीय निकायों में अनावष्यक रूप से राषि न बची रहे। यदि किसी जगह आवष्यकता से अधिक राषि है तो उसे तत्काल वापिस लिया जाकर अन्य आवष्यकता वाली निकाय को प्रदान की जाये।
6. अतिरिक्त राषि की आवष्यकता होने पर जिला पंचायत पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्ताव संचालनालय को प्रेषित करें।
7. यह सुनिष्चित करें कि पात्र व्यक्तियों को समय सीमा में सहायता मिल जाये।

(डॉ.व्ही.एस.निरंजन)
संचालक
पंचायत एवं सामाजिक न्याय, म.प्र.

क्र./रा.सा.स.यों./76//2005/1891 भोपाल, दिनांक 03.8.2005

प्रतिलिपि –

सचिव, मध्यप्रदेष सामाजिक न्याय संचालनालय मध्यप्रदेष की ओर सूचनार्थ।

संचालक
पंचायत एवं सामाजिक न्याय, म.प्र.